खण्ड-168, अंक-1
सोमवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(12 मार्च, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 168 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

R.A.
130027 405.3

विषय-सूची

—o—

सोमवार, १२ मार्च, १९५६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–४
प्रश्नोत्तर	४–१३
८ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न ११ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	१३
श्री रामनारायण त्रिपाठी के श्री राज्यपाल पर आक्षेपात्मक कथन के निस्सारण की मांग पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१४–१५
१९५६–५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन	१६–१७
१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	१७–७१
नत्थियां	७२–७४

मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

उपस्थित सदस्यों की सूची	७५–७८
प्रश्नोत्तर	७८–१०१
इलाहाबाद से रेडियो ट्रांसमीटर हटाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित)	१०१–१०२
बनारस में विश्वनाथ जी मंदिर प्रवेश आन्दोलन में हुई गिरफ्तारियों से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (श्री अध्यक्ष द्वारा निर्णय स्थगित)	१०२
श्री राजनारायण द्वारा ५ मिनट के लिये सभा-त्याग	१०३
१९५६–५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन ..	१०३–१०४
१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३-ख—सामुदायिक विकास योजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य (स्वीकृत) ..	१०४–१४३
अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५६—लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना (स्वीकृत) ..	१४३–१५३
नत्थियां	१५४–१५७

बुधवार, १४ मार्च, १९५६

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१५९–१६१
प्रश्नोत्तर	१६२–१८४
बनारस में विश्वनाथ जी मंदिर प्रवेश आन्दोलन में हुई गिरफ्तारियों के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१८४
बदायूं जिले के बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में लगान वसूली संबंधी दमनात्मक कार्यवाहियों से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (सदन ने प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी)	१८५–१८६
समाचार-पत्र में छपी सूचना पर आपत्ति	१८६
१९५६–५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	१८६–१८७
१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २५—गांव सभायें और पंचायतें (स्वीकृत) ..	१८७–२३४
गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय संबंधी विधेयकों को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के हेतु सदन का समय बढ़ाने के संबंध में संकल्प की सूचना	२३५
नत्थी	२३६–२३७

बृहस्पतिवार, १५ मार्च, १९५६

उपस्थित सदस्यों की सूची	२३९–२४२
प्रश्नोत्तर	२४२–२६०
बनारस के हरिजन आन्दोलन में तथा आलमबाग, लखनऊ के झगड़े में हुई गिरफ्तारियों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	२६०–२६१
१६ तथा २१ मार्च, १९५६ को ६ बजे सायंकाल तक सदन की बैठक करने का संकल्प (नहीं लिया गया)	२६१
सत्रावधि में सदस्यों पर समन की तामील के संबंध में जानकारी ..	२६१–२६२
१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य–निर्माण कार्यों पर नागत, अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान ३२ —लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ६१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा (स्वीकृत)	२६२–३१८
१६ तथा २१ मार्च, १९५६ को ६ बजे सायंकाल तक सदन की बैठक करने का संकल्प (स्वीकृत)	३१८–३२२
नत्थी	३२३

शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	३२५–३२८
प्रश्नोत्तर	३२८–३४६
समाचार-पत्रों में गलत नाम छपन पर श्री शिवमंगल सिंह कपूर द्वारा आपत्ति ..	३४६–३४७
१९५६–५७ के आय-व्यय के विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन ..	३४७
१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	३४८–३८३
अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	३८३–४०५
गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ (संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	४०५
नत्थियां	४०६–४१३

शनिवार, १७ मार्च, १९५६

उपस्थित सदस्यों की सूची	४१५–४१८
सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनारस के विश्वनाथ मन्दिर में हरिजन प्रवेश कार्य में बाधा डालने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (निर्णय स्थगित)	४१८
राज्य पुनस्संगठन विधेयक पर वादविवाद की मांग	४१८–४१९
श्री राजनारायण द्वारा बनारस के विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश आन्दोलन में भाग लेने की सूचना	४१९
१९५६–५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन ..	४१९–४२०
१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन (स्वीकृत)	४२०–४६३
अनुदान संख्या ८—लेखा शीर्षक १३—अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५५—बढ़ौती भत्ते और पेंशनें तथा अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान (स्वीकृत)	४६३–४७३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

मंत्रि-परिषद्

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान -सभा सदस्य, मुख्य मंत्री, तथा सामान्य प्रशासन एवं गृह मन्त्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, वित्त, वन, सहकारिता तथा विद्युत् मंत्री ।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, कृषि तथा पुनर्वासन मन्त्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य, रजिस्ट्रेशन तथा मादक-कर मन्त्री ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्न मन्त्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा-सदस्य, न्याय तथा स्वशासन मन्त्री ।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, माल तथा परिवहन मन्त्री ।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मन्त्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा-सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा-सदस्य, निर्माण मन्त्री ।

आचार्य जुगलकिशोर, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य, श्रम तथा समाज-कल्याण मन्त्री ।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, सहकारिता उप-मन्त्री ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, वन उपमन्त्री ।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल- एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, नियोजन उपमन्त्री ।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, पुलिस उपमन्त्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा-सदस्य, कारावास उपमन्त्री ।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, सिंचाई उपमन्त्री ।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, माल उपमन्त्री ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान सभा-सदस्य, शिक्षा उपमन्त्री ।

श्री कैलाशप्रकाश, विधान सभा-सदस्य, स्वशासन उपमन्त्री ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान सभा-सदस्य, निर्माण उपमन्त्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा-सदस्य ।

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव

१—श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान सभा-सदस्य ।
२—श्री बनारसी दास, विधान सभा-सदस्य ।

कृषि मंत्री के सभा-सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य ।

सूचना मंत्री के सभा-सचिव

श्री लक्ष्मीशंकर यादव, विधान सभा-सदस्य ।

वित्त मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान सभा-सदस्य ।

श्रम मंत्री के सभा-सचिव

श्री परमात्मानन्द सिंह, विधान परिषद्-सदस्य ।

सत्यमेव जयते

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१	अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)।
२	अक्षयवर सिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)।
३	अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)।
४	अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)।
५	अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)।
६	अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)।
७	अब्दुल रऊफ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)।
८	अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)।
९	अमृतनाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)।
१०	अली जहीर श्री सैयद,	..	लखनऊ नगर (मध्य)।
११	अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)।
१२	अवधेश प्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)।
१३	अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)।
१४	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)।
१५	आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय।
१६	आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)।
१७	इर्तिजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)।
१८	इसरारुल हक, श्री	..	फिरोजाबाद-फतेहाबाद।
१९	इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)।
२०	उदयभान सिंह, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)।
२१	उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)।
२२	उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर।
२३	उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेही घाट।
२४	उम्मेद सिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर-पूर्व)।
२५	उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री	..	एतमादपुर-आगरा (पूर्व)।
२६	ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)।
२७	ओंकार सिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर)—बदायूं।
२८	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)।
२९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)।
३०	कमलासिंह, श्री	..	सैदपुर।
३१	कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहम्मदी (पूर्व)।
३२	करनसिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)।
३३	करनसिंह, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)।
३४	कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन-गुरु, श्री		इलाहाबाद नगर (मध्य)।
३५	कल्याण राय, श्री	..	हजूर मिलक (उत्तर)।
३६	कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)।
३७	कालिका सिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)।
३८	कालीचरण टंडन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३९	काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	कादीपुर ।
४०	किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व) ।
४१	किशन स्वरूप भटनागर, श्री		खुरजा ।
४२	कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम) ।
४३	कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम) ।
४४	कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व) ।
४५	कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण) ।
४६	कृष्ण शरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद ।
४७	केदार नाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण) ।
४८	केवलसिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व) ।
४९	केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य) ।
५०	केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर) ।
५१	केशव पाण्डेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व) ।
५२	केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व) ।
५३	कैलाशप्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका ।
५४	खयालीराम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व) ।
५५	खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत ।
५६	खूबसिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व) ।
५७	गंगाधर जाटव, श्री	..	फिरोजाबाद-फतेहाबाद ।
५८	गंगाधर मेठाणी, श्री	..	चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर) ।
५९	गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख ।
६०	गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण) ।
६१	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम) ।
६२	गजेन्द्र सिंह, श्री	..	विधूना (पूर्व) ।
६३	गज्जूराम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर) ।
६४	गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर) ।
६५	गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व) ।
६६	गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम) ।
६७	गिरजा रमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण) ।
६८	गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व) ।
६९	गुप्तारसिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम) ।
७०	गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम) ।
७१	गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिर खाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम) ।
७२	गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर) ।
७३	गंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व) ।
७४	गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण) ।
७५	गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण) ।
७६	गौरीराम, श्री	..	फरेंदा (मध्य) ।
७७	घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेही घाट ।
७८	घासीराम जाटव, श्री	..	बिधूना (पश्चिम) भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर) ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
७९	चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई-जालौन (दक्षिण) ।
८०	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व) ।
८१	चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य) ।
८२	चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व) ।
८३	चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व) ।
८४	चरण सिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम) ।
८५	चित्तर सिंह निरंजन, श्री	..	कोंच ।
८६	चिरंजी लाल जाटव, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर) ।
८७	चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)—कन्नौज (दक्षिण) ।
८८	चुन्नीलाल सगर, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व) ।
८९	छेदालाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम) ।
९०	छेदालाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण) ।
९१	जगत नारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर) ।
९२	जगदीश प्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)—सम्भल (पश्चिम) ।
९३	जगदीश सरन, श्री	..	बरेली नगरपालिका ।
९४	जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व) ।
९५	जगनप्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़ ।
९६	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर) ।
९७	जगन्नाथ बख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट ।
९८	जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर) ।
९९	जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर-पूर्व)—बांस डीह (दक्षिण-पश्चिम) ।
१००	जगपति सिंह, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व) ।
१०१	जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लैन्स डाउन (पश्चिम) ।
१०२	जटा शंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज ।
१०३	जयपालसिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर ।
१०४	जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम) ।
१०५	जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन टेहरी (उत्तर) ।
१०६	जवाहर लाल, श्री	..	करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण) ।
१०७	जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व) ।
१०८	जुगलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण) ।
१०९	जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी ।
११०	ज्वालाप्रसाद सिनहा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम) ।
१११	झारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम) ।
११२	टीकाराम, श्री (बदायूं)	..	बदायूं (उत्तर) ।
११३	टीकाराम, श्री (हरदोई)	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व) ।
११४	डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख ।
११५	डालचन्द, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम) ।
११६	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली (पश्चिम) ।
११७	तिरमल सिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर) ।
११८	तुलाराम, श्री	..	औरैया-भरथना (दक्षिण) ।
११९	तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम) ।
१२०	तेज प्रताप सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण) ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१२१	तेज बहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर) ।
१२२	तेजसिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम) ।
१२३	त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम) ।
१२४	दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व) ।
१२५	दर्शनराम, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व) ।
१२६	दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण) ।
१२७	दाऊदयाल खन्ना, श्री	.	मुरादाबाद (उत्तर) ।
१२८	दाताराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण) ।
१२९	दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर) ।
१३०	दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व) ।
१३१	दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम) ।
१३२	देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा ।
१३३	देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण) ।
१३४	देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)–अनूपशहर (दक्षिण)
१३५	देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलोमपुर (पश्चिम) ।
१३६	देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम) ।
१३७	देवराम, श्री	..	सैदपुर ।
१३८	देवेन्द्र प्रतापनारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम) ।
१३९	द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य) ।
१४०	द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री	..	मड़ियाहूं (उत्तर) ।
१४१	द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री		फर्रेदा (दक्षिण) ।
१४२	धनुषधारी पाण्डेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण) ।
१४३	धर्मसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)। अनूपशहर। दक्षिण) ।
१४४	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (पश्चिम-दक्षिण)–बरेली (पश्चिम)
१४५	नत्थूसिंह, श्री	..	आंवला (पूर्व)–फरीदपुर ।
१४६	नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस ।
१४७	नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून-दक्षिण-पूर्वीय दून ।
१४८	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत ।
१४९	नरोत्तमसिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)–बदायूं (दक्षिण-पूर्व) ।
१५०	नवलकिशोर, श्री	..	आंवला (पश्चिम) ।
१५१	नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर) ।
१५२	नाजिमअली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)–सुल्तानपुर (उत्तर) ।
१५३	नारायणदत्त तिवारी, श्री	.	नैनीताल (उत्तर) ।
१५४	नारायणदास, श्री	.	फैजाबाद (पूर्व) ।
१५५	नारायणदीन वाल्मीकि, श्री	..	पुवायां-शाहजहांपुर (पूर्व) ।
१५६	निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)–बीसलपुर (पश्चिम) ।
१५७	नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण) ।
१५८	नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्षिण-पूर्व)।
१५९	नौरंग लाल, श्री	..	नवाबगंज ।
१६०	पद्मनाथ सिंह, श्री	...	मुहम्मदाबाद गोहना (दक्षिण) ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१६१	परमानन्द सिन्हा, श्री	..	सोराँव (दक्षिण)।
१६२	परमेश्वरी दयाल, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)।
१६३	परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराजगंज (उत्तर)।
१६४	पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा।
१६५	पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)–फर्रुखाबाद (पूर्व)।
१६६	पुत्तूलाल, श्री	..	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)।
१६७	पुद्दन राम, श्री	..	बांसी (उत्तर)।
१६८	पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)।
१६९	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)।
१७०	प्रतिपाल सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)–जलालाबाद (पूर्व)।
१७१	प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर-पश्चिम)।
१७२	प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)।
१७३	प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवांया-शाहजहांपुर (पूर्व)।
१७४	फजलुल हक, श्री	..	रामपुर नगर।
१७५	फतेहसिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)।
१७६	फूलसिंह, श्री	..	देवबन्द।
१७७	बद्री नारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)।
१७८	बनारसी दास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)।
१७९	बलदेवसिंह, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)–गोंडा (दक्षिण)।
१८०	बलदेवसिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)।
१८१	बलदेवसिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)।
१८२	बलबीरसिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)।
१८३	बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)।
१८४	बलवन्तसिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पूर्व)–जानसठ (उत्तर)।
१८५	बशीरअहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)।
१८६	बसन्तलाल, श्री	..	कालपी-जालौन (उत्तर)।
१८७	बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)।
१८८	बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)।
१८९	बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)।
१९०	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेहीघाट।
१९१	बाबूलाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)।
१९२	बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)–प्रतापनगर।
१९३	विशम्बर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)।
१९४	बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)।
१९५	बेचन राम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)।
१९६	बेनीसिंह, श्री	..	कानपुर तहसील।
१९७	बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)।
१९८	बैजूराम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)।
१९९	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)।
२००	भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)–शाहगंज (पश्चिम)।
२०१	भगवती प्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)–गोरखपुर (दक्षिण)।
२०२	भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)।
२०३	भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)–खागा (दक्षिण)।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२०४	भगवान सहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण) ।
२०५	भीमसेन, श्री	..	खुरजा ।
२०६	भुवर जी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व)–हंडिया (उत्तर-पश्चिम) ।
२०७	भूपाल सिंह खाती, श्री	..	अल्मोड़ा (उत्तर) ।
२०८	भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व) ।
२०९	भोलासिंह यादव, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम) ।
२१०	मकसूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम) ।
२११	मंगला प्रसाद श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण) ।
२१२	मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फर्रुखाबाद (पश्चिम)–छिबरामऊ ।
२१३	मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	बांसी (उत्तर) ।
२१४	मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)।
२१५	मदन मोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर) ।
२१६	मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी ।
२१७	मलखान सिंह श्री	..	कोइल (मध्य) ।
२१८	महमूद अली खां, श्री	..	सुमर-टांडा-बिलासपुर ।
२१९	महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)–नवाड़ (उत्तर) ।
२२०	महादेव प्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व) ।
२२१	महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम) ।
२२२	महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण) ।
२२३	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलालगंज ।
२२४	महावीर सिंह, श्री	..	हाटा (उत्तर)–देवरिया ।
२२५	महीलाल, श्री	..	बिलारी ।
२२६	मान्धाता सिंह, श्री	..	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण-पश्चिम) ।
२२७	मिजाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण) ।
२२८	मिहरबान सिंह, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर)–इटावा (उत्तर) ।
२२९	मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल (उत्तर) ।
२३०	मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	..	पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व) ।
२३१	मुन्नूलाल, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व) ।
२३२	मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर-अकबरपुर ।
२३३	मुश्ताक अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम) ।
२३४	मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण) ।
२३५	मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)–नजीबाबाद (पश्चिम) ।
२३६	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर) ।
२३७	मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	..	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)–धामपुर (उत्तर-पूर्व) ।
२३८	मुहम्मद तकी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)।
२३९	मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण) ।
२४०	मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा ।
२४१	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर-पूर्व) ।
२४२	मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री	..	सहारनपुर नगर ।
२४३	मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री	..	मछली शहर (दक्षिण) ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२४४	मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	..	उतरौला (मध्य)।
२४५	मुहम्मद सआदत अली खां, श्री	..	नानपारा (दक्षिण)
२४६	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)—बांसी (पश्चिम)
२४७	मोहन लाल, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)।
२४८	मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)।
२४९	मोहनलाल वर्मा, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)।
२५०	मोहन सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)।
२५१	मोहनसिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)।
२५२	यमुनाप्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)।
२५३	यमुना सिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य)—मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)।
२५४	यशोदा देवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५५	रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)।
२५६	रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)।
२५७	रघुवीरसिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)।
२५८	रणंजय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)।
२५९	रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)—नगीना (उत्तर)।
२६०	रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी।
२६१	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मड़ियाहूं (दक्षिण)।
२६२	रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली।
२६३	राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६४	राजकिशोर, श्री	..	बहराइच (पूर्व)।
२६५	राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)।
२६६	राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)।
२६७	राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)।
२६८	राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण-पूर्व)।
२६९	राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)।
२७०	राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुण्डा (उत्तर)।
२७१	राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)।
२७२	राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)।
२७३	राजेन्द्रदत्त, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पश्चिम)।
२७४	राजेश्वर सिंह, श्री	..	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)।
२७५	राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)।
२७६	रामअधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)।
२७७	रामअधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)।
२७८	रामअनन्त पाण्डेय, श्री	..	बलिया (मध्य)।
२७९	रामअवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)।
२८०	राम आसरे वर्मा, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)।
२८१	रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)।
२८२	रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२८३	रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)।
२८४	रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)।
२८५	रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पच्छिम)।
२८६	रामचरनलाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)।
२८७	रामजी लाल सहायक, श्री	..	मवाना।
२८८	रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण पश्चिम)।
२८९	रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)।
२९०	रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)।
२९१	रामदुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)।
२९२	रामनरेश शुक्ल, श्री	..	कुण्डा (दक्षिण)।
२९३	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)।
२९४	रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)।
२९५	रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)।
२९६	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)।
२९७	रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)।
२९८	रामबली, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)—अमेठी (पूर्व)।
२९९	रामभजन, श्री	..	मोहम्मदी (पच्छिम)।
३००	राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)।
३०१	रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण-पश्चिम)।
३०२	रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)।
३०३	रामलखन, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)।
३०४	रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)।
३०५	रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)।
३०६	रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)।
३०७	रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३०८	रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)।
३०९	रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम)।
३१०	राम सहाय शर्मा, श्री	..	गरोधा मोठ (उत्तर)।
३११	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)।
३१२	रामसुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)।
३१३	रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)।
३१४	रामसुमेर, श्री	..	टांडा।
३१५	रामसेवक यादव, श्री	..	फतेहपुर (उत्तर)।
३१६	रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज।
३१७	रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)—डेरापुर (दक्षिण)।
३१८	रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुण्डा (दक्षिण)।
३१९	रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)।
३२०	रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पच्छिम)।
३२१	रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता।
३२२	रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)।
३२३	रामेश्वर लाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)।
३२४	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)।

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३२५	लक्ष्मण राव कदम, श्री	.. मऊ-मोठ (दक्षिण)–झांसी (पश्चिम)। ललितपुर (उत्तर)।
३२६	लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	.. संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)।
३२७	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	.. माट-सादाबाद (पश्चिम)।
३२८	लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	.. शाहगंज (पूर्व)।
३२९	लताफत हुसैन, श्री	.. हसनपुर (उत्तर)।
३३०	लालबहादुर सिंह, श्री	.. केराकट-जौनपुर (दक्षिण)।
३३१	लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	.. बनारस (उत्तर)।
३३२	लीलाधर अष्ठाना, श्री	.. उन्नाव (दक्षिण)।
३३३	लुत्फ अली खां, श्री	.. हापुड़ (दक्षिण)।
३३४	लेखराज सिंह, श्री	.. सम्भल (पूर्व)।
३३५	वंशनारायण सिंह, श्री	.. ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)।
३३६	वंशीदास धनगर, श्री	.. करहल (पश्चिम)––शिकोहाबाद (पूर्व)।
३३७	वंशीधर मिश्र, श्री	.. लखीमपुर (दक्षिण)।
३३८	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	.. गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)।
३३९	वसी नकवी, श्री	.. महाराजगंज (पूर्व)–सोन (उत्तर)।
३४०	वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	.. कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)।
३४१	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	.. गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)।
३४२	विजयशंकर प्रसाद, श्री	.. मुहम्मदाबाद (दक्षिण)।
३४३	विद्यावती राठौर, श्रीमती	.. एटा (पूर्व)––अलीगढ़ (पश्चिम)–कासगंज (दक्षिण)।
३४४	विश्रामराय, श्री	.. सगरी (पूर्व)।
३४५	विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	.. गाजीपुर (पश्चिम)।
३४६	विष्णुदयाल वर्मा, श्री	.. जसराना
३४७	विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	.. मवाना।
३४८	वीरसेन, श्री	.. हापुड़ (दक्षिण)।
३४९	वीरेन्द्रपति यादव, श्री	.. मैनपुरी (दक्षिण)।
३५०	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	.. कैराना (दक्षिण)।
३५१	वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	.. नानपारा (पूर्व)।
३५२	वीरेन्द्रशाह, राजा	.. कालपी-जालौन (उत्तर)।
३५३	व्रजभूषण मिश्र, श्री	.. दधी रावर्ट्सगंज।
३५४	व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	.. बिल्हौर-अकबरपुर।
३५५	व्रजवासी लाल, श्री	.. बीकापुर (मध्य)।
३५६	व्रजविहारी मिश्र, श्री	.. फूलपुर (उत्तर)।
३५७	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	.. घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)।
३५८	शंकरलाल, श्री	.. कादीपुर (मध्य)।
३५९	शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	.. बाह।
३६०	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	.. चकराता पश्चिमी दून (उत्तर)।
३६१	शारदा बख्श सिंह, श्री	.. बिलग्राम (पश्चिम)।
३६२	शिवकुमार मिश्र, श्री	.. तिलहर (उत्तर)।
३६३	शिवकुमार शर्मा, श्री	.. बिजनौर (दक्षिण)–धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
३६४	शिवदान सिंह, श्री	.. इगलास।

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३६५	शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य) ।
३६६	शिवनारायण, श्री	..	हरैया (पूर्व)--बस्ती (पश्चिम) ।
३६७	शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व) ।
३६८	शिवप्रसाद, श्री	..	हाटा (मध्य) ।
३६९	शिवमंगल सिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम) ।
३७०	शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम) ।
३७१	शिवराजबली सिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)--फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
३७२	शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसौली-गुनौर, (पूर्व) ।
३७३	शिवराम पांडेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर) ।
३७४	शिवराम राय, श्री	..	सदर (आजमगढ़ उत्तर) ।
३७५	शिववक्ष सिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)--भोगांव (दक्षिण) ।
३७६	शिववचनराव, श्री	..	सलीमपुर (उत्तर) ।
३७७	शिवशरन लाल श्रीवास्तव, श्री	..	बहराइच (पूर्व) ।
३७८	शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा ।
३७९	शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण) ।
३८०	शुगन चन्द, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)--सहारनपुर (उत्तर) ।
३८१	श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम) ।
३८२	श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर) ।
३८३	श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी ।
३८४	श्री चन्द्र, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम) ।
३८५	श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, श्री	..	आगरा नगर (पश्चिम) ।
३८६	श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर) ।
३८७	श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)--घोसी (दक्षिण) ।
३८८	श्रीनिवास, श्री	..	उतरौली (उत्तर) ।
३८९	श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ ।
३९०	सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती	..	कासगंज (पूर्व)--अली गंज (उत्तर) ।
३९१	संग्राम सिंह, श्री	..	सोरों (उत्तर)--फूलपुर (पश्चिम) ।
३९२	सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलीमपुर (पूर्व) ।
३९३	सज्जन देवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व) ।
३९४	सत्यनारायण, दत्त श्री	..	औरैया-भरथना (दक्षिण) ।
३९५	सत्यसिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग ।
३९६	सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व) ।
३९७	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण) ।
३९८	सहदेवसिंह, श्री	..	जलेसर (एटा) (उत्तर) ।
३९९	सालिग्राम जायसवाल, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर ।
४००	सावित्री देवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य) ।
४०१	सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य) --कायमगंज (पूर्व) ।
४०२	सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य) ।
४०३	सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)--हाटा (दक्षिण-पश्चिम) ।
४०४	सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण-पश्चिम) ।
४०५	सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर ।
४०६	सुन्दर दास, श्री दीवान	..	कैसरगंज (उत्तर) ।

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४०७	सुन्दरलाल, श्री	..	आंवला (पूर्व) (फरीदपुर)।
४०८	सुरुजूराम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)।
४०९	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)।
४१०	सुरेश प्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)।
४११	सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)।
४१२	सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)।
४१३	सूर्य्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा (मध्य)।
४१४	सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर)–हसनगंज।
४१५	हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)।
४१६	हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)।
४१७	हबीबुर्रमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)।
४१८	हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)।
४१९	हरखयाल सिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)।
४२०	हरगोविन्द पन्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)।
४२१	हरगोविन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)।
४२२	हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस।
४२३	हरदेवसिंह, श्री	..	देवबन्द।
४२४	हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी।
४२५	हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)।
४२६	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)।
४२७	हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)।
४२८	हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)।
४२९	हुकुमसिंह,	..	कैसरगंज (दक्षिण)।
४३०	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	करछना (उत्तर)–चाइल (दक्षिण)।
४३१	होतीलाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)।

130927

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री मिट्ठनलाल, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकी नन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

विशेष कार्याधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०
(अवकाश पर) ।

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

श्री बृजेन्द्र नारायण सिंह, एम० ए०, एल-एल० बी० (स्थानापन्न) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

P.P 1053

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22 MAY 1956
UTTAR PRADESH

सोमवार, १२ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२७१)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री

तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली, खां, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री

रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी , श्रीमती
लुत्फ़अली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वोरसेन, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

"पुलिस की भ्रष्टाचार नीति" नामक पर्चे का सचिवालय में वितरण

**१--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि पुलिस की भ्रष्टाचार नीति नामक कोई पर्चा द्वारिकासिंह वैद्य, सतना, विन्ध्य प्रदेश की ओर से सचिवालय में बांटा जा रहा है?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---जी हां। एक ऐसा छपा हुआ पर्चा प्राप्त हुआ है।

**२---श्री उमाशंकर---यदि हां, तो उसमें कितनी सत्यता है?

**३---क्या सरकार ने पर्चे में लिखी हुई घटना की जांच के लिये कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो कौन-सी?

श्री जगनप्रसाद रावत---पर्चे में दिये गये मामले की जांच के लिये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिखा जा चुका है।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकेंगे कि सरकार को किस दिन यह पर्चा मिला?

श्री जगनप्रसाद रावत---वह पर्चा २८ फरवरी अथवा १-२ मार्च को मिला था।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार के पास जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां, अभी तक नहीं आयी है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस पर्चेमें किस प्रकार के आरोप हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---उसमें इस प्रकार के आरोप हैं कि किसी ने चोरी की, वह पकड़ा गया, लेकिन बजाय उस पर मुकदमा चलाने के उसको दबा दिया गया।

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति अवस्था

**४--श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)--क्या शिक्षा मंत्री यह सूचित करने की कृपा करेंगे कि सरकार ने ऐसा निश्चय किया है कि जिसके द्वारा ५५ वर्ष के बाद भी अध्यापकों के कार्य करने का काल और बढ़ा दिया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--जहां तक सरकारी विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों का सम्बन्ध है उनको आवश्यकतानुसार जनहित में ५५ वर्ष के बाद भी सेवा में रखने का पहले ही से नियम है। स्थानीय निकायों के अधीन विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों के लिए भी इसी प्रकार का नियम है। सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति आयु ६० वर्ष है।

श्रीमती चन्द्रवती--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब तक इसके लिए कितने आवेदन-पत्र आये हैं, अवधि-काल बढ़ाने के लिए ?

श्री हरगोविन्द सिंह--आवेदन-पत्र तो बहुत से नहीं आये हैं। कहीं-कहीं से लोकल बाडीज के इम्प्लाइज की असोसिएशंस से प्रस्ताव आये हैं।

श्रीमती चन्द्रवती--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें से कितने आवेदन-पत्र अब तक पिछले साल से आये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सरकारी स्कूलों में तो ५५ वर्ष का नियम है। उसके लिए कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार हैं कि जितने अध्यापक हैं सबकी अवधि ६० वर्ष तक बढ़ा दी जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सब अध्यापकों के लिए तो ऐसा कोई प्रस्ताव हम लोगों के सामने है नहीं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर) क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक्सटेंशन देने के लिए कौन-कौन नियम बरते जाते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जब वह पब्लिक इंटरेस्ट में समझा जाता है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अध्यापकों के कार्यकाल के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अध्यापकों के लिये नियम यह है कि ३१ दिसम्बर, १९५५ तक जो ५० वर्ष के ऊपर हैं उनको तो ६० वर्ष तक का समय है। ३१ दिसम्बर, १९५५ को जो ५० वर्ष या उससे कम हैं उनको साढ़े ५७ वर्ष तक है।

पुलिस चौकीदारों के वेतन में वृद्धि का सुझाव

**५--श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष पुलिस चौकीदारों के वेतन में जो २ रुपये की वृद्धि का निश्चय हुआ था वह रुपया चौकीदारों को मिला या नहीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--चौकीदारों के वेतन में वृद्धि करने का गत वर्ष कोई निश्चय नहीं किया गया।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव---क्या सरकार भविष्य में चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ाये जाने का विचार रखती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तो बजट आपके सामने ही रखा है और आप बजट को पास भी कर चुके हैं।

श्रीमती चन्द्रवती---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय चौकीदारों को क्या वेतन मिल रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---५ रुपया महीना उनको मिलता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके चौकीदारों के आवश्यक कार्य को देखते हुए उनकी तनख्वाह लगभग १० रुपया कर देगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अब इस साल तो आपने रुपया दिया नहीं है। अगले साल सुझाव दीजियेगा तो देखा जायगा।

होली के अवसर पर रेलगाड़ियों पर गंदी चीजें फेंकने की शिकायत

६---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि होली के अवसर पर कानपुर-लखनऊ रेलवे लाइन के किनारे की आबादी के लोगों द्वारा आने-जाने वाली ट्रेनों के मुसाफिरों पर कीचड़ व पत्थर फेंके जाते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हाँ।

७---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या सरकार को पता है कि फेंके जाने वाले कीचड़ व पत्थरों से यात्रियों व रेलवे को बहुत नुकसान पहुंचता है और यात्री लोग सख्त घायल हो जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के सम्बन्ध में अगली होली के अवसर पर क्या प्रबन्ध करने का विचार किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इससे यात्रियों को भी असुविधा होती है व रेलवे को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तो की ही जाती है पर जिलाधीशों को यह भी आदेश दिये गये हैं कि वह जनता के सहयोग से इन अनुचित कार्य-वाहियों को रोकें। सदन के सदस्यों से भी मेरा निवेदन है कि वे इस कार्य में अपना पूरा-पूरा सहयोग दें।

श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के कितने लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की दूसरी लाइनों से भी क्या इसी प्रकार की शिकायतें उनके पास आयी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस प्रकार की शिकायतें सभी लाइनों से थोड़ी-बहुत आती रहती हैं ?

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह प्रथा पुरानी है अथवा हाल ही में शुरू हुई है ?

श्री अध्यक्ष---यह माननीय सदस्य स्वयं जानकारी हांसिल कर सकते हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चलती हुई ट्रेनों में पत्थर और कीचड़ फेंकने से बहुत से यात्रियों की आंखें भी फूट गयीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस प्रकार की कोई खास शिकायत मेरे पास नहीं आयी है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये स्टेशनों पर कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जो त्योहार इत्यादि होते हैं उनके सिलसिले में किसी को जेल भेजा जाय या किसी पर मुकदमा चलाया जाय, मैं समझता हूं यह चीज किसी को पसन्द न होगी। जो लोग सामाजिक संस्थाओं में हैं उनको यह कोशिश करनी चाहिये कि लोग इस बात को स्वयं समझें कि इस प्रकार से यात्रियों को कष्ट न दिया जाय।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ऐसा विचार है कि ऐसी घटनाओं की जगह की ग्राम पंचायतों को यह आदेश दे दिये जायं कि वे अपने-अपने गांवों में लोगों को ऐसा काम करने से रोकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसे मामलों में ग्राम पंचायतों से अपील करते हैं। सामाजिक बातों में हुक्म, आदेश या कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता मालूम नहीं देती।

सरकारी एलोपैथी दवाखानों के कम्पाउन्डरों की योग्यता तथा वेतन

**८---श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकारी एलोपैथी दवाखानों में काम करने वाले कम्पाउन्डरों (फारमेसेस्टि) का क्या वेतन है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---सरकारी एलोपैथिक अस्पताल में काम करने वाले ट्रेंड कम्पाउन्डरों का वेतन क्रम ४५-२-६५ द०रो० ३-८० द०रो० ४-१०० है, और अन्ट्रेंड कम्पान्डरों का ४५-२-६५ है।

**९---श्री लालबहादुर सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि इनकी शिक्षा की योग्यता क्या होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इनकी शिक्षा योग्यता हाई स्कूल पास है।

कांसकार गृह उद्योग सहकारी समिति, हाथरस द्वारा उद्योग मंत्री को प्रार्थना-पत्र

**१०---श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली बार जब वे हाथरस पधारे थे तब उनको कांसकार गृह उद्योग सहकारी समिति, हाथरस की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)---(अ) जी हां (ब) उस पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है और वह कार्यवाही कब तक शुरू हो जायगी ?

श्री बनारसी दास---एक तो इस प्रार्थना-पत्र में सेल्स टैक्स खत्म करने की मांग की गई थी। उसे सेल्स टैक्स कमिश्नर के पास भेजा जा रहा है। इसके लिये उपसमिति बैठी हुई है और वह उस पर विचार कर रही है। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है।

दूसरा प्रश्न यह है कि वहां सहयोग समिति को सहायता दी जाय आर्थिक, तो उसके लिये ग्रांट एन्ड लोन कमेटी है। यह प्रश्न उसके विचाराधीन है और सहयोग समिति को उसकी ओर से अवश्य सहायता दी जायगी।

तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[स्थगित किये गये।]

*४--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--[१९ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।)

*५-६--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--[१९ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये]

*७--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--[स्थगित किया गया।]

कानपुर रोडवेज कर्मचारियों का हड़ताल के समय का वेतन

*८--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५०-५१ में कानपुर के रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में भूतपूर्व यातायात मंत्री महोदय ने सदन में विश्वास दिलाया था कि हड़ताली कर्मचारियों की हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं काटा जायेगा ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--जहां तक मालूम हुआ है ऐसा कोई विश्वास नहीं दिलाया गया था। माननीय प्रश्नकर्त्ता इस तथा-कथित विश्वास का और अता-पता बतलायेंगे तो तहकीकात करा ली जायेगी।

*९--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन दिनों का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न नहीं उठता।

*१०-११--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--[१९ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--[१९ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला देवरिया में कृषि आय-कर की उगाही

*१३--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला देवरिया की चारों तहसीलों से अलग अलग कुल कितना एग्रीकल्चर टैक्स वसूल होता है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जिला देवरिया की चारों तहसीलों से अलग-अलग जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स वसूल होता है उसके प्रत्येक साल के ब्योरे जब से कृषि आयकर अधिनियम लागू हुआ है, सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२ पर)

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पडरौना में फार्म्स से कितना एग्रिकल्चरल टैक्स वसूल होता हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। लेकिन तहसील पडरौना में ज्यादा से ज्यादा टैक्स से मालूम होता है कि वहां बड़े फार्म्स ज्यादा है।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह टैक्स किसी के जिम्मे बाकी है। यदि हां, तो कितना ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---किसके जिम्मे बाकी है यह तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन टैक्स कुछ बाकी है।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १३६० फसली में इतना कम टैक्स क्यों वसूल हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कम लगा है टैक्स ऐसा मालूम होता है। कोई आपत्ति आ जाने के कारण आमदनी कम हुई, इसलिये टैक्स आप देखें कि तशखीश ही कम हुआ।

*१४-१५---**श्री रामसुभग वर्मा**---[१९ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

कतिपय ग्रामों में चरागाहों की व्यवस्था के लिये प्रार्थना

*१६---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार ऐसे गांवों में जिनमें कुछ भी गैर मजरुआ आराजी नहीं है चरागाह के लिये ऐसा आदेश निकालेगी कि यदि उन गांवों में ८ अगस्त, १९४६ के बाद चरागाहों का पट्टा कर दिया गया था तो जिलाधीश स्वयं जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५१ की संशोधित धारा २१२ के अनुसार कार्यवाही करके चरागाहों की व्यवस्था कर दें ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, ऐसे आदेश अब सरकार नहीं निकाल सकती क्योंकि अब जिलाधीशों को जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की संशोधित धारा २१२ के अधीन ऐसी कार्यवाही आरम्भ करने का कोई अधिकार नहीं रहा।

रोडवेज कर्मचारियों पर श्रम कानून लगाने का विचार

*१७---**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)---क्या यातायात मंत्री रोडवेज कर्मचारियों पर श्रम कानून लागू करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां।

रोडवेज के ड्राइवरों तथा कंडक्टरों की नौकरी का स्थायीकरण

*१८---**श्री रामदुलारे मिश्र**---क्या मंत्री जो रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर आदि कर्मचारियों की नौकरी स्थायी करने पर विचार कर रहे हैं ? अगर हां, तो क्या दो साल की नौकरी वाले कर्मचारियों को भी स्थायी करने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। क्योंकि कर्मचारी merit के आधार पर स्थायी किये जाते हैं, इसलिये २ साल की नौकरी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह कानून कब तक लागू हो सकेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कानून नहीं है; नीति है। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी ही इसको लागू किया जाय।

श्री रामदुलारे मिश्र––यह नीति जो है क्या यह सन् ५६ के आखिर में कार्य रूप में परिणत हो जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––मैंने अर्ज किया कि जल्दी से जल्दी यह निर्धारित कर दिया जायगा कि इतने परसेंट सर्विसेज में परमानेंट कर दिये जायं। इसके लिये सूचियां बन रही है और उस पर जल्दी कार्यवाही की जायगी।

अलीगढ़ जिले में बाढ़ से हानि

*१९––**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)––क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की किस किस तहसील में बाढ़ से कितनी फसल को हानि हुई है ? क्या ५० प्रतिशत से अधिक हानि हुये खेतों को लगान तथा आबपाशी से मुक्त कर दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––अलीगढ़ जिले में १९५५ में बाढ़ से ८५४५१ एकड़ भूमि की फसल को हानि पहुंचा। प्रत्येक तहसील के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में फसल में हानि की मात्रा इस प्रकार है:––

नाम फसल	हानि की मात्रा
ज्वार	१२ आना से १४ आना तक
बाजरा	१२ आना से १ रु० तक
ईख	४ आना से ८ आना तक
रुई	८ आना से १४ आना तक
मक्का	४ आना से १ रु० तक
उर्द तथा मूंग	१४ आना से १ रु० तक

५० प्रतिशत से अधिक हानि वाले खातों की मालगुजारी की वसूली ६ मास के लिये अभी स्थगित कर दी गई है। आबपाशी में ९,४७३ रु० की छूट दी गई है।

*२०––**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**––क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में बाढ़ का पानी न रुकने तथा बहाव के लिये कहां से कहां तक के नये नाले बनाने तय हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। Survey का काम किया जा रहा है।

*२१––**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**––क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में शतप्रतिशत अथवा ७५ प्रतिशत हानि हुई है उन खेतों के गरीब किसानों की बीज बिना मूल्य तथा तकावी की विशेष व्यवस्था की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––जन क्षेत्रों में शतप्रतिशत अथवा ७५ प्रतिशत हानि हुई है उन खेतों के गरीब किसानों को तकावी दी गई है। बिना मूल्य बीज नहीं दिया गया है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ––क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि प्रश्न २० के उत्तर में जो बताया गया है कि सर्वे का काम जारी है, तो वह कार्य कब तक पूरा हो जायगा और उसके नाले बनने कब तक आरम्भ होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––सब का कार्य आशा है कि जल्द से जल्द पूरा हो जायगा और नाले बनने का जहांतक सवाल है उस की भी योजना करीब करीब बन गई है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जो कृपा करके बतायेंगे कि यह तकावी का रुपया जो काटा गया है, वह कितनी रकम काटी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--२ लाख १० हजार रुपया तकावी का दिया गया है।

तहसील रसड़ा, जिला बलिया में कृषि की भूमि

*२२--**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील रसड़ा, जिला बलिया में कितनी भूमि पर कृषि होती है और कितनी भूमि ऐसी है जो कृषि योग्य पर खाली पड़ी है ?

श्री चरणसिंह--तहसील रसड़ा, जिला बलिया में २,२२,४९९ एकड़ भूमि पर कृषि होती है, और २६,८७९ एकड़ कृषि योग्य भूमि खाली पड़ी है ।

*२३-२४--**श्री गंगाप्रसाद सिंह**--[स्थगित किये गये ।]

जिला सीतापुर, तहसील सिधौली के किसानों के नाम का खातों से काटा जाना

*२५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा तेजनोपुर, परगना महमूदाबाद, तहसील सिधौली के कुछ खातों से किसानों के नाम सन् १३६२ फसली में अनियमित तरीके से काट दिये जाने की सूचना तहसीलदार साहब सिधौली को प्राप्त हुई थी, और उक्त सूचना सही साबित हुई थी ?

श्री चरण सिंह--जी हां।

*२६--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--इन गलत इन्द्राजों का जिम्मेदार केवल लेखपाल था जो मर चुका है, इसलिये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

जिला आजमगढ़ में अधबनी सड़कें

*२७--**श्री पद्मनाथ सिंह** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के मुहम्मदी दक्षिण में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत काझा-मऊ, काझा-बढुआ गोदाम और जहानागंज बाजार, जहानागंज स्टेशन, कच्ची सड़कें १९५३-५४ में बनानी आरम्भ हुई थीं, और इनमें से प्रत्येक आधी या लगभग आधी बन कर रुक गईं ?

श्री चरणसिंह--आजमगढ़ जिले के मुहम्मदी दक्षिण में काझा मऊ, काझा बढ़वा गोदाम तथा जहानागंज गठियांव सड़कों पर १९५३-५४ में टेस्ट वर्क से काम शुरू किया गया था। इन सड़कों पर काम पूरा होने के पहले से ही श्रमिकों के अभाव के कारण बन्द कर देना पड़ा।

*२८--**श्री पद्मनाथ सिंह** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या इन अधूरी सड़कों को पूरी बनाने की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह--इन सड़कों में से एक सड़क कांझामऊ पर इस वर्ष भी टेस्ट वर्क किया जा रहा है। जहां तक सड़कों के पूरा करने की बात है, टेस्ट वर्क लोगों को जीविका का प्रबन्ध करने के लिये खोले जाते हैं। टेस्ट वर्क चालू रखने की आवश्यकता पड़ी, तो पहले के अधूरे छूटे कामों को पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा।

*२९--**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)---[स्थगित किया गया।]

यातायात अधिकारियों के समक्ष पेश मुकदमों में वकीलों द्वारा पैरवी की मनाही

*३०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने Transport Authorities के सामने पेश होने वाले Cases में वकीलों को पैरवी करने से रोक दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, सरकार ने जनहित में ऐसा किया है।

*३१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि स्थानीय Oudh Bar Association ने अपनी गत १४ जनवरी की विशेष जेनरल मीटिंग में सरकार की उक्त आज्ञा का विरोध किया था और अपने प्रस्ताव से सरकार को सूचित किया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी ने जनहित में पैरवी करने वाले वकीलों के बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर विचार किया है? यदि हां, तो वह किस नतीजे पर पहुंचे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बार एसोसिएशन अवध से जो प्रस्ताव आया उस पर विचार किया जाता लेकिन वह वकीलों के हित में है, जनहित में नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार को मालूम है कि इन केसेज की अपील हाईकोर्ट्स में जाती है और वकील वहां पेश होते हैं और कानूनी जिरह करते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, कोई कोई केसेज चले जाते हैं, बहुत से नहीं भी जाते।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के सामने जो पेश होने वाले केसेज हैं उनकी पैरवी कौन करता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पैरवी खुद करते हैं या अपना एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन वकीलों को पैरवी करने से रोकने का क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह असल में सेमी जूडीशल (अर्धकानूनी) प्रोसीडिंग्ज हैं। इसमें वकील लोग अपना मेहनताना ज्यादा लेने के लिये देर करते हैं। इसलिये जो परमिट होल्डर्स का मंशा होता है वह खत्म हो जाता है। दूसरे खामखा उलझन पैदा होती है। इससे जल्दी नहीं होती बल्कि और उलझन पैदा होती है।

श्रीमती चन्द्रवती—माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो एजेंट मुकर्रर किये जाते हैं वह वकीलों में से होते हैं या बाहर से?

श्री चतुर्भुज शर्मा—एजेंट तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर माननीय सदस्यों की राय होगी तो वकील उसमें एजेंट नहीं हो सकेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या इन सेमी जुडीशल बाडीज की तरफ से ऐसा सुझाव आया था कि वकीलों की पैरवी से दिक्कत या उलझन पैदा होती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह कार्यवाही की गई तो समझना चाहिये कि कहीं न कहीं से सुझाव आया था, और उनके भी ऐसे सुझाव हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी वकीलों की वकालत करने वालों के सुझाव पर कुछ ध्यान देंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वकीलो की वकालत करते हैं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, अगर वकीलों का कार्य आये। लेकिन चूंकि सारी जनता का सवाल है इसलिये सब की दृष्टि से इस पर विचार किया जायगा।

जिला खीरी में १३६२ फसली में बाढ़ से ज़मीन का कटाव और लगान में मुस्तकिल छूट

*३२—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला खीरी में सन् १३६२ फसली में दरिया के कट जाने के कारण किन-किन ग्रामों के विषय में लगान की मुस्तकिल छूट (Permanent Remission) के लिये उसे प्रार्थना-पत्र मिले, अथवा किसी और जरिये से सूचना प्राप्त हुई?

श्री चरणसिंह—ऐसे ग्रामों की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। यह सूचना लेखपालों अथवा जनता द्वारा प्राप्त हुई थी।

*३३—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि किन-किन ग्रामों के विषय में मुस्तकिल छूट लगान की कार्यवाही की गई है?

श्री चरणसिंह—उन सभी ग्रामों के विषय में, जिनकी एक सूची प्रश्न ३२ के संबंध में माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३–७४ पर)

*३४—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला खीरी में इस वर्ष कौन-कौन से ग्राम दरिया से कट गये हैं? और क्या सरकार इन ग्रामों में मुस्तकिल छूट लगान देने के विषय में कार्यवाही करा रही है?

श्री चरणसिंह—ऐसे ग्रामों की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। इन ग्रामों के विषय में मालगुजारी घटाने की कार्यवाही की जा रही है।

*३५–३६—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—[स्थगित किये गये]

*३७–३८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[१९ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये]

८ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न ११ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—माननीय मुज़फ़्फ़र हसन साहब आपना वक्तव्य देंगे।

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, तारीख ८ मार्च को तारांकित प्रश्न संख्या ११ के संबंध में श्री श्रीचन्द ने एक अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि जो पैरोल का समय होगा वह उसकी कैद के समय में सम्मिलित किया जायगा या नहीं? मैंने उस समय उत्तर में कहा था "जी हां, वह उसमें जोड़ा जायगा।" यह उत्तर सही नहीं है। उसका ठीक उत्तर इस प्रकार है—

"पैरोल का समय उसमें नहीं जोड़ा जायगा।"

कृपया कार्यवाही में उसके अनुसार संशोधन कर दिया जाय।

नोट—८ दिसम्बर, १९५६ की कार्यवाही में तदनुसार शोधन कर दिया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी के श्री राज्यपाल पर आक्षेपात्मक कथन के निस्सारण की मांग पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—तारीख ७ मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुदान संख्या १२ के संबंध में विवाद पर उत्तर देते समय मेरा ध्यान श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के उसी दिन के भाषण के उस भाग की ओर आकृष्ट किया जिसमें उन्होंने सड़क की एक घटना के सिलसिले में महामान्य राज्यपाल के संबंध में भर्त्सनापूर्वक टीका-टिप्पणी की थी और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मैं उन वाक्यों को सदन की कार्यवाही से निकाल दूं क्योंकि प्रक्रिया नियमावली के नियम १८२ (५) के अनुसार श्री राज्यपाल के कार्यों पर टीका टिप्पणी करना निषिद्ध है।

मैंने वायदा किया था कि मैं उस मामले को देखूंगा और अन्य पार्टियों तथा ग्रुपों के नेताओं को आश्वासन दिया था कि मैं निर्णय देने के पूर्व उनके मतों की जानकारी प्राप्त कर लूंगा। पिछले ४ दिन मैंने उन सभी नेताओं से परामर्श करके उनकी राय प्राप्त कर ली और मैं अब अपना अंतिम निर्णय इस विषय में दे रहा हूं।

प्रक्रिया नियमावली जिसे इस सदन ने स्वीकार किया है उसका नियम १८२ भाषणों के तथा प्रश्नोत्तरों के औचित्य की सीमा निर्धारित करता है। उसके उपखंड (५) तथा (६) के पढ़ने से स्पष्ट है कि भाषणों में कोई टीका श्री राज्यपाल के कार्यों की सदन में नहीं की जा सकती। यदि वह टीका उनके व्यक्तिगत पर व्यक्तिगत कार्यों के लिये समझी जाय, तो वह अधिक आक्षेपार्ह होगी, क्योंकि जो व्यक्ति सदन में प्रतिवाद करने के लिये उपस्थित नहीं है उसके विरुद्ध उसे बदनाम करने वाले वाक्य कहना भी निषिद्ध है।

इस संबंध में कुछ नियम तथा प्रथायें जो अन्य पार्लियामेंट्री संस्थाओं में अमल में लायी जाती हैं उनका मैं जिक्र करता हूं:

इर्सकीन मै ने अपनी पुस्तक पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ट ४३५ से ४३७ में यह कहा है कि बादशाह का नाम अनादरपूर्वक सदन में नहीं लिया जा सकता और उसके प्रतिनिधि में नहीं लिया जा सकता और उसके प्रतिनिधि के कार्य पर कोई छींटाकशी नहीं की जा सकती है।

यह सर्वविदित है कि श्री राज्यपाल भारतीय रिपब्लिक के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के नाते उसी प्रकार का स्थान रखते हैं और इस प्रदेश के प्रधान है और इस कारण अनादर-पूर्वक उनके काम का जिक्र करना या उनके कार्य पर आलोचना करना भाषणों में नियमानुसार निषिद्ध किया गया है।

इस संबंध का एक निर्णय सन् १९४३ में बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष ने भी दिया था जो इस प्रकार है—

"श्री राज्यपाल के वैयक्तिक कार्य पर प्रदेश के प्रधान के पद से उनका व्यक्तित्व पृथक करके भी विवाद नहीं किया जा सकता"

इसी प्रकार थोड़े ही समय पूर्व लोकसभा के उपाध्यक्ष ने जो निर्णय दिया और जिसकी सूचना माननीय राजनारायण जी ने मुझे दी वह भी इसी दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। उसका एक उद्धरण मैं आदरणीय सदन के सम्मुख रखता हूं जो अंग्रेजी में है। वह इस प्रकार है:—

"Mr. Deputy Speaker—Order, order. There is no good misunderstanding this matter. My ruling was only this. Any reflections on a high dignitary of a State ought not to be allowed on the floor of the House, especially when there are the State Legislative Assemblies; just as we do not make any reflections on the President here, likewise, we ought not to make

reflections on the conduct of high dignitaries of States. If a Members says the Governor went there, others went there, it is all right, but to say he went in this manner and that manner, does not conduce tc a proper discussion here. And since it is a serious reflection on the Governor who is not before us, the hon. Member can avoid all this."

श्री रामनारायण जी की टीका-टिप्पणी पर उक्त नियम तथा प्रथाओं की दृष्टि से दृष्टिपात करने से मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके भाषण में जो टीका की गई है वह नियमों का उल्लंघन करती है और इस प्रकार की टीका करने से उन्हें रोका जा सकता था यदि अध्यक्ष का ध्यान उसी समय आकृष्ट किया जाता। परन्तु वह अवसर बीत गया और मेरा ध्यान उसी दिन की शाम को बाद में मुख्य मंत्री जी ने आकृष्ट किया और अब उक्त भाषण के आक्षेप के भाग को कार्यवाही से निकालने का ही प्रश्न मेरे सामने निर्णय के लिये है।

दिसम्बर १८, १९५२ को मैं यह निर्णय दे चुका हूं कि सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा की रक्षा की जिम्मेदारी अध्यक्ष पर होने से और कार्यवाई उचित रूप से प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भी उस पर ही होने से अध्यक्ष ही भाषणों के उन अक्षेपार्ह अंगों को कार्यवाही से निकाल सकता है जो सदन की मर्यादा का उल्लंघन करते हों या प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाते हों या भ्रमोत्पादक हों। मैं यह स्पष्ट समझता हूं कि श्री राम नारायण जी के भाषण का वह अंश जो उक्त घटना का वर्णन तथा राज्यपाल के कार्य पर टीका करता है नियम १८२ (५) व १८२ (६) के अनुसार भाषण की मर्यादा का उल्लंघन करता है इसलिये मैं यह निर्णय देता हूं कि वह कुल भाग कार्यवाही का भाग न रहेगा। इसी प्रकार जो उक्त घटना के संबंध में पक्ष या विपक्ष में किसी सदस्य ने व्योरा दिया है या टीका की हो वह भी कार्यवाही का भाग नहीं रहेगा।

अब मैं विरोधी दल के नेता के मन की एक आशंका जिसे उन्होंने व्यक्त किया था, उस संबंध में कुछ जिक्र करूंगा। हमारे संविधान में काफी प्रबन्ध इस बात का मौजूद है कि न्यायालय द्वारा किसी शिकायत पर कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त कर ले। यह आदरणीय सदन न्यायालय का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता। हां, यदि संविधान के द्वारा न्यायालय से न्याय प्राप्त करना किसी विषय में निषिद्ध किया गया हो और शिकायत सत्य पर आधारित हो तो यह आदरणीय सदन अपने को असहाय नहीं पायेगा लेकिन शिकायत या घटना की पहले इस सदन की प्रतिष्ठा और रीति के अनुसार निष्पक्ष जांच होकर सत्यता जान लेनी आवश्यक होगी। ऐसा यदि भविष्य में अवसर उत्पन्न हुआ तो मैं उचित प्रथा का सुझाव सदन के सम्मुख रखूंगा।

इस अवसर पर एक बात की ओर संकेत करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। सत्यशोधक का सर्वप्रथम और अनिवार्य प्रयास यही होता है कि वह पक्ष और विपक्ष के बयान की जानकारी प्राप्त कर ले और फिर जो जानकारी अन्य लोगों से प्राप्त हो उसकी जानकारी लेने पर क्या बात सत्य है, उसका निश्चय करे। इस प्रकार का प्रयत्न श्री राम नारायण जी के द्वारा नहीं किया गया। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एक ही पक्ष की बातों पर भरोसा करके आलोचना की और दूसरे पक्ष की बातें जानने का प्रयास नहीं किया। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आलोचना एकतरफा जानकारी के आधार पर करना इस आदरणीय सदन के किसी भी सदस्य की प्रतिष्ठा के लिये अनुचित है और इस तरीके को किसी भी तर्क से सत्यशोधन का मार्ग नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत विषय पर दृष्टिपात करने से मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि यद्यपि सदन में उक्त वक्तव्य का प्रतिवाद हो चुका है तथापि वह नियमवाह्य होने से उस कार्यवाही से उसके प्रतिवाद के साथ हटा देना ही उचित होगा जिसमें एकतरफा मालूमात पर कोई बात इस सदन में कहीं जाने के लिये प्रोत्साहन न मिले।

१९५६-५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५६-५७ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्तावों पर विचार होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अनुदान संख्या २७---उद्योग और अनुदान संख्या ४५---औद्योगिक विकास आदि एक साथ ले लिये जायं।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अनुदान संख्या ३७ भी साथ ही ले लिया जाय तो अच्छा होगा क्योंकि वह भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से संबंधित है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---डिपार्टमेंट का फिर तो सभी है, प्लानिंग वगैरह सभी ले लिया जाय। सिर्फ अनुदान संख्या २७ और ४५ आज ले लिया जाय और बाकी कल लिया जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, यह जो लेखन सामग्री तथा छपाई विभाग का जो अनुदान है वह इसी विभाग के अन्तर्गत आता है इसलिये उसको भी आज ही साथ ही साथ ले लिया जाय। यह भी एक बड़ा उद्योग है और बाकी उद्योगों के साथ सबको मिलाकर विचार किया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है। मैं इसलिये यह सिफारिश करता हूं और नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसको मंजूर कर लें और आज ३७वें अनुदान पर भी विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---इसमें क्या है आप उसके लिये अलग से एक कटमोशन दे दें और इसको लें लें तो कैसा रहेगा?

श्री जगन्नाथ मल्ल---नारायण दत्त जी उस पर बोलना चहते हैं।

श्री अध्यक्ष---तो उसके लिये अलग से एक कटमोशन दे दीजिये और वे उस पर बोल लें।

श्री जगन्नाथ मल्ल---नारायण दत्त जी आज हैं नहीं और वे उस पर बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है यह दिवकत काफी है। रहने दिया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---रहने दिया जाय। मुझे आपत्ति नहीं है, जैसा वे चाहें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--- इसके पहले कि माननीय मंत्री जी कुछ भाषण दें मैं एक प्रार्थना आपके जरिये उनसे करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच तो प्रेस वालों को दे ही दी है और उसके बाद वे एक-डेढ़ घंटा ले लेते हैं। तो या तो हमको भी इतना मौका मिलना चाहिये कि हम उनकी बात का जवाब दे सकें, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब तक आपोजीशन को पूरा मौका नहीं मिलता है तब तक वह अपना पार्ट प्ले नहीं कर सकता है, या फिर माननीय मंत्री जी कम बोलें और हम लोगों को इस बात का मौका दें कि हम गवर्नमेंट के उद्योग विभाग पर कुछ टीका-टिप्पणी कर सकें। यह उनसे प्रार्थना है, वैसे तो अख्तियार उनको है, जो चाहें वह कर सकते हैं। प्रेस उनका है.....

श्री अध्यक्ष---आप तो प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना के साथ छंटाकशी को छोड़ दीजिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--वह तो मेरी प्रार्थना ही है, अध्यक्ष महोदय और उस पर वह ध्यान दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-- अच्छी बात है, वह खयाल रखेंगे।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--

अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग तथा अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुत)--अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मदन मोहन जी यह चाहते हैं कि मैं कुछ न बोलूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं परन्तु मैं अपनी जिम्मेदारी को ठीक निभाता हुआ नहीं पाया जाऊंगा यदि मैं उन कार्यों का संक्षेप में इस सदन के समक्ष ब्योरा न दूं जो वित्तीय वर्ष में मैं करने वाला हूं या मेरा विभाग करने वाला है और साथ ही मैं थोड़ा बहुत वर्णन उन चीजों का न करूं जो कि इस वर्ष में की गयी हैं। मुझे इसके लिये वह क्या क्षमा करेंगे यदि जैसे मैंने पिछले वर्ष घंटे भर का समय लिया था आज भी यदि लेने की चेष्टा करूं ?

(कुछ ठहर कर)

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत ५,४३,३३,००० रुपये की मांग को स्वीकार किया जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २,८५,७४,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं जैसा अभी निवेदन कर रहा था, यह अनुदान ऐसे विषय से सम्बन्ध रखते हैं जिसका सम्बन्ध इस प्रदेश के जीवन मरण से है। जैसे एक बार हमारे श्रद्धेय इस सदन के नेता मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यदि प्रदेश के औद्योगीकरण की तरफ हम दृष्टिपात करना चाहते हैं तो वह इसलिये करना चाहते हैं कि औद्योगीकरण इस प्रदेश के लिये उसके जीवन और मरण का प्रश्न है। जब हम इस हालत को भी सामने रख लेते हैं कि इस प्रदेश का अब तक मुख्य व्यवसाय या उद्योग खेती ही रहा है और ७४ फीसदी से अधिक व्यक्ति इस प्रदेश के खेती के ऊपर ही आश्रित रहे हैं तब हमें औद्योगीकरण करने की चिन्ता और भी आकर घेर लेती है। क्योंकि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से खेती का रोजगार चल रहा है और जिस संख्या में लोग इस पर आश्रित हैं यदि उस संख्या का मुकाबला अन्य प्रदेशों से करें, तो हमें पता चलता है कि उद्योगों के विषय में हम बहुत पिछड़े हुये हैं और अधिकतर व्यक्ति खेती को ही अपना रोजगार मान कर अपना स्तर ऊंचा उठाने पर ध्यान दे रहे हैं। क्या यह अपना स्तर ऊंचा कर सकेगा ? यह प्रश्न हमारे सम्मुख है और हमें इस प्रश्न का हल ढूंढ़ निकालना है। यदि हम आंकड़ों की तरफ जायं तो हमें पता चलता है कि वेस्ट बंगाल जहां धनी आबादी काफी घनी हो गई है वहां ५७ फीसदी लोग खेती को अपना रोजगार बनाकर कार्य कर रहे हैं और बम्बई और मद्रास में ६१ और ६५ फीसदी व्यक्ति खेती पर आश्रित रह रहे हैं और हमने अनुभव किया है कि देहाती क्षेत्रों में जहां के आंकड़े थोड़े दिन हुये छपे थे, बेरोजगारी काफी मात्रा में समझी जाती है, वहां १६ फीसदी व्यक्तियों में जो व्यक्ति

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

अलावा खेती के और कार्यों में लगे हैं उनमें से एक तिहाई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अन्य रोजगारों में अपना समय देते हैं। तो यह आंकड़े इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये नितान्त आवश्यकता है कि हमारा ध्यान अधिक मात्रा में उद्योग धंधों की ओर जाय और इसीलिये इस प्रदेश की सरकार ने पिछले वर्ष से अपना ध्यान इधर की ओर लगाने का प्रयत्न किया है। इस प्रदेश की सरकार की बात ही क्यों कहें बल्कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह बात निर्विवाद रूप से मान ली गई है कि सारे प्रदेश को उद्योग धंधों की ओर ध्यान देना है और इसीलिये जैसे कि विभिन्न आंकड़े इस आयोग की योजना को देखने से पता चलता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मंशा भी अधिक मात्रा औद्योगीकरण की ओर ही है और बड़े-बड़े उद्योग धंधों से लगाकर छोटे-छोटे घरेलू धंधे इससे जुड़े हुए हैं।

जो ४,८०० करोड़ की योजना केन्द्रीय आयोग ने प्रकाशित की है उसमें २० फीसदी रुपया सारे खर्च का उद्योग धंधों की ओर रखा गया है जिसमें वह धनराशि सम्मिलित नहीं है जो हम पावर के लिये और उसके प्रोडक्शन के लिए व्यय करने वाले हैं और जो रेलवे पर व्यय करने वाले हैं। यदि वह आंकड़े हम सामने रखें तो हमें पता चलेगा कि २९ फीसदी रेलवे पर व्यय होने वाला है और इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग धंधों का प्रसार करने के लिये ही है और पावर का प्रोडक्शन भी इसीलिये हम अधिक मात्रा में करने वाले हैं जिससे हमें उद्योग धंधे उससे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिले और उनके संचालन में अधिक मदद मिले।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमने भी अपने सीमित दायरे और आंकड़े में रहते हुये इस बात का इस वर्ष योजना बनाते समय प्रयास किया है कि हमारा ध्यान अब अधिक मात्रा में उद्योग धंधों की ओर जाय। यद्यपि हमने जो योजना बनाई थी, उसमें अधिक धनराशि उद्योग धंधों के बजट के तहत में रखी थी; लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि वह केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार नहीं की। ताहम उन्होंने उद्योग धंधों के विभाग के तहत में, बिजली विभाग के तहत में और एग्रीकल्चर विभाग के तहत में इन योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है जो उद्योग धन्धों के संचालन में मदद दे सकती हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर विभाग के तहत में हमने धनराशि शुगर केन के विकास के लिये रखी है या इसी के तहत में डेरी के उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिये या उन के व्यवसाय को बढ़ाने के लिये रखी है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग धंधों को बढ़ाने का ही है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इधर ध्यान दिया है...और इसी वर्ष से इस प्रदेश की सरकार का ध्यान अधिक मात्रा में उद्योग धंधों की तरफ जा रहा है और उनके संचालन और उनके फैलाने के लिये वह प्रयास कर रही है।

किस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और हमारा ध्यान अधिक मात्रा में घरेलू उद्योगों की तरफ जाय, या अधिक मात्रा में बीच के उद्योग धंधों की तरफ जायं या बड़े-बड़े उद्योगों की तरफ जाय, यह एक प्रमुख प्रश्न आज प्रदेश की ही सरकार के सामने नहीं है, बल्कि सारे देश के सामने है, केन्द्रीय आयोग के सामने है, और जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को विदित है, आयोग ने कुछ निर्णय किये हैं, कुछ फैसले किये हैं कुछ सुझाव दिये हैं, और उन सुझावों की तहत में विभिन्न प्रदेशीय सरकारों को कार्य करना है उद्योग धंधों के विकास के लिये, उनके संचालन के लिये, और जैसा हम जानते हैं, उन्होंने बेसिक इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दी है। छोटे-छोटे उद्योगों और घरेलू उद्योगों को काफी मात्रा में विकसित करने का प्रयास किया है। उसी के अनुसार हमने भी इस प्रदेश

में अपनी योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा है कि अगर उत्तर प्रदेश का उद्योगीकरण करना है तो हम गांव से लेकर बड़े-बड़े शहरों तक ऐसे उद्योग धंधों को निर्मित करना होगा जिससे कि उद्योग धंधों का एक ऐसा पिरामिड खड़ा हो जाय कि जो गांव की सतह पर छोटे-छोटे उद्योग धंधों को चलाने के लिये, बीच के उद्योग धंधों को चलाने के लिये और शहरों में बड़े और बेसिक उद्योग धंधों को चलाने के लिये वह एक प्लैनर्स की तरह पर काम कर सकें।

आज अपने प्रदेश की इकोनामी को चलाने के लिये हमें डाइवर्सीफाइड इकोनामी का निर्माण करना है। बड़े-बड़े उद्योग धंधे जैसा कि हम जानते हैं कि अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हैं, परन्तु वे आवश्यकीय हैं, उन छोटे-छोटे उद्योग धंधों के संचालन के लिये, उनकी सामग्री को बनाने के और उनको सामग्री बनाने के सुभीते प्रदान करने के लिये। इसी तरह से बीच के उद्योग धंधों की भी आज आवश्यकता है क्योंकि उनके द्वारा कभी-कभी बड़े उद्योग धंधों के संचालन में मदद मिलती है, कभी-कभी उनसे आवश्यकीय वस्तुएं और पदार्थ तैयार किये जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा सारा ध्यान डाइवर्सीफाइड इकोनामी की तरफ गया और उसको ध्येय बना कर हमने इस योजना को बनाने की धृष्टता की है। यद्यपि इस योजना की तहत में बहुत सी वह मांगें हम नहीं रख पाये कि जिनकी आवश्यकता थी और न उस मात्रा में रख पाये हैं कि जिस मात्रा में वह हमारी मांगों के निराकरण के लिये आवश्यकीय थीं, परन्तु जैसे हमारे पास साधन थे, उनको सामने रखते हुए हमने प्रयास किया है कि हम बड़े-बड़े उद्योग धंधों, बीच के उद्योग धंधों और घरेलू उद्योग धंधों को अपने प्रदेश में काफी मात्रा में बढ़ाने का प्रयास करें। छोटे-छोटे उद्योग धंधों की जो खामियां हैं उनको दूर करें और हममें से हर एक जानता है कि जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनमें बहुत सी पुरानी प्रचलित प्रथायें चल रही हैं जिनकी वजह से वह विकसित नहीं हो पाये हैं, जिनकी वजह से वह फैल नहीं पाये हैं। उनकी कमी को दूर करके नये आधुनिक विज्ञान के ज्ञान से और साथ में उनके लिये नये-नये बाजार खोल कर, नये-नये बाजारों में उनका प्रसार करें और इसलिये हमने इस योजना के तहत में इस बात की कोशिश की है कि हम उन छोटे-छोटे उद्योग धंधों को चलाने के लिये, उनके प्रसार के लिये, उनकी कमियों को दूर करने के लिये, उनको साधन मुहैय्या करने के लिये, धनराशि प्रदान करने की इन सारी कार्यवाहियों को अपने कंधों पर उठायें जिससे कि घरेलू उद्योग धंधे हमारे बीच में काफी मात्रा में विकसित हों। मैंने अभी आपको बताया कि बड़े-बड़े उद्योग धंधों की ओर भी हमारा ध्यान रहा है और जैसा कि इस सदन को भलीभांति ज्ञात है कि दो उद्योगों को हम कई वर्षों से चला रहे हैं और उनको हम और विकसित करना चाहते हैं। उनकी पैदावार की जो मात्रा है उसे बढ़ाना चाहते हैं। कदाचित सीमेन्ट फैक्टरी और प्रेसिजन फैक्टरी यह दो पब्लिक सेक्टर में ऐसी संस्थायें हैं जो दो वर्ष से हमारे बीच में काम कर रही हैं और उत्तरोत्तर अपने बीच में खामियां और कमजोरियों के रहते हुये भी प्रगति करने के चेष्टा कर रही हैं। इन उद्योग धन्धों के संचालन में हमसे भूलें हुई हैं और गलतियां हुई हैं हमको अनुभव नहीं था और समय-समय पर अड़चनें आयी हैं. लेकिन उत्तरोत्तर हम प्रगति की ओर बढ़े हैं और बड़े-बड़े उद्योग धंधे जिनको हमने अपने हाथ में लिया है, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कदाचित् यह पहले हो बड़े-बड़े उद्योग धंधे थे जिनको प्रदेशीय सरकार ने स्वयं संचालित किया है, तो उनके संचालन में और उनको आगे बढ़ाने में हमारा प्रयास निरन्तर रहा है। आप जानते हैं कि जहां तक सीमेन्ट फैक्टरी का विषय रहा है, सीमेन्ट की फैक्टरी उत्तरोत्तर, जैसा कि मैंने बताया, कमी रहते हुये भी,

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

करीब २ लाख ५० हजार टन सीमेन्ट तैयार कर चुकी है और अभी कल मुझे यह सूचना मिली कि फरवरी के पिछले महीने में जो उसने अपना प्रोडेक्शन किया और जो उसने सीमेन्ट तैयार किया है उसकी मात्रा बढ़ी है, जो कि उसकी रेटेड कैपेसिटी है वह करीब ६३३ टन रोजमर्रा की है लेकिन पिछले महीने में जो आंकड़े हमारे पास आये हैं उनसे विदित होता है कि उसका उत्पादन उसकी रेटेड कैपिसिटी से भी आगे बढ़ गया है। ६७३ टन एवरेज रोजाना का महीने भर उत्पादन उस फैक्टरी में हुआ है।

जहां तक प्रेसिजन फैक्टरी का सम्बन्ध है, सब माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वह करीब १,१०० मीटर प्रतिमास तैयार करती है। हमारी अभिलाषा यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत में करीब ३६ हजार मीटर और ३ हजार माइक्रोस्कोप उस फैक्टरी के तहत में निकालें जिससे वह उद्योग धन्धा भी अपने प्रदेश में आगे बढ़ सके। इसके साथ ही हमारी अभिलाषा यह है कि हमारी जो बोबिन फैक्टरी बरेली में है उसमें ५० लाख की धनराशि लगा कर उसमें रेलवे बैगन्स तैयार करें यह काम हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत में करना चाहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम बड़े-बड़े उद्योग धन्धों को अपने प्रदेश में जल्द से जल्द संचालित करना चाहते हैं। लेकिन सदन को यह भी ज्ञात है कि बड़े-बड़े उद्योग धन्धों का जो यह विषय है यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है। पब्लिक सेक्टर में जो फैक्टरी हैं उनका संचालन और उनका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का विषय है। इसलिये पिछले वर्ष से हम बराबर इस चेष्टा में लगे हुये हैं कि केन्द्रीय सरकार हमारे बीच में, पब्लिक सेक्टर में बड़े उद्योग धंधों को लगाये जिससे कि इस प्रदेश के नवयुवकों को उन फैक्टरियों में काम करने का अवसर मिले और वे अपने बीच से बेरोजगारी को दूर कर सकें।

हमारा कई महीने से यह बड़े जोर से प्रयास रहा है कि हमारे यहां हेवी इलेक्ट्रिकल फैक्टरी लगायी जाय। दुर्भाग्य से जो कल सूचना मिली और जो अखबारों में पढ़ा उससे मालूम हुआ कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश के विरुद्ध हुआ। जैसे ही कल मैंने निर्णय अखबारों में पढ़ा तो वहां के माननीय अपने मित्रों से श्रद्धेय पन्त जी से बातचीत की। उनसे बातें करने पर पता चला कि जो एक्सपर्ट इस निर्णय के लिये नियुक्त किये गये थे उन्होंने जिन स्थानों के लिये यहां से सिफारिश की गयी थी उन स्थानों को उपयुक्त नहीं बताया और बताया कि वहां पर पब्लिक सेक्टर में, जो केन्द्रीय सरकार के बड़े उद्योग धन्धे लगने वाले हैं, वह यहां नहीं लग सकते। यह निर्णय हमारे विरुद्ध किया गया है। यद्यपि हम इस विषय में फिर केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी कर रहे हैं किन्तु फिर भी हम नहीं कह सकते कि जो कन्सल्टेंट बाहर से आते हैं और इन चीजों का निर्णय करते हैं वह इस बात को भी ध्यान में रखते हैं जो कि केन्द्रीय आयोग ने स्वयं अपनी योजना के तहत में रखी है कि जो एरिया बैकवर्ड हैं और जहां पर बड़े-बड़े उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाये हैं वहां केन्द्रीय आयोग की नीति उद्योग-धंधे लगाने की है। किन्तु इस विषय में मैं यहां पर इस समय चर्चा नहीं करूंगा। सिर्फ मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि हमारा ध्यान बड़े-बड़े उद्योग-धंधों की तरफ है। यही कारण था कि हमने जब इसके अधीन अपनी योजनाओं के तहत में जो बजट पेश किया है उसमें कुछ धनराशि ऐसे व्यक्ति के लोन के लिये रखी है जो हमारे प्रदेश में बड़े उद्योग-धन्धे लगा सकें। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने ३ करोड़ रुपये की धनराशि उद्योगपतियों को सहायता देने के लिये रखी है, जो हमारे प्रदेश में इन उद्योगों को लगा सके। जिस पब्लिक सेक्टर में अभी तक कोई उद्योग-धन्धा नहीं लग सका है वहां ऐसे उद्योगपति या उद्योगों को चलाने वाले कोई काम करें तो हम उनकी सहायता कर सकें।

बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के लिये हमने कम रेट पर बिजली देना स्वीकार किया है और प्रदेशीय सरकार ने ३ करोड़ रुपये की धनराशि लोन के रूप में देने के लिये रखी है ताकि जो लोग हमारे प्रदेश में सोडा ऐश, रेयोन, साइकिल या टैक्सटाइल इत्यादि का काम बढ़ाना चाहते हैं वे बढ़ा सकें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमने प्रदेश में उद्योग धंधों की एक नई हवा बनाने की चेष्टा की है। मुझे इस बात के कहने में खुशी होती है कि हमारी इस नीति के तहत में बहुत से बाहर के कारखाने वालों ने हमसे लोन और बिजली के रेट में कमी चाही है। हम ऐसी अर्जियों का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि उद्योग धंधों का एक नया वातावरण हमारे प्रदेश में बढ़े। भले ही हम पब्लिक सेक्टर में उद्योग न लगा सकें क्योंकि केन्द्रीय आयोग हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है, तो हम अपने यहां प्राइवेट सेक्टर में तो लगा सकते हैं। बड़े-बड़े उद्योग-धंधे का संचालन केन्द्रीय सरकार स्वयं अपने हाथों में रख कर संचालित करने की चेष्टा करेगी। हमने पौने सात करोड़ रुपये की धनराशि इसलिये रखी है कि हम लोगों को लोन इत्यादि दे सकें। अपने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जहां पब्लिक सेक्टर में उद्योग-धंधे नहीं लग पा रहे हैं या जिनके लिये हमें केंद्रीय आयोग ने धनराशि नहीं दी है। अकसर इस बात की बहस हुआ करती है कि हम पब्लिक सेक्टर में यह कार्य क्यों नहीं करते। तो हमारी भी सीमायें हैं और प्लानिंग कमीशन के तहत में हमको काम करना पड़ता है जबकि हमारे पास स्वतः धन नहीं है और रुपये के लिये हमें केन्द्रीय सरकार पर आश्रित रहना पड़ता है। इसके प्लानिंग और विधान के तहत में रहते हुये हमें पब्लिक सेक्टर में कोई कार्य करने की इजाजत मिल सकती है क्योंकि उनका लाइसेंस भी तो केन्द्र ही प्रदान कर सकता है।

हमने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ कोआपरेटिव फैक्ट्री लगाने का आयोजन किया है। ४ की हमें आयोग ने इजाजत दे दी है और अभी थोड़े दिन हुये खाद्य मंत्री जी आये थे। उनसे बातें हुई और उन्होंने कहा कि वे अधिक फैक्ट्री देने के लिये उद्यत रहेंगे और २ का उन्होंने वादा किया और हमारा आग्रह दो के लिये और है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रियाँ भी हम लगाना चाहते हैं और उनकी संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं। हमने इस बात का अनुभव करके कि बड़े-बड़े उद्योग-धंधे हमारे तभी अच्छी तरह से चल सकेंगे जब कि हमारे यहां कुछ खनिज पदार्थ उपलब्ध होंगे, एक जिग्रालोजीकल सर्वे कि स्थापना की। अभी तक हमारे प्रदेश में गवर्नमेंट आफ इंडिया का ही जियालोजीकल सर्वे जहां-तहां होता रहा है और दुर्भाग्य से प्रदेश की सरकार की ओर से यह अनुसंधान अभी तक नहीं हुआ था। इसी वर्ष से हम अपने विभाग से उन क्षेत्रों में अनुसंधान करा रहे हैं जहां हम समझते हैं कि कदाचित कुछ खनिज पदार्थ मिल सकेंगे। जियालोजीकल सर्वे उत्तरोत्तर अपने कार्य को बढ़ाता जा रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम इस कार्य को और बढ़ाना चाहते हैं और करीब ७३ हजार रुपये की धनराशि हम और खर्च करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा ध्यान जियालोजिकल सर्वे की ओर भी काफी मात्रा में गया है।

जैसा मैंने कहा है, हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सीमेंट और प्रीसीशन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री को बढ़ाने की नीति अपनायी है। हमारी इस नीति को देखकर प्राइवेट उद्योग धंधे वालों ने भी अपने कारखानों को बढ़ाना चाहा है। कम से कम २० हमारी शुगर फैक्ट्रीज ने अपनी कैपेसिटी बढाने के लिये लाइसेंस प्राप्त कर लिये हैं प्रदेशीय सरकार की सिफारिश पर। एक कपड़े की फैक्ट्री ने अपने यहां ३००, ३५० लूम्स बढ़ाने की इजाजत

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

तथा लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है और एक कम्पनी ने कागज और कार्ड बोर्ड इत्यादि की फैक्ट्री को बढ़ाने के लिये केंद्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। एक फैक्ट्री ने, जो बिजली का कार्य कर रही है ग्लास की ट्यूबिन्गस के बनाने का और एक्सपेंशन के लिये केंद्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है; तो हमारी इस वर्ष की नीति ने यहां के उद्योग धंधों में लगने वाले लोगों को प्रेरणा दी है और वे ऐसा अनुभव करने लगे हैं कि वे अपने उद्योग-धंधों को बढ़ावें और उनको विकसित करने के लिये प्रदेशीय सरकार जो सहायता उन्हें पहुंचा सकती है, पहुंचाने के लिये तैयार है।

आज प्राइवेट सेक्टर को भी यदि प्रदेश में कार्य करना है तो वह पुरानी नीति को अपना कर तो कार्य नहीं कर सकती। उसे तो अब उस योजना के तहत में कार्य करके हमें सहायता देनी होगी जिसे आज हम देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्यान्वित करना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता कि मनमाने ढंग से कोई उद्योगपति अपने प्रदेश में आज कहीं भी उद्योग धंधा खड़ा करने का प्रयत्न करें। आज केन्द्रीय सरकार इस बात की इजाजत नहीं देना चाहती है: इसलिये आज एक कंट्रोल्ड ढंग से प्राइवेट सैक्टर कार्य कर सकता है और यही नीति केन्द्रीय आयोग ने निर्धारित की है। इस प्रदेश की सरकार भी प्राइवेट सैक्टर को विकसित होने का मौका देना चाहती है उन नीतियों को मानते हुये जिन्हें केंद्रीय सरकार ने अपनाया है, सन् १९४८ के रिजोल्यूशन को मानते हुये। उसमें केन्द्रीय सरकार ने एक नीति अपनायी थी यद्यपि आज के समय को देखते हुये और उन चीजों की स्थापना के लिये, उस व्यवस्था की स्थापना के लिये, जिसकी ओर केंद्रीय सरकार देश को ले जाना चाहती है केन्द्रीय सरकार को उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और बहुत से उद्योगधंधों को, जो उसने प्राइवेट सेक्टर में रखने का निर्णय किया था, उसमें परिवर्तन लाना होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक बड़े-बड़े उद्योग धंधों का विषय रहा है हम यद्यपि जबकि पब्लिक सेक्टर में से अपने प्रदेश में उन्हें नहीं लगा सके हैं, प्राइवेट सेक्टर में हमने लगाने का प्रयास किया है। प्राइवेट सैक्टर में लगाने की योजना है, उनको बढ़ाने की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत नीति अपनाने जा रहे हैं।

जहां तक बीच के उद्योग-धंधों का विषय है, हम यह बताना चाहते हैं कि ऐसे उद्योग धंधे लड़ाई के जमाने में काफी मात्रा में फैल गये थे, क्योंकि विदेश से वस्तुयें और पदार्थ नहीं आ पाते थे, अतः इन उद्योगधंधों को बाजार मिल गया था लेकिन लड़ाई के खत्म होते ही अपने ही प्रदेश के नहीं बल्कि उद्योग धंधे भी जो अन्य प्रदेशों में विकसित हुये थे, खत्म होने लगे। इसलिये आज इस बात की आवश्यकता है कि वे ठीक तरह से संचालित किये जायं और उनके संचालन में जो खामियां हैं वे रफा की जायं। इसके अतिरिक्त हमें आज ट्रेन्ड पर्सनल की आवश्यकता है, कौन नहीं जानता कि उनके लिये हमें आज धन की आवश्यकता है, कौन नहीं जानता कि उन्हें बाजार की आवश्यकता है? हम आज इन्हीं कमियों को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन लोन के रूप में दें, ट्रेंड परसनल दें, तथा बाजार दें ताकि वे लोग अधिक मात्रा में पैदा करने लगें। उनके लिये हम ५७-५८ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। जहां तक ट्रेन्ड परसनल का ताल्लुक है, जब मैं टेक्निकल ऐजूकेशन की ओर आऊंगा तब यह बताऊंगा कि हम ट्रेंड परसनल किस प्रकार से पैदा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने एक डिजाईनिंग सेक्शन भी खोला है जिसके जरिये से हम लोगों को बाजार में अनेक प्रकार की डिजाइन भी देने का प्रबन्ध कर रहे हैं। इसके लिये हमने कर्जा देने की नीति को भी अपनाया है ताकि ऐसे व्यक्तियों को कर्जा दिया जा सके जो इस प्रकार के रोजगारों को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। १०-१५ हजार रुपया ग्रांट के रूप में भी लोगों को हम देते हैं और उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि जिससे उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों को हम धन की सहायता दे सकें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये रुपया रक्खा गया है। बिजनेस कार्पोरेशन के जरिये से हम १६-१७ लाख रुपया अब तक वितरित कर

चुके हैं। १०-१५ लाख की ग्रांट की रकम बांटी जा चुकी है। इन तमाम कार्यों का उद्देश्य यही है कि उद्योग धंधों की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें।

जहां तक छोटे छोटे उद्योग-धंधों का विषय है और उनका जहां तक कार्पोरेशन से संबंध है, जिसकी स्थापना २ वर्ष पहले कानपुर में हुई थी, उसमें जो केपिटल हमने रक्खा है, उसको भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। २५ लाख के शेयर उसमें हम और लेना चाहते हैं। २५ लाख के शेयर हमने उसमें ले रक्खे हैं। इस प्रकार से हम इन उद्योग धंधों को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनमें ऐग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कोल्ड स्टोरेज इलेक्ट्रिक बल्ब होल्डर्स आदि-आदि धंधों के लिये कर्जे के रूप में धनराशि दी गई है ताकि इस ओर उत्तर प्रदेश की प्रगति हो। केंद्रीय सरकार ने साढ़े बारह लाख रुपया ३ प्रतिशत की सूद पर इसके लिये हमें दिया है। वह धनराशि आ गयी है। कदाचित अखबारों में उसकी चर्चा भी हो चुकी है। इसके द्वारा प्रदेश के लोगों को उद्योग धंधों में लगाने की हमारी योजना है। यह धन इस महीने या अगले महीने में ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों में लगने वाले व्यक्तियों में बांटा जायगा। जो बीच के उद्योग धंधे हैं उनको भी विकसित करने का प्रयास बराबर किया जा रहा है। हमने इस बात की भी चेष्टा की है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में, कि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों में लगाने वाले व्यक्तियों की कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स स्थापित करें, जैसे कि इंग्लैन्ड इत्यादि में बने हुये हैं। कानपुर और आगरा में पहले दो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने की हमने इजाजत दी है। पहला इंडस्ट्रियल स्टेट कानपुर में स्थापित होगा क्योंकि कानपुर में काफी छोटे-छोटे उद्योग धंधे फैले हुये हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को, जो इस प्रकार के उद्योग धंधों में लगे हुये हैं, उनको मकान बना कर दे दें, आने-जाने का सुभीता दे दें, उनको सामान आदि रखने के लिये हम सज्जा आदि इकट्ठा कर दें तो उनको जो रुपया उद्योग-धंधों में लगाने की जरूरत पड़ती है उससे कम रुपया की आवश्यकता पड़ेगी और वे अपने उद्योग धंधों को थोड़ी पूंजी से विकसित कर सकेंगे। इन दो जगहों पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम करके हमारा यह प्रयत्न है कि हम अपने प्रदेश में और अधिक इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम करें, जैसे गाजियाबाद और मेरठ ये ऐसे स्थान है जहां छोटे-छोटे उद्योग धंधे बहुत विकसित हो रहे हैं लेकिन धनराशि की कमी होने की वजह से उनको काफी सफलता नहीं मिल पाई है और इसी से वे विकसित नहीं हो पा रहे हैं।

छोटे-छोटे उद्योग धंधों के विषय में आप देखेंगे कि इस योजना पुस्तिका में, आप देखेंगे, कि ५०० क्राफ्ट कटर ब्लेड्स की फैक्ट्री मेरठ में खोलने की सिफारिश की है और इसमें साढे ५ लाख रुपया व्यय करने जा रहे हैं। २८ हजार की धनराशि अगले वर्ष के लिये रक्खी गई है। हैन्ड टूल्स और उनके मेन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री इस प्रदेश में अपने तहत में खोलने जा रहे हैं। छाते, तौलियां और सूटकेस इत्यादि बनाने के लिये हम एक फैक्ट्री अलीगढ़ में खोलने जा रहे हैं। मैकेनिकल ट्वाइज के निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करीब साढ़े तीन लाख की धनराशि रक्खी गयी है। फिरोजाबाद में गैस प्लान्ट और इलाहाबाद में सैंड वाशिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं। ये सारे कार्य उन छोटे-छोटे उद्योग धंधों को विकसित करने की ओर ले जाने वाले हैं, जिनकी तरफ मैंने काफी मात्रा में इस योजना में ध्यान दिया है। जहां हमने इन उद्योग धंधों को फैलाने का प्रयत्न किया है वहां छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के प्रोडक्शन की खपत भी हमारी नजर से हटी नहीं है। उनकी बिक्री के लिये और उनको धन देने के लिये भी हमनें इस योजना में सारी सामग्री के जुटाने का प्रयत्न किया है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी कितना समय और लेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं आध घंटा लूंगा। माननीय सदस्यों के सामने एक नक्शा रख देना चाहता हूं, जिससे कि बहुत से कटौती के प्रस्ताव जो रक्खे गये हैं वे फिर नहीं रक्खे जायेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--हम भी एक नक्शा रक्खेंगे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं आपके नक्शे को भी ले लूंगा। इस मामले में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। मैं चाहता हूं कि स्पीच में जो प्वाइन्ट्स मैं रख रहा हूं वे सब जनता तक भी पहुंच सकें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--संक्षेप में और रख दीजिये तो ज्यादा अच्छा है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में मैं जैसा कह रहा था हमारा ध्यान उस ओर भी है। प्रदेश में करीब १,१०० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्स हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उनकी संख्या २ हजार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्स अभी तक ज्यादातर हैंडलूम के कार्य में लगी हुई हैं और हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव और कार्यों में भी लग जावें, ताकि जिस तरह कि हैन्डलूम का रोजगार जो उत्तरोत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है वैसे ही हमारे प्रदेश में कोआपरेटिव्स के जरिये अन्य उद्योग धंधे काफी मात्रा में विकसित हो सकें और जैसा कि मैंने बताया कि हैन्डलूम का कारोबार भी हमारे यहां पिछले तीन चार साल में केंद्रीय सरकार की सहायता से और उस रुपये की सहायता से जो कि सेस के रूप में बड़ी-बड़ी मिलों से लिया जा रहा है यह काफी बढ़ा है। इन २ सालों में जहां हमारे यहां लाखों का कपड़ा तैयार होता था, वहां अब करीब ढाई करोड़ का कपड़ा तैयार होने लगा है। इससे लोगों के लिये रोजगार में वृद्धि हुई है और जब से हमारे बीच में अम्बर चर्खे की बात आयी है तब तो हम ऐसा महसूस करने लगे हैं कि अगर हमारा यह प्रयास सफल हो गया तो इस सूबे के लोगों को उस से काफी मात्रा में रोजगार मिल सकेगा। जैसा कि अखबार में आया है कि खादी बोर्ड की एक बैठक हुई थी और खादी बोर्ड ने अब केंद्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि अम्बर चर्खे के लिये वह काफी धनराशि निकाल कर रखे क्योंकि उसका ऐसा अनुमान है कि उससे कम से कम ५० लाख आदमियों को रोजगार मिल सकेगा। जैसा कि पूरी योजना में ८० लाख आदमियों को रोजगार में लगाने का है मेरे खयाल से कदाचित् वह संख्या बहुत बढ़ जायगी क्योंकि केवल अम्बर चर्खे से ही बोर्ड का अनुमान है कि ५० लाख आदमी रोजगार पा जायगा। अपने प्रदेश में भी इस प्रकार काफी संख्या में लोग रोजगार में लग सकेंगे क्योंकि अपने प्रदेश में कुल देश के वीवर्स की जितनी संख्या है उसका ११ प्रतिशत यहीं रहते हैं और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने और व्यक्ति हम रोजगार में लगा सकते हैं।

मैंने अभी आपको बताया था कि छोटे उद्योग धंधे भी अभी भी हमारी नजर से हटे नहीं हैं, हमने उनको तरक्की देने के लिये क्वालिटी मार्किंग की स्कीम को चलाया है, ताकि हमारे यह छोटे धंधे भी मार्केट पा सकें, और उनको जनता में प्रश्रय मिल सके। हम १३ उद्योग धंधों में क्वालिटी मार्किंग कर रहे हैं। जो चीजें मार्केट में अपना स्थान खो रही थीं और जिनकी मांग बराबर घटती जा रही थी उनको हमने फिर क्वालिटी मार्किंग स्कीम के द्वारा बाजार में स्थान दिलाया है। हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को और चीजों पर भी लागू करना चाहते हैं क्योंकि जिन चीजों की क्वालिटी में दोष आ जाते हैं और बाजार में जिस क्वालिटी की लोग चीज चाहते हैं वह उनको नहीं मिलती है और मिलावट आदि होती है, लेकिन जो लोग असली चीजें चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें ठीक चीज मिले तो उनका विश्वास जमाने के लिये और उनको समझाने के लिये इसमें वही चीजें मिलाई गई हैं जिनकी बाजार में बिकने के लिए घोषणा की गई है; हमने जनता तथा उद्योग धंधों दोनों की सुविधा के लिये इस स्कीम को और आगे बढ़ाने का इरादा किया है। हमारा ध्यान अपने छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये बाजार पैदा करने की तरफ बराबर गया है और हमने अपने हैन्डीक्रैफ्ट्स इंस्टीटयूशन्स के द्वारा बराबर बाहर मार्केट के कैप्चर करने की कोशिश की है। हमने एक सेल डिपो नागपुर में खोला है, एक कलकत्ते में खोलने जा रहे हैं और एक हैदराबाद में खोला है। हमारा प्रयास है कि हमारे हैन्डीक्रैफ्ट्स

दूसरी जगह खपें। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारा माल जहां कहीं भी बाहर प्रदर्शनियों आदि में गया है वहां हमारे माल को हमेशा और जगहों के माल से ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही हम मार्केटिंग की व्यवस्था के टेक्निकल पर्सनल तैयार करने के ध्यान में भी रहे हैं, हमने अपने यहां ऐसी १२३ टेक्निकल संस्थायें खोल रखी हैं और करीब उनमें से २६ ऐसे हैं जिनमें कि प्रोडक्शन का भी कार्य हो रहा है।

हम अगली पंचवर्षीय योजना में ७५ ट्युशनल क्लासेज स्थापित करना चाहते हैं जिससे वह उद्योग जो किसी क्षेत्र में पहले फैले हुये थे उनके विकसित करने में सहायता मिल सके। उसमें लोग अधिक संख्या में आमंत्रित किये जा सकें और अधिक संख्या में लोग रोजगारी बढ़ाने का प्रयास कर सकें; हमारी ट्युशनल क्लासेज की योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गांव में जो उद्योग धंधे फैले हुये हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत विकसित किया जाय जिससे वहां पर अड़ोस-पड़ोस के रहने वाले अधिक संख्या में उस रोजगार में लग सकें। हमने इस कार्य के लिये कुछ रिसर्च इंस्टीट्युट्स की स्थापना की है और दूसरी योजना में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिये और ऐसे व्यक्तियों को उनमें से निकालने के लिये जो ट्यूशनल क्लासेज में जाकर शिक्षा प्रदान कर सकें; हमने इस योजना में दो तीन संस्थायें बनाने का निर्णय किया है।

साथ ही हमने टेक्निकल एजुकेशन के लिये इस बात का प्रयास किया है कि हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट का काफी विस्तार किया जाय। उसमें जिन-जिन विषयों में शिक्षा और अनुसंधान होते हैं उसमें विषय भी बढाये जायं, जैसे कि इस वर्ष हमने केमिकल इंजीनियरिंग की स्थापना की है। उसको बनाने के लिये लाखों रुपये की सामग्री मंगाई है और लाखों रुपया प्रदेश में जो संस्थायें चल रही हैं उनके विस्तार की व्यवस्था करने के लिये रखा है। क्या गोरखपुर, क्या लखनऊ, क्या झांसी, सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास होने जा रहा है। लखनऊ और गोरखपुर में जितने क्लासेज चल रहे हैं और जितने विद्यार्थी सम्मिलित किये जाते हैं उनमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वृद्धि होने वाली है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स की स्थापना करने जा रहे हैं। मुरादाबाद, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद में टेक्निकल स्कूल खोलना चाहते हैं; जिससे आजकल हमारी इन संस्थाओं में जो दो ढाई हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी संख्या पांच, साढे पांच हजार हो सके और प्रदेश के लड़कों का ध्यान टेक्निकल एजूकेशन की ओर आकृष्ट किया जा सके। क्योंकि इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि चाहे बड़े उद्योग धंधे हों, चाहे बीच के उद्योग धंधे हों, चाहे छोटे घरेलू उद्योग धंधे हों जब तक वे टेक्निकल आदमियों द्वारा संचालित नहीं होंगे और जब तक ऐसे व्यक्तियों के लिये आधुनिक विज्ञान और प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं होती तब तक उन उद्योगों के विकसित करने में हमें सफलता नहीं मिल सकेगी और न ऐसी कार्यवाही कर सकेंगे जैसी कि इस शिक्षा के प्रचार के लिये करना चाहते हैं। इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने ढाई करोड़ रुपया की रकम टेक्निकल एजूकेशन के विस्तार के लिये रखी है और अगले वर्ष करीब एक करोड़ रुपया हम व्यय करने जा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टेक्निकल एजूकेशन के बिना न उद्योग धंधे और न जिनका प्राविधिक शिक्षा से संबंध है आगे बढाये जा सकते हैं।

हैंडलूम के विषय में मैंने चर्चा कर दी और यह बता दिया कि अब तक ऐसा समझा जाता था कि कदाचित केंद्रीय सरकार जो मिल से कपड़ा तैयार होता है उसके ऊपर सीलिंग मुकर्रर करेगी। पांच हजार पांच सौ मिलियन गज कपड़ा मिल का तैयार होता है और करीब ३२ सौ मिलियन गज कपड़ा हैंडलूम के द्वारा केंद्रीय सरकार चाहती है। यद्यपि कोई सीलिंग मिल के कपड़े पर नहीं लगायी गयी लेकिन ३२ सौ मिलियन गज कपड़ा अगर हैंडलूम से प्राप्त होता है तो आगे चल कर, क्योंकि अपने प्रदेश में १८० मिलियन गज

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कपड़ा जहां कुल आबादी के ११ प्रतिशत बीवर्स रहते हैं, तैयार होता है। यदि आज हैन्डलूम से करीब १४ सौ मिलियन गज कपड़ा तैयार होता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अगर १४ सौ मिलियन गज कपड़ा हैन्डलूम से तैयार हो जाय तो २८ सौ मिलियन गज कपड़ा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तैयार हो सकता है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि हैन्डलूम जो गांव-गांव में फैलाया जा सकता है, जहां अधिक संख्या में गांव के रहने वाले उस रोजगार में लगाये जा सकते हैं उसकी तरफ हमारा अधिक ध्यान जाय और इसीलिये उसके प्रसार के लिये उसकी कोआपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ाने के लिये उसके प्रसार के लिये उनको धन इत्यादि देने के लिये, उनकी कमियों को पूरा करने के लिये, हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी धनराशि रखी है क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यह एक बड़ा उद्योगधंधा अपने प्रदेश का है और उसे विकसित होने के लिये पूरा-पूरा अवसर प्रदान किया जाय। साथ ही में हम उन क्षेत्रों को भूले नहीं हैं जो पिछड़े हुये हैं। माननीय मदनमोहन जी के क्षेत्र जहां कि फिक्र उनको रहती है और रहनी चाहिये, वहां आप जानते हैं, यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि हम वूल की स्कीम काफी तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं और देहरादून के क्षेत्र में हम रेशम के व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं और उसे उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। सेरिकल्चर और एरिकल्चर के कार्य को प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां वह काफी मात्रा में बढ़ाये जा सकते हैं, उसमें पाइलेट प्रोजेक्ट इत्यादि के द्वारा अनुसंधान करा के उसे हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसे उद्योग धंधों को भी विकसित करने की योजना बनायी है कि जो उद्योग धंधे आज तक तो चल रहे थे लेकिन धीरे-धीरे वे खत्म होते चले जा रहे हैं जैसे कि मुरादाबाद का उद्योग धंधा ब्रास का है। वह जब से ये दूसरे प्रकार के बर्त्तन आने लगे हैं जो कि विदेशों से जिसकी सामग्री आती है तब से यह उद्योग धंधा कुछ कमजोरी पर आ रहा है। तो उसकी तरफ, उसके बढ़ाने के लिये प्रदेशीय सरकार ने ध्यान दिया है और मदद देकर और नयी-नयी डिजाइन्स इत्यादि निकलवा कर वह उस उद्योग को बढ़ाना चाहती है, उसके विस्तार को बढ़ाना चाहती है।

इसी तरह से जो बनारस का एक उद्योगधंधा है जो काफी मात्रा में अब तक चल रहा था लेकिन धीरे-धीरे जब से विदेशी चीजें आने लगी हैं, वह उद्योग धंधा भी रेशम का, घटता जा रहा है। तो उसके लिये भी विभिन्न संस्थायें बना कर और उन संस्थाओं के द्वारा डिजाइन इत्यादि नयी-नयी निकलवा कर, उस उद्योग को भी विकसित करने का प्रयास हम कर रहे हैं जिससे कि ये उद्योग मुर्दे न हो सकें। साथ में कलाबत्तू का उद्योग धंधा जो कि बनारस का एक प्रसिद्ध उद्योग धंधा रहा है जो धीरे-धीरे घटता जा रहा है उसको एक आने की सबसिडी देकर हम फिर से पुनर्जीवित करने का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्य करने जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे उद्योग धंधों की तरफ हमारा उतनी मात्रा में ही ध्यान है जितनी मात्रा में कि हमारा बड़े उद्योग धंधों या बीच के उद्योग धंधों की तरफ ध्यान है। मैं कदाचित काल्पी के उस उद्योग धंधे को भूल गया जो कि कागज का उद्योग धंधा काफी दिनों से वहां चल रहा है, उसको विकसित करने के लिये हमने धनराशि रखी है। इस योजना की तहत में हमने यह भी कार्य किया है कि अपने नवयुवकों को शिक्षित करने के लिये हम कुछ उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के समय में फैक्ट्री के अन्दर कुछ अनुदान इत्यादि दें और उसके लिये हमने इस योजना में १५ लाख और १० लाख ऐसे व्यक्तियों को जो विदेश जायं, उन्हें सहायता इत्यादि देने के लिये रखा है।

इन सारी योजनाओं के पीछे एक ही नीति छिपी हुई है कि अधिक संख्या में नवयुवक जो कि उद्योग धंधों में लगे हुये हैं उनका ध्यान इधर खींचा जाय और उन्हें इस प्रकार की सहायता प्रदान करें कि जिससे कि वह उद्योग धंधों की तरफ अधिक खिचें और जो नौकरियों इत्यादि में अपना समय देते हैं या उनके लिये अपना समय देने की चेष्टा करते हैं, नौकरियां ढूढ़ते फिरते हैं, उनसे वह थोड़ा हटें। साथ में माननीय मदनमोहन जी के क्षेत्र में एक और

उद्योग धंधा है जिसको विकसित करने के लिये दो तीन-तीन वर्ष से हमारा प्रयास रहा है और वह फलों का उद्योग धंधा है। हालांकि उन्हें शिकायत रहती है रामगढ़ से और उन्हें चौपटिया गार्डेन से भी शिकायत रहती है लेकिन मैं यह सदन को बताना चाहता हूं कि वह उद्योग धंधा भी अब काफी मात्रा में प्रगति की ओर जा रहा है। काफी फलों के पेड़ उन स्थानों पर जहां पर अब तक नहीं लगाये गये थे, वहां पर ४५ हजार पेड़ इतने थोड़े समय के अन्दर लगाये जा सके हैं। वह जमीनें जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती थी, ऐसी ३००, ३५० एकड़ जमीनें ऐसे फलों के उद्योग धंधे के लिये इस्तेमाल की जा रही हैं। साथ ही हमने रामगढ़ में तो एक फैक्ट्री लगायी ही थी, एक फैक्ट्री हम और बरेली के हिस्से में फलों इत्यादि के संरक्षण के लिये लगाने जा रहे हैं। हमारे इस फल संरक्षण विभाग ने काफी लोगों को इस विषय में शिक्षा प्रदान की है। अभी उसमें त्रुटियां है लेकिन वह उत्तरोत्तर घटती जा रही है और उनके घटाने की चेष्टा भी हम उत्तरोत्तर करते जा रहे हैं।

मैंने थोड़े शब्दों में अपनी समस्याओं की, बड़े उद्योग धंधों की, छोटे उद्योग धंधों की, हैंडलूम और खादी के उद्योग धंधों की, ऊल तथा रेशम और फलों के उद्योगों की भी चर्चा की है। यह सारे हमारे उसी पिरामिड का हिस्सा बनने वाले हैं जिसके विषय में मैंने प्रारम्भ में ही वर्णन किया है। हमारे उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधों और बीच के उद्योग धंधों में से गुजरते हुये बड़े उद्योग धंधों की तरफ जायेंगे और इस प्रकार यह अपने प्रदेश में एक डाईवरसीफाइड एकानामी को जन्म देगा जो हमारे प्रदेश के लाखों लोगों को अनेक मात्रा में रोजगार प्रदान करेगा। ऐसी अवस्था में हमें नवयुवकों की आवश्यकता है और साथ में अपने प्रदेश के उन कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है जो इस नई भावना और विचारधारा को गांव-गांव में और घर-घर में फैलाने की चेष्टा करें जो भावना लोगों को रोजगार की तरफ खींचे और उनको बेरोजगारी से हटाने में मदद दे सकें। मैं आशा करता हूं कि जिस ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, यह सदन भी उस ओर चलता हुआ हमारी समस्याओं को सुलझाने में तथा इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करेगा जिस सहायता की सरकार और यह योजना उनसे अभिलाषा करती है और जिस अभिलाषा के द्वारा वह आशा करती है कि आने वाले वर्षों में हम प्रदेश के नकशे में कुछ परिवर्तन ला सकेंगे और प्रदेश और देश की समस्यायों को सुलझाने में समर्थ हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने इन अनुदानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––अध्यक्ष महोदय, समय क्या रहेगा ?

श्री अध्यक्ष––२० मिनट।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २७ व अनुदान संख्या ४५ दोनों में एक एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष––२१ मिनट आपको मिलेंगे। एक मिनट समय आपका और इस बातचीत की वजह से बढ़ जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये औद्योगिक विकास किसी भी प्रदेश के लिये एक बड़े महत्व का प्रश्न है और मैं समझता हूं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस बात का बड़ी भारी दुख होगा कि जहां दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम औद्योगिक विकास अपने देश का कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर औद्योगिक विकास करने के लिये कोई भी रास्ता न तो हमारे प्लानिंग कमीशन ने छोड़ा है और न हमारी प्रादेशिक सरकार ने ही उसके लिये कुछ किया है। मैं यह नहीं समझता था कि हमारे माननीय उद्योग मंत्री इतने कमजोर पड़ जायेंगे कि वे गवर्नमेंट आफ इंडिया को इस बात के लिये मजबूर न कर सकें और हमारा प्रदेश जिस में इतनी

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें सबसे अधिक कालेजेज हैं, जिसमें सबसे अधिक पढ़े लिखे बेकार हैं, जिसकी सबसे अधिक आबादी है और जो सबसे बड़ा प्रदेश है, यह सब होते हुये भी आज हम लोग औद्योगिक विकास के संबंध में बहुत पिछड़े हुये हैं। जब हम प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन्स को स्टेट्स के लिये देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योग-धंधों के लिये एक मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री के लिये थोड़ा सा रुपया मिला है, थोड़ा सा प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री के लिये और कुछ थोड़ा सा रुपया उन प्राइवेट सेक्टर्स में, जो लोग उद्योग-धंधे वगैरह खोलेंगे, उनको मदद करने के लिये मिला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह हमारा ईश्यू होना चाहिये और हम सब लोगों को मिलकर चाहे वह किसी भी पार्टी को बिलांग करते हों और हमें अपने प्रदेश की आर्थिक उन्नति करनी है, अगर हमें बेकारी की समस्या हल करनी है तो हमें मिलकर इस बात के लिये कदम उठाना होगा कि केंद्रीय सरकार पर दबाव डालें और उनको मजबूर करें कि हमें अधिक से अधिक धन दें। हमारे उत्तर प्रदेश में पब्लिक सैक्टर को चाहिये कि वे बड़े-बड़े उद्योग धंधे खोलें। लेकिन यह हुआ क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी ने अभी एक बात कही कि हमने हेवी एलेक्ट्रिक सामान के लिये लिखा था। मुझे इस बात का विश्वास जरा कम आता है। वैसे यह जो उद्योग विभाग है उसके बारे में जहां तक अपोजीशन का सवाल है उसका कोई संबंध नहीं है। हम लोगों को किसी कमेटी से मतलब नहीं, हैंडलूम से मतलब नहीं, इंडस्ट्रीज से मतलब नहीं लेकिन उद्योग विभाग से हमारा इसलिये मतलब है कि अगला चुनाव आ रहा है, मुमकिन है हम उधर पहुंच जायं, तो बेकारी की समस्या का हल कैसे करेंगे जब तक कोई उद्योग-धंधे इस प्रदेश में नहीं होंगे? जो थोड़ा सा अनुदान शूगर फैक्ट्रीज को कोआपरेटिव बेसिस पर चलाने के लिये मिल गया है उससे माननीय मंत्री जी खुश होते हैं लेकिन हम सब इससे खुश नहीं हो सकते हैं और इसमें कमजोरी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की। मैं तो कहता हूं कि हम सब लोग चलें और जो हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर हैं उनको भी साथ लें और एक डेपुटेशन लेकर दिल्ली चलें और अगर जरूरत हो प्रधान मंत्री के घर पर धरना देने की बात भी कर सकते हैं लेकिन अपने प्रदेश में हमें उद्योग-धंधे बढ़ाने हैं। जो हमें आज उद्योग-धंधे मिले हैं उनसे हमारा काम बिल्कुल चलने वाला नहीं है। जैसा माननीय मंत्री जी ने पब्लिक सैक्टर में हैवी इंडस्ट्रीज की बात कही, तो अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसमें की जा सकती हैं।

अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस बात का फैसला किया है कि एक रा फिल्म की इंडस्ट्रीज हिन्दुस्तान के अन्दर होनी चाहिये जिसके लिये कुछ जरमन एक्सपर्टस ऋषीकेष, रानीखेत और आसपास की जगहें देखने आये थे। वे कहते कि हमारे काम के लिये रानीखेत के आस पास की आबहवा अच्छा होगी। हमारा प्रदेश ऐसा है जहां पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल, है किसी चीज की कमी नहीं है। अगर किसी चीज की कमी है तो वह उद्योग-धंधों की कमी है। खाली टेलीफोन करने से ही थोड़े होता है कि पंत जी को टेलीफोन कर दिया। हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया पर प्रेशर डालना चाहिये। इसके लिये जो रास्ता आप बताइये उसके लिये हम तैयार हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट मोस्ट अनइंडस्ट्रियल है और मुझे विश्वास है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अब बिठाई गयी है वह अगर प्लान बनाने से पहले बिठाई गयी होती तो हम प्लानिंग कमीशन वगैरह को मजबूर कर सकते थे कि वे हमारे यहां कोई इंडस्ट्री खोलें। लेकिन क्या बतायें, इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बारे में मैंने काफी उस दिन कह दिया, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। वह तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी किधर जा रहे हैं।

एक सजेशन मैं पहले से ही थोड़ा सा देना चाहता हूं। एक किताब यह निकली है है "उत्तर प्रदेश में उद्योग का विकास" इसमें उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको अगर हटा कर माननीय मंत्री जी बुरा न मानें– उस पर माननीय मंत्री जी की बाहर से तस्वीर हो जाय और इसके अन्दर जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सेक्रेट्री, डायरेक्टर्स वगैरह-वगैरह जो

अधिकारी हैं उनकी अन्दर से तस्वीर हो जाय और यहां की बजाय यह किताब रेलवे स्टाल में रख दी जाय तो ज्यादा अच्छा हो। इसमें सारी चीजें गलत दी हुई हैं। इसमें पेज १६ पर यह लिखा है :

"दो फैक्ट्रियां रानीखेत तथा कोटद्वारा में भी लघु स्तर पर कार्य करने के लिये सहकारिता के आधार पर स्थापित की गई थीं। लघु स्तर पर कार्य करने वाली फैक्ट्रियों को ग्लेओ रोजिन के अभाव का सामना करना पड़ा तथा कुछ को पंजाब से ऊंचे मूल्य पर क्रय करना पड़ा।"

अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। मैं इसके लिये चैलेंन्ज करता हूं माननीय मंत्री जी को। रानीखेत की फैक्ट्री को अध्यक्ष महोदय मैं ही चला रहा हूं और मैं उसका मंत्री हूं। इस फैक्ट्री को कायम करने के लिये हमने प्रार्थना की थी कि हमारे यहां भी कुछ काटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिये। टरपैनटाइन और रोजिन हम बना सकते हैं। इंडस्ट्रीज विभाग ने अपनी ताकत लगा दी कि यह फैक्ट्री वहां न खुल सके। लेकिन उस समय जो मुख्य मंत्री थे उनको हमने पोजीशन समझाई और उनकी आज्ञा से इंडस्ट्रीज विभाग के विरुद्ध यह फैक्ट्री खुली है और आज तक इंडस्ट्रीज विभाग का कोई आदमी वहां नहीं गया है और न कुछ देखा ही है और फिर वह कहते हैं कि यह फैक्ट्री मुसीबत में फंसी हुई है। हमारी फैक्ट्री किसी मुसीबत में नहीं फंसी हुई है बल्कि यह बहुत अच्छा माल बना रही है और हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इस किताब में गलत चीजें छाप दी गई हैं। हो सकता है कि और भी चीजें इसमें इस तरह से छपी हों, लेकिन मैं उनकी चर्चा करना नहीं चाहता हूं। हमारे उद्योग-धंधे जो खुले हैं उसमें सरकार ने क्या सहायता की है और क्या वह उद्योग-धंधे भी इसमें दिये हैं जिनका सरकार ने विरोध किया है, अगर उनकी भी चर्चा इसमें दी गई होती तब तो ठीक था।

मैं यह समझता हूं कि आज जहां पर हमारे उद्योग-धंधों का विकास होना है, बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में उन्होंने कहा कि चाहे वह पब्लिक सैक्टर में खुल जायं चाहें प्राइवेट सैक्टर में खुल जायं लेकिन खुलनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि खुल जायं चाहे पब्लिक सैक्टर में खुलें चाहे प्राइवेट सैक्टर में खुलें। हमारा जो ऐक्ट बना है उसके अनुसार हम प्राइवेट सैक्टर वाली फैक्ट्री पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारे प्रदेश में काटेज इंडस्ट्रीज या विलेज इडस्ट्रीज नहीं बढ़ाई जायंगी तो हमारी ग्रामीण जनता की बेकारी दूर नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने दो तीन चीजों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे यहां काटेज इंडस्ट्रीज पर काफी रुपया व्यय होता है। जो लोन और ग्रांट्स लोगों को अपना अपना रोजगार चलाने के लिये दिये जाते हैं, वह एक कमेटी द्वारा दिये जाते हैं। यह कमेटी सरकार द्वारा बनाई हुई है। इस कमेटी के १२ मेम्बर्स हैं और सब असेम्बली के मेम्बर्स हैं। अगर असेम्बली में प्रपोशन के लिहाज से मेम्बर लिये जाते तो अपोजीशन का एक न एक मेम्बर जरूर आ जाता। लेकिन अपोजीशन का एक भी मेम्बर नहीं है। मैं नाम पढ़कर सुनाये देता हूं। आप स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं। इस कमेटी में एक भी मेम्बर नहीं है। उस कमेटी के मेम्बर्स यह है :—

१—उद्योग मंत्री, २—श्री फूल सिंह, ३—श्री बनारसी दास, ४—श्री द्वारिका प्रसाद, ५—श्री रामलखन, ६—श्री शिवशरण लाल, ७—श्री लालबहादुर सिंह ८—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, ९—श्री शिवप्रसाद १०—संचालक उद्योग विभाग, ११—श्री बल्देव सिंह १२—डाइरेक्टर काटेज इंडस्ट्रीज।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

इसमें एक भी अपोजीशन का मेम्बर नहीं है। इसी प्रकार से हैन्डलूम बोर्ड में भी कोई मेम्बर अपोजीशन का नहीं है। अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय जिसको चाहें अनुदान दें और उन्होंने बहुत से लोगों को दे भी रखे हैं। छापेखाने के लिये लोग ले गये लेकिन वह टूटे पड़े हैं। जो मंत्री जी चाहेंगे होगा वही क्योंकि अकेला आदमी क्या कर सकता है। लेकिन हमें पिक्चर तो मालूम होगी कि किस तरह से यह लोन और ग्रांट दी जाती है। यदि यही चीज इस किताब में दी गई होती तब भी जनता को लाभ हो सकता था।

अध्यक्ष महोदय, हड्डी और चमड़े के व्यापार की बात की जाती है। यह चमड़े की बहुत भारी इंडस्ट्री है और हमारे यहां बहुत से जानवर ठंड से मर जाते हैं तो हमारे यहां मरे हुये जानवरों की खाल खींचने का काम हो सकता है और हड्डियां इकट्ठी की जा सकती हैं। हमारे यहां से मुसलमानों ने लिखा था कि हमें कुछ सहायता दे दी जाय, लेकिन आठ महीने हो गये और उनको इकनोलिजमेंट तक का जवाब नहीं मिला है। मैं नाम बतला देता हूं उनका नाम श्री अली हुसेन है, जिससे मंत्री जी पता लगा लें। इसलिये हम किस से कहें और क्या कहें फिर मंत्री जी कहते भी हैं कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आयेंगे विरोधी पक्ष के नेता जी गड़बड़ी जरूर उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सजेशन दूंगा कि जहां बहुत उद्योग-धंधे खुले हैं वहां वह एक चमेली के तेल का उद्योग भी खुलवा दें ताकि सिर पर उसका तेल लगाकर मस्तक का संतुलन तो ठीक रहेगा। हम तैयार हैं और माननीय मंत्री जी के पास तो बहुत भार है। हम जानते हैं कि यह हमारे यू० पी० के बड़े भारी मंत्री हैं, काफी काम कर सकते हैं। इनके न शादी, न बीबी न बच्चे। हम लोगों को तो इन सबने भी पकड़ रखा है, लेकिन वह तो काम पर चिपक जाते हैं। इतना होते हुये भी मैं चाहता यह हूं कि वह देश के उत्थान के काम के लिये चिपकें। वह तो हम लोगों को गाली देने के लिये चिपकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको सारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ओवरहाल करना पड़ेगा, कंप्लीट। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप बदल दें, लेकिन आपको अगर अपने प्रदेश को इंडस्ट्रियली डेवलप करना है तो उसके लिये हम सहयोग देने को तैयार हैं, साथ देने को तैयार हैं, लेकिन आप चाहते नहीं साथ, तो हम क्या दें?

ऊल की बात कही। बड़ा अच्छा लगता है कि किसी इलाके को ३ लाख रुपया खर्च के लिये मिला है, किसी इलाके को १० लाख रुपया मिला है? यह सब रुपया वहां ऊल डेवलपमेंट के लिये खर्च होगा। आप कहेंगे कि सारा ऊल के डेवलपमेंट का पैसा आपके यहां गया है तो फिर आप नाराज क्यों हैं? हम नाराज हैं और इसलिये कि वह रुपया बरबाद हो जायगा अगर उसकी ठीक से व्यवस्था नहीं की गई तो।

फ्रूट यूटिलाइजेशन की बात है। बड़ी चर्चा है फ्रूट यूटिलाइजेशन की, लेकिन फ्रूट प्रोडेक्शन की चर्चा नहीं हो रही है। फ्रूट यूटिलाइजेशन अच्छा है, करना चाहिये। अगर उसमें खराबी होगी तो हम बतायेंगे। लेकिन हम यहां चार जिलों---अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी के प्रतिनिधि बैठे हैं, इन चार जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उनकी अपनी प्लानिंग कमेटीज हैं, लेकिन आप उनसे पूछिये कि इस सिलसिले में उनका क्या सहयोग है। उनके सहयोग से उसमें कुछ नहीं किया जाता। फैक्ट्री है जो तीन महीने चलती है। अगर यह फैक्ट्री काटेज इंडस्ट्री के बेसिस पर चलाई जाती तो हमारे यहां के हजारों आदमी उसमें काम करते लेकिन वह रामगढ़ की फैक्ट्री आज ८ महीनों से बन्द है। वह साल में सिर्फ तीन महीने चलती है और जितना फल आता है उसका पल्प बना कर तैयार कर देती है। वही काम जगह-जगह, छोटी-छोटी मशीनें देकर किया जा सकता था, जगह-जगह पल्प तैयार किया जाता और आप हमें लखनऊ में भी ताजा पल्प पिलवा सकते थे। लेकिन उधर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं है।

हैन्डलूम के बारे में मांग की गई। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने एक बार इस तरह का प्रस्ताव किया कि जो हैन्डलूम का कार्य है वह जैसे गांधी आश्रम या खद्दर भंडार चलता है उसी तरह से बिजनेस लाइन पर चलना चाहिये। उनके लिये प्रोपैगेंडा के लिये अलग से रुपया मिलता है। मैं भी कहूंगा कि उनको प्रोपैगेंडा के लिये अलग से रुपया दिया जाय लेकिन उनको चलना बिजनेस लाइन पर चाहिये। वह लाखों रुपया प्रचार के लिये ले लें। हम देने के लिये तैयार हैं लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर आप इंडस्ट्रीज को बरबाद कर रहे हैं, कम से कम यह करें। यू० पी० हैन्डलूम इम्पोरियम में किसी को यह पता नहीं चलता है कि यह कपड़ा कहां का बुना है, यह माल कहां से मिल सकता है और कौन इसके तैयार करने वाले हैं। कुछ पता नहीं चलता। आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियली डेवलप करेंगे, लेकिन वह होगा किस प्रकार? आज सब से ज्यादा रुपया हैन्डलूम और हैन्डीक्रैफ्ट पर खर्च हो रहा है और मैं चाहता हूं गाँव वाले और काम करें लेकिन इसका कोआर्डिनेशन तो नहीं होना चाहिये। पहले-पहले काम देने के लिये वहां से आयेगा, रुपया कहां से आयेगा? इसके लिये प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी है उनको रुपया रिजर्व बैंक देने के लिये तैयार है। लेकिन आज कोआपरेटिव और इंडस्ट्री दोनो का मुंह दो तरफ है। उनमें आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। कोआपरेटिव मल्टी-परपजेज सोसाइटीज कायम हो जाती हैं लेकिन जब वह ग्रांट के लिये जाती है तो इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि यह तो इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव नहीं है। तो सिर्फ २४० उनकी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं और बाकी वीवर्स की कोआपरेटिव्ज हैं जो कपड़ा वगैरह बनवाती हैं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों में कोआर्डिनेशन होना चाहिये डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और कोआपरेटिव अफसर और इंडस्ट्री अफसर, दोनों मिल कर इस काम को करें ताकि कोआपरेटिव सोसाइटी जो उद्योग धंधा-करना चाहती है और उसमें जो उसको सहूलियत मिल सकती है, उसको वह दिलवाने का प्रयत्न करें। तभी हमारी इंडस्ट्रीज वहां पनप सकती हैं और तभी वह टेक्निकल ऐड ले सकती हैं। आज स्टेट लेविल तक पर कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो हमें टेक्निकल एडवाइज कर सकता हो। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक और प्रार्थना है और वह यह है कि इनके डाइरेक्टर का दफ्तर जो कानपुर में है उसको आप कहीं यहीं असेम्बली के आस पास ला कर रखें तो अच्छा होगा। हम लड़ने के लिये कानपुर जायं और वहां पर किसी दफ्तर को ढूंढ़ते फिरें? हमें इस बात का कोई पता नहीं है कि लोन कहां मिल सकता है और ग्रान्ट कहां पर मिल सकती है।

इसलिये हम चाहते हैं कि हमारे देश की उन्नति हो और यहां पर उद्योग-धंधे पनपें। हम चाहते हैं कि हमारे यहां के नवयुवकों को काम मिले। हमारे यहां अच्छी-अच्छी चीजें पैदा हों। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह हमारे इस सुझाव को विरोध न समझें। हमारी यह नीति है और हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां उद्योग-धंधों को बढ़ाया जाय लेकिन साथ-साथ हम कुछ निवेदन भी करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पब्लिक सेक्टर में चुर्क सिमेन्ट फैक्टरी है। हम मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो बातें हम यहां पर चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के बारे में कहते हैं वह इसलिये कहना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में हमारा पहला यह बड़ा आइटम था जिसमें हम तरक्की करना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई पब्लिक सेक्टर का आदमी हम से यह कहे कि चूंकि तुम जानते नहीं थे और तुमने इसको बरबाद कर दिया, इसलिये हम इस सेक्टर में अपनी नाकामयाबी नहीं देखना चाहते हैं। हम इस बात को साबित करना चाहते हैं कि हमारे यहां बहुत अच्छे कर्मचारी हैं। यह पब्लिक सेक्टर में पहला काम था तो हम इसमें गड़बड़ हो सकती है और इस तरह से बातें चल सकती हैं। इस उद्देश्य को लेकर ही हम जो क्रिटिसिज्म करते हैं, वह इसी आशय से करते हैं। हम यह भी करना कर्तव्य समझते हैं कि जो

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

फैक्टरी हमारी पब्लिक सेक्टर में चलती हैं उनमें हम देखना चाहते हैं कि जो लेबरर है उसको सब सहूलियत मिलनी चाहिये। वह हमारा एक आइडियल मजदूर होना चाहिये। इम्पलायी भी आइडियल होना चाहिये और उनके सुख की सुविधा भी सब उनको प्रोवाइड करनी चाहिये। हम लाखों रुपया देने के लिये तैयार हैं? लेकिन हमको यह बरदाश्त नहीं है कि लाखों रुपया हमारा बरबाद हो जाय और उसका नतीजा कुछ भी न निकले। हम यह अवश्य चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में हमारा यह जो पहला प्रयास है उसमें हम अवश्य कामयाब हों। इस उद्देश्य से हम माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहते हैं कि जो कुछ खामियां हैं उसके लिये एक सब-कमेटी मिर्जापुर सीमेन्ट फैक्टरी के लिये कायम की जाय जो इस बात को देखे कि किस तरह से इस फैक्टरी को ढंग पर लाया जाय जिससे सब तरह की सहूलियत वहां पर छोटे और बड़े कर्मचारी को दी जा सके और किस तरह से वह फैक्टरी उन्नति कर सकती है। यदि माननीय मंत्री जी इसको ठीक समझें तो वह इसको स्थापित करने की कोशिश करें।

जहां तक प्रेसिजन फैक्टरी का सम्बन्ध है कहा गया है कि वहां पर काम बहुत अधिक बढ़ाया जायगा। अब मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जितने भी हमारे बोर्ड हैं, जैसे आल इंडिया खादी बोर्ड है, आल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, आल इंडिया हैन्डलूम बोर्ड है और सिल्क यार्न इंडस्ट्री बोर्ड है इन सब बोर्ड्स का कोआर्डिनेशन किया जाय। कोई भी वहां पर कार्यवाही होती है विधान सभा के सदस्य नहीं जानते हैं कि क्या कार्यवाही वहां पर होती है। हमारे प्लानिंग कमीशन को यह सिफारिश होनी चाहिये कि जितने भी यह बोर्ड हैं यह सब एक ही कोआर्डिनेशन के अन्दर आने चाहिये ताकि अन्दाजा लग सके और यह इंडस्ट्री एक दूसरे की मदद कर सके और जहां-जहां, जिस-जिस लाइन पर काटेज इंडस्ट्री चलती है उसकी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को मदद करनी चाहिये। जैसे कि कत्था बनाने का सवाल है उसके लिये मालूम हुआ कि हल्द्वानी में उसके लिये कोई फैक्टरी खुलने जा रही है। हमारे हजारों आदमी खैर से कत्था निकालने के काम में लगे हुये हैं और काफी कत्था वे तैयार करते हैं। आपकी जो यह फैक्ट्री हल्द्वानी में खुलने जा रही है उसका नतीजा यह होगा कि हजारों और सैकड़ों आदमी उससे बेकार हो जायंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां पर काटेज इंडस्ट्रीज का काम होता है और विलेज इंडस्ट्रीज का काम होता है वहां पर उसको आगे बढ़ायें और वे लोग गांव में जाकर काम कर सकें जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। इससे वे लोग आर्थिक विकास कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जो कुछ भी मैंने कहा है उसको इस तरह से नहीं लेंगे कि मैंने कोई शिकायत इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिये कही है। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में पनपे ताकि गवर्नमेंट आफ इंडिया पर हम जोर दे सकें कि हमारे यहां उद्योगीकरण हो सकता है और उससे जनता की बहुत सहायता हो सकती है।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि अगर हम अपने यहां बेकारी को दूर करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश में उद्योगीकरण का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि प्लानिंग कमीशन हमारे प्रदेश में कोई पब्लिक सेक्टर उद्योग कायम करने के लिये अभी तक तैयार नहीं है। इसमें उपाध्याय जी ने बतलाया कि सरकार की कमजोरी है। सरकार की कमजोरी हो या हमारा दुर्भाग्य हो फिर भी हम लोग यह चाहते हैं कि सरकार कोशिश करे केन्द्रीय सरकार से कि कोई न कोई बड़ा कारखाना प्रदेश में, जिसके लिये साधन उपलब्ध हैं, वह यहां पर खोला जाय। जहां तक डेलपमेंट का प्रश्न है माननीय मंत्री जी की पुस्तिका में बहुत सी योजनायें हैं लेकिन उसके साथ ही साथ मैं एक बात मंत्री जी

से और कह देना चाहता हूं कि कम से कम हमारे जिले में कुटीर उद्योगों का सर्वे अच्छी तरह से नहीं हो पाया है । मैं यह मानता हूं कि विभिन्न उद्योगों के लिये आपने अनुदान देकर सहायता की है लेकिन संपूर्ण, प्रदेश के संपूर्ण जिलों में विभिन्न प्रकार की कोटेज इंडस्ट्रीज हैं जिनकी अभी तक सर्वे नहीं हो पाई है । इसलिए वहां पर काटेज इंडस्ट्रो अच्छी तरह से नहीं पनप रही हैं । हमारे जिले में आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो निकली है, उसमें लिखा हुआ है कि रवाई जौनपुर में कुटीर उद्योग की योजना चालू रही । कहां और क्या चालू रही, यह हमें मालूम नहीं है और न शायद सरकार को ही मालूम होगा लेकिन रिपोर्ट में यह चीज आ ही गयी । यह एक रिपोर्टिंग का सिस्टम ही हो गया है कि प्रत्येक जिले में कुछ दिखाया जाय, इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में प्लानिंग कमेटी के द्वारा काटेज इंडस्ट्रीज का सर्वे कराया जाय, तभी कुटीर उद्योगों को वहां पर प्रोत्साहन मिल सकता है ।

जहां तक जिओलोजीकल सर्वे का ताल्लुक है सरकार ने इसके लिये एक डायरेक्टोरेट की स्थापना भी की है और उसने कुछ जिलों का सर्वे किया है दुर्भाग्य से हमारे जिले का सर्वे अभी नहीं हुआ है । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि स्टेट टाइम का जो जिओलोजीकल सर्वे है उनके यहां बहुत सी इस किस्म की फाइलें मौजूद हैं । अगर उन्होंने यहां का सर्वे नहीं कराया है तो वे उनसे उन फायलों को लेकर देख लें ताकि नयी डायरेक्टोरेट में उस पर बातचीत हो सके और वहां की तरक्की की जा सके ।

जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया, जहां तक पर्वतीय जिलों और इंडस्ट्री विभाग का ताल्लुक है वहां पर हार्टीकल्चर और एग्रीकल्चर अलहैदा-अलहैदा रखे गये हैं । इन दोनों विभागों के एक साथ न होने से वहां पर कोआपरेशन नहीं हो रहा है । जहां तक पोटेटो और बीन्स आदि के विकास का ताल्लुक है वहां पर न तो हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट और न ऐग्रीकल्चर विभाग ध्यान देते हैं । इसलिये इन दोनों विभागों में कोआर्डीनेशन करने की अत्यन्त आवश्यकता है । चाहे दोनों विभाग एक अलग यूनिट में रखे जायं ।

इसके अतिरिक्त फ्रूट यूटिलाईजेशन पर भी बहुत सा रुपया खर्च किया जा रहा है । यूटिलाईजेशन तब होता है जब प्रोडक्शन होता है । लेकिन हम देखते हैं कि इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी सरकार इस ओर कोई उन्नति नहीं कर सकी है । बजट में भी फ्रूट यूटिलाईजेशन डायरेक्टोरेट के लिये व्यवस्था की गयी है । एक डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट क्रीयेट की जा रही है । यह भी बताया गया है कलर्क और हेड क्लर्क वगैरा पूरा काम नहीं कर पाते हैं इसलिये एकाउन्ट्स आफीसर की पोस्ट क्रियेट की जा रही है । मैं इस बात को नहीं समझ सका । जब क्लर्कों के पास काम ज्यादा है तो क्लर्कों की पोस्ट को बढ़ाना चाहिये था लेकिन बजाय उसके अकाउन्ट्स आफीसर की पोस्ट बढ़ाई गयी है । तो एकाउंट अफसर की पोस्ट बढ़ती है और जब तक डायरेक्टोरेट के पास कार नहीं होती तब तक वह डायरेक्टोरेट कच्चा समझा जाता है । इसलिये यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि इसके लिये एक स्टेट वेगन कार की आवश्यकता है । पर्वतीय फल खोज स्टेशन , चौबटिया के विकास में बहुत भारी पोस्ट्स की मांग की गई है । फिर पावर स्प्रेयर की मशीन भी मांगी गई । मैं नहीं समझता कि उसको पर्वतीय इलाकों में कैसे ले आया जायगा । तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि फ्रूट युटिलाइजेशन की आवश्यकता है लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन की ओर भी ध्यान दिया जाय । बगैर प्रोडक्शन के कोई यूटिलाइजेशन की स्कीम नहीं चल सकती लेकिन प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कोई वृद्धि नहीं हो रही है ।

[श्री नरेंद्र सिंह विष्ट]

इसी तरह से एक बात में रेजिन के सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं। उपाध्याय जी ने कहा कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट सहयोग नहीं देता। मैं समझता हूं कि पर्वतीय इलाकों में कम से कम कोई बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है तो रेजिन की इंडस्ट्री हो सकती है। फारेस्ट डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी सिफारिश कर रक्खी है और सरकार ने भी इस सम्बन्ध में एक कमेटी बैठाई थी जिसमें डिप्टी डायरेक्टर, इंडस्ट्रीज विभाग और चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट जैसे एक्सपर्ट्स कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी की सिफारिश प्रकाशित नहीं हुई है लेकिन उनकी राय भी यही है कि एक और रेजिन फैक्टरी की स्थापना होना चाहिये। बरेली का कारखाना, जितना रेजिन निकाला जाता है, उसकी खपत नहीं कर पाता और पूरी मांग की पूर्ति नहीं होती है। अगर नई फैक्टरी ऋषिकेश के आसपास खोल दी जाय तो टेहरी और गढ़वाल का रेजिन वहां आसानी से खपाया जा सकता है और यह दूसरी फैक्टरी अगर स्थापित भी होगी तो बरेली की फैक्टरी को धक्का नहीं लगेगा बल्कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दूसरी फैक्टरी भी चल सकती है और इससे अनएम्प्लायमेंट की समस्या भी हल हो जायगी। इसलिये ऋषीकेश में रेजिन फैक्टरी का स्थापित किया जाना आवश्यक है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री को उनके द्वारा प्रेषित अनुदानों को इस भवन में रखने के लिये मुबारकबाद देता हूं। श्रीमन्, जिस सफाई के साथ और जो साफ-साफ नक्शा हमारे प्रदेश के उद्योगों का और उनसे जो भावी आशायें हैं उसका, हमारे सामने माननीय उद्योग मंत्री जी ने अपने भाषण में रखा है, उसके लिये वे हमारे सभी के बधाई के पात्र हैं। मुझे यह जरूर कहना है कि जहां तक हमारे प्रदेश का भविष्य है, उसका आर्थिक भविष्य है, यह निश्चय ही एक सत्यता है, जैसा कि हमारे मित्र श्री मदनमोहन जी ने कहा कि समाजवादी व्यवस्था की रचना, हमारे प्रदेश में सम्भव होने वाली नहीं है जब तक हमारे आज के उत्तर प्रदेश के आर्थिक ढांचे में बड़े उद्योगों का समावेश नहीं किया जाता। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य होगा अगर हमारी जनसंख्या के बावजूद भी, और हमारे क्षेत्रफल के बावजूद भी, हमारे प्राकृतिक साधनों के बावजूद भी, केन्द्रीय सरकार ऐसा निश्चय करती है कि जिससे हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी बड़ी भारी इंडस्ट्री को हमारे प्रान्त में लगाने की इजाजत नहीं मिलती। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि यह कहा जाय कि भारत सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां विशेष उनके कंसल्टेंट को हैं तो मुझे कुछ हैरत होती है, क्योंकि जब पैरम्बर फैक्ट्री मद्रास के पास लगाई जा सकती है, जहां लकड़ी के साधन कम और सभी बातें कम हैं मैं कोई कटाक्ष नहीं करता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे प्रदेश के मुकाबिले में उन दूसरे प्रदेशों को जो तरजीह आज मिल रही है उसका भला क्या कारण हो सकता है, तो फिर उत्तर प्रदेश के प्रति सरकार अपना उत्तरदायित्व कैसे निभाने वाली है? यह प्रदेश यदि गिरता है तो भारत सरकार के लिए इससे ज्यादा मुसीबत की क्या बात हो सकती है? क्योंकि अगर हमारा आर्थिक ढांचा बनता है या बिगड़ता है तो उसका देशव्यापी असर हो सकता है। यह प्रदेश सारे देश के आर्थिक ढांचे के लिए एक आवश्यक और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बावजूद भी यदि यहां बड़े-बड़े उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं लगते और बड़े-बड़े उद्योग धंधों में लगाने के लिये जो ५ करोड़ की आज है रकम वह रह जाती है, तो निश्चय ही हमारे प्रदेश के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इतने कम धन में हम इस प्रदेश की आर्थिक विकास योजनाओं को सफल कैसे करें? हम उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि की हैसियत से और यहां के सब माननीय सदस्यों की ओर से, यदि

माननीय मंत्री जी भी इस सम्बन्ध में इस सदन के विचारों की गहराई के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कहें कि यह रकम हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही कम है, तो यह अनुचित नहीं होगा। यदि यहां की सवा ६ करोड़ जनता के हितों को ऊंचा उठाना है, यदि यहां की बेरोजगारी को दूर करना है तो हमें यहां भी ऐसे उद्योगों को चलाना होगा, ऐसे बुनियादी उद्योगों को खड़ा करना होगा जिनसे और दूसरे छोटे उद्योग धंधे पनपें, फलें और फूलें। हमें ऐसे उद्योग चलाने होंगे जिनके चारों ओर उद्योगों की कड़ियां जुड़ सकें

माननीय मंत्री जी ने २ शुगर फैक्टरी चलाने का जिक्र किया यह उद्योग, चीनी मिलों का उद्योग, हमारे लिए बहुत ही सतर्कता से देखने की चीज हो गया है और हो सकता है कि आने वाले जमाने में इस उद्योग को हमारे यहां बहुत बड़ा संकट देखना पड़े। बहुत हद तक चीनी मिल तो तभी चल सकते हैं जब काफी गन्ना मौजूद हो, ताकि काफी गन्ना पेरने को मिलता रहे। लेकिन फिर भी गन्ने का उद्योग कोई बुनियादी उद्योग नहीं है कि जिससे दूसरे क्षेत्रों में व्यापारी लोगों की आमदनी बढ़ सके, और लोगों को रोजगार मिल सके, और लोगों को कुछ सहारा मिल सके फिर भी गन्ने के उद्योग को कायम व स्वस्थ रखने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हमारे यहां गन्ने की पैदावार प्रति एकड़ तथा रिकवरी कितनी है, इस ओर हमें बहुत ही सतर्क रहने और पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा किसी दिन दक्षिण में जो गन्ने की फैक्टरियां हैं उनका मुकाबला हम न कर सकेंगे। माननीय मदन मोहन जी ने कहा कि जहां तक उनका और उनके दल का सम्बन्ध है वह दिल्ली में धरना देने के लिए तैयार हैं, मैं समझता हूं कि धरना देने की तो कोई बात नहीं है। हमारी सरकार के लिए तो यह गर्व है और उसका यह रिकार्ड है कि पिछले ५ साल में हमें केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मिली लेकिन हमारे यहां फिर भी तमाम मल्टीपरपज योजनायें चलाई गईं और बिजली और सिंचाई आदि का काफी कार्य इस प्रदेश में हुआ है और हमें केन्द्रीय सरकार से और प्रदेशों के मुकाबले में कम मिला लेकिन फिर भी हम काम करते गए। परन्तु यदि वह (केन्द्रीय सरकार) हमेशा यह आशा करती रही कि हम स्वयं सब धन लगाते रहेंगे और दूसरे प्रदेशों को जो क्षेत्रफल और जनसंख्या आदि में हमसे कहीं कम हैं उनको दिल्ली से ११० और १२० करोड़ की योजनायें देकर नए जीवन का संचार करने की कोशिश करें तो यह हमारी उपेक्षा मात्र होगी। मैं समझता हूं कि इन भावों की और हमारे इस सदन के माननीय सदस्यों के इन विचारों को केन्द्रीय सरकार तक पहुंचाने में माननीय मंत्री जी हमारी मदद करेंगे।

माननीय उपाध्याय जी ने इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव्ज के बारे में कहा। मैं माननीय मंत्री जी को यह सलाह देना चाहूंगा कि यह जो सिलसिला आज प्रचलित है वह मेरी समझ में बड़ा दुखदायी है। मेरा भी इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तिगत अनुभव है। हमारे इलाहाबाद में जमुना पार में एक कर्मा क्षेत्र है वहां पर एक बार इस तरह की कोशिश की गई और मैंने रचनात्मक कार्यक्रम के ऋषि श्री सतीश दास गुप्ता को दावत दी और उनकी भी मदद ली और भाटिया साहब जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी कहा तब कहीं जाकर ११ महीने में वह चर्म उद्योग सहकारी समिति बन पाई। उसमें बड़ी-बड़ी दिक्कतें होती हैं, मार्केटिंग आफिसर के नीचे कई जिले हैं, जहां जाकर वह वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं कर सकते। साथ ही उनकी अनुमति बिना रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता। फलतः सारा कार्य शिथिल होकर रह जाता है।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

अगर आप इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव का जाल बिछाना चाहते हैं तो कोआपरेटिव विभाग के साथ कुछ इसका लगाव और सीधा रिश्ता हो जाय, कम से कम रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज का भार उन्हें सौंप दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और कभी भी उसका पीछा छोड़ देते हैं। इसलिये इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि उन्होंने प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री बढ़ाने के सिलसिले में आश्वाशन दिया है। लेकिन, मैं जरूर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर में, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको जिस तरह से चुर्क में आयडियल फैक्ट्री बनाने की कोशिश है, सब तरह से उसी तरह से उनको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वह वहां के मजदूरों का किया हद तक सहयोग उत्पादन में लेने को तथा उनका असोशिएशन मैनेजमेंट में करने को तैयार हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केंद्रीय सरकार की उस रीति नीति की ओर दिलाना चाहता हूं जिसको माननीय खंडूभाई देसाई ने आल इंडिया रेडियो पर प्रसारित करते हुये कहा था कि सरकार की यह नीति है कि वह मजदूरों का सहयोग उन सभी उद्योगों के कार्य संचालन में लें जिनमें वे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पारसाल मंत्री जी ने भी कहा था और उचित ही कहा था कि उनकी धारणा है कि पबलिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज को आदर्श रख कर सामने पेश करें। मैं आशा करता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह चुर्क फैक्ट्री, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री आदि जो भी उनके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्ज हैं उनमें मजदूरों के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के लिये कोई नयी स्कीम दे सकेंगे जिससे मजदूरों का सहयोग उत्पादन में हो और उत्पादन के द्वारा उस उद्योग की तरक्की हो सके।

मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे एक मित्र ने जिलेवार काटेज इंडस्ट्रीज के सर्वे के सिलसिले में कहा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह सलाह बहुत मुनासिब मालूम होती है। इसका सर्वे जरूर होना चाहिये। पहले हम बड़े उत्साह के साथ काटेज इंडस्ट्रीज को चलाना चाहते हैं। फिर बीच में धक्का लगता है तो बैठ जाते हैं और दिल टूट जाता है। इस तरीके से बिना समझे बूझे काम शुरू करने से उस बुनियादी चीज पर धक्का लगता है जिस पर काटेज इंडस्ट्रीज आधारित हैं। इसलिये पहले से ही उनको इतना मौका हो कि सब बातों को देख सकें, सब चीजों के स्टैटिक्स सामने रहें, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी के प्रयासों से और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रयासों से हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उस कमी को पूरा करने के लिये दिल्ली की सरकार को वाध्य कर सकेंगे जिसके कारण आज सारा उत्तर प्रदेश द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर करीब-करीब हतोत्साहित होकर देख रहा है]।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री ने जिस स्पष्ट भाषा में हमारे प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक स्थिति का, और जो इस विषय में उनकी भावी योजनायें हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, उनका चित्र हमारे सामने रखा, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं उनसे इस बात में भी सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण इस प्रदेश के लिये जिन्दगी और मौत का सवाल है। उन्होंने जो हमारे सामने बहुत सी बातें कहीं कि अगले पांच साल में यह-यह होने वाला है उसमें संदेह नहीं कि उससे हमारे इस प्रदेश में काफी उन्नति होगी। विकास होगा और प्रगति होगी। लेकिन उन्होंने जब यह हमको बताया कि केंद्रीय सरकार ने पब्लिक सेक्टर में इस प्रदेश में कोई हैवी इडस्ट्री नहीं रखी तो हमको बड़ी

मायूसी हुई। हमने यह देखा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २,२०० करोड़ कामन पूल में रखा गया और उसको प्रदेशों में बांटा गया। हमारी आबादी १/६ है, उस हिसाब से हमको ३५० करोड़ मिलना चाहिये था, लेकिन मिला है २४८ करोड़। मैं नहीं जानता कि उनके सामने क्या कारण थे, मगर जो भी रहा हो, मैं यह समझता हूं कि आबादी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिये किसी भी स्टेट के लिये अनुदान देने के लिये और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि २४८ करोड़ जो हमको दिया गया वह बहुत नाकाफी है। यही नहीं हमने यह भी देखा कि केंद्रीय सरकार की तरफ से बड़े-बड़े आयरन और स्टील के कारखाने भिन्न-भिन्न प्रदेशों में लगवाये जा रहे हैं, फरटीलाइजर के कारखाने खोल रहे हैं, हैवी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं और बड़े-बड़े दरियाओं की घाटियों की योजनायें भिन्न-भिन्न प्रदेशों में चल रही है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश को इसमें से कोई भी चीज उन्होंने नहीं दी। यह तो मैं नहीं कहता कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने उनके ऊपर कोई जोर नहीं दिया होगा या अपने केस को प्लीड नहीं किया होगा, परन्तु जो भी हो, हमारे कहने की शक्ति कम हो, या जो भी कुछ हो मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इस संबंध में हमारे इस प्रदेश की अवहेलना की गई है। और मैं अपने मित्र माननीय उपाध्याय जी से सहमत हूं इस संबंध में कि हमारे प्रदेश की सभी की सभी पार्टियों की और तमाम जनता के जो नुमाइन्दे हैं उनको केंद्रीय सरकार पर इस बात का दबाव डालना चाहिये कि हमारे इस प्रदेश को भी हैवी इंडस्ट्री में से कुछ हिस्सा दिया जाय।

एक बात हम यह भी देखते हैं कि हमारे यहां शुगर इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप्ड है और हमारी स्टेट की एक खास उन्नतिशील इंडस्ट्री है। हम यह आशा करते थे कि जहां केंद्रीय सरकार दूसरे स्टेट्स में आज्ञा नये-नये कारखानों के लिये देगी तो इस बात का ख्याल रखेगी कि दूसरे स्टेट्स में शुगर इंडस्ट्रीज खोलने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये सिर्फ इसलिए ताकि एक इंडस्ट्री तो हमारे इस स्टेट के अन्दर हो जिसमें कि हम उन्नतिशील रहें क्योंकि अगर हर स्टेट में शूगर इंडस्ट्री खुल गयी तो, जो हमारे यहां एक इंडस्ट्री है भी, उसका भी गुजारा होने की भविष्य में आशा नहीं रहेगी। यह भी शायद वह हमसे कहेंगे कि आप के यहां मिनरल्स कम हैं, लोहा नहीं है, इसलिये आप के यहां हम हैवी इंडस्ट्रीज नहीं दे सकते पर यह कार्य साउंड आर्ग्यूमेंट नहीं है। हम ऐसी स्टेट्स भी जानते हैं, ऐसी कंट्रीज भी जानते हैं, जैसे कि जापान ही है, वहां लोहा बहुत कम होता है फिर भी वहां बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो इस प्रकार की आर्गूमेंट्स देकर उत्तर प्रदेश की अवहेलना करना उचित नहीं है। तो मैं उद्योग मंत्री जी से कहूंगा कि यह हमारा कोई द्वेष की भावना नहीं है, यह कोई हमारी ईर्ष्या की बात नहीं है कि दूसरों को दिया गया, हमको नहीं दिया गया, हमें इससे कोई ईर्ष्या नहीं है, मगर हम यह चाहते हैं कि हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाय और केंद्रीय सरकार को यह बात मालूम हो जाय अच्छी तरह से कि केंद्रीय सरकार की जो यह नीति उत्तर प्रदेश के लिये रही, उससे उत्तर प्रदेश के लोगों में काफी असंतोष है। यह बात भी देखने की है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से ७४ परसेंट से अधिक लोग ऐसे हैं जो कृषि में लगे हुये हैं। तो इसलिये यह और भी आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के प्रति उद्योगों के लिये और भी उदार नीति को अपनाया जाय।

इतना कहने के बाद जहां तक कि हमारी मौजूदा इंडस्ट्रीज हैं उनके संबंध में बहुत सी बातें कही गईं। उनके विवरण में जाना मेरे लिये संभव नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा माननीय उद्योग मंत्री जी से आपका ध्येय बहुत सुन्दर है, आपका लक्ष्य भी बहुत सुन्दर है। लेकिन आपकी जो योजनायें हैं, वह जो काम चालू आपने किये हैं, आपके ट्रेनिंग-कम-प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, हैं, इंडस्ट्रिअल कोआपरेटिव अर्थात् उनके विषय में जो पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है वह तो बहुत ही अच्छा मालूम होता है लेकिन जब उनकी ऐक्चुअल वर्किंग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनमें उतनी अच्छाई

[श्री नवल किशोर]

नहीं है, उनकी वर्किंग में काफी त्रुटियां हैं, काफी कमियां हैं, यह हमसे कहा जा सकता है कि यह अभी हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, अनुभव भी कम है लेकिन जो भी हो मैं यह चाहता हूं कि इधर भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

जिओलाजिकल सर्वे का जहां तक संबंध है उसके लिये मैं इस सरकार को बधाई देता हूं और इसके साथ-साथ एक चीज मुझे यह कहनी है कि जहां आप इतना उद्योगीकरण कर रहे हैं और जहां आपकी इतनी ऐम्बीशश योजनायें हैं, तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त यह है कि आपको थोड़ी सी इन कर्मचारियों की मनोवृत्ति को तब्दील करने की जरूरत है। मैं यह मानता हूं कि आपके अफसरान में काफी तब्दीली देखने को मिलती है, मगर फिर भी, मेरा अपना यह अनुभव है कि इंडस्ट्रीज का जहां तक डिपार्टमेंट है उसमें जिस तरह के लोगों की आवश्यकता है उसकी आपके पास बहुत कमी है और मुझे आशा है कि इस तरफ भी आपका ध्यान जायगा।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि जिस जमाने से उन्होंने इस डिपार्टमेंट का भार लिया, डिपार्टमेंट रोज बरोज तरक्की करता जा रहा है और साथ-साथ मैं उनके अधिकारियों को भी मुबारकबाद देता हूं कि निहायत दिलचस्पी और मेहनत के साथ इस डिपार्टमेंट की तरक्की में लगे हुये हैं। अब रहा हुजूरवाला, मैं माननीय मदन मोहन उपाध्याय और दीगर मेम्बरों का हमनवा हूं कि जो भारत सरकार हमारे यहां हैवी इंडस्ट्रीज के मसले पर रुकावट डाल रही है और हमारी मदद नहीं कर रही है उसका हम लोगों को बहुत बड़ा अफसोस है और अगर्चे लोग यह कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत है, और भारत उत्तर प्रदेश है, और हमारे सूबे के मिनिस्टर्स बहुत ज्यादा है, और बहुत इम्पारटेंट पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, लेकिन बावजूद उन सब बातों के जहां तक हैवी इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, वह हमें नहीं मिल रही है। हम इसकी उम्मीद करते हैं कि मिनिस्टर साहब एक डेपूटेशन जिसमें आपोजीशन बेंचेज के भी, और गवर्नमेंट के मेम्बरान हों, सेंटर को ले जायं और हम लोगों के जो जज्बात हों, वह हम उनके सामने रखें क्योंकि हमारा सूबा एक बड़ा बदकिस्मत सूबा है कि बावजूद इन सब बातों के हैवी इंडस्ट्री की मदद हमको नहीं मिल रही है। हुजूरवाला में सुनता हूं कि यह कहा गया है कि इस सूबे में पावर नहीं है और जब सन् १९६० तक रिहन्द डैम वगैरह पावर तैयार होगी तब देंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐश्योरेंस दिया, कि जहां गवर्नमेंट चाहे, हम ६ महीने में पावर देंगे। बावजूद तमाम ऐश्योरेंसेज के हमारे सूबे की तरफ तवज्जह नहीं की गयी। हम लोगों को बहुत दुख है कि यह हुआ लेकिन अब हमें उम्मीद है कि हमारे मिनिस्टर साहब हमारे ख्यालात को सेंटर में पेश करेंगे।

हुजूरवाला, उपाध्याय जी ने हैन्डलूम के मसले का तजकिरा किया। उन्होंने बजाय हैंडीक्राफ्ट के हैन्डलूम का तजकिरा कर दिया। जहां तक हैंडीक्राफ्ट का ताल्लुक है, उसको कामर्शल लाइन पर नहीं देखना चाहिये, उसको डेवलपमेंट लाइन पर देखना चाहिये, क्योंकि सूबे में अगर हैन्डीक्राफ्ट न होता तो अपने सूबे का डेवपलमेंट नहीं हो सकता था। आप देखिये कि १२ लाख के करीब हमने काम किया है। मुरादाबाद, हाथरस, बनारस, में सिल्क और हैन्डलूम प्रिंट्स और चिकन का काम ऐसा अच्छा है कि बराबर बाहर उसका एक्सपोर्ट होता चला जा रहा है। देहली या लखनऊ में और दीगर जगहों पर यदि उसका प्रोपेगेंडा न होता तो जितना एक्सपोर्ट हो रहा है, वह नहीं होता। तो स्टेट इस चीज की तरक्की के लिये कर रही है और इसलिये कामर्शल लाइन पर समझना मुनासिब नहीं है बल्कि उसको डेवलपमेंट आइटम में रखना चाहिये। जहां तक हैन्डलूम का ताल्लुक है सन् १९५२ में कुल १५ लाख रुपये का कपड़ा तैयार हुआ। पारसाल १ करोड़ ६० लाख का ब्योहार हुआ और फरवरी तक ३ करोड़ का बाहर माल बिका। अब इसके बाद यह कहना है कि हैन्डलूम तरक्की नहीं करता है तो मेरे ख्याल

में यह गलत है। सिर्फ उसमें बात यही है कि उपाध्याय जी उसमें मौजूद नहीं हैं। अगर वह हो जाते तो डेवलपमेंट हो जाता। मैं बतलाऊं कि डेवलपमेंट सेंटर्स खुल रहे हैं, सेल डिपोज खुले तमाम चीजें खुल रही हैं और बराबर खुलती जा रही हैं। आप देखिये कि पहले कितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज थीं, अब कितनी हैं, कितने कारखाने चल रहे हैं यह सब जानकारी उन्हें करना चाहिये थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने इसकी तरफ ख्याल नहीं किया। कमी सिर्फ यह है कि स्टाफ नहीं है। सिर्फ रीजनल आफिसर्स हैं और कुछ थोड़े से सुपरवाइजर्स हैं, आडिटर्स हैं नहीं जो एकाउन्ट्स को चेक कर सकें। हम बराबर प्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि चार परसेंट स्टाफ और देने वाले हैं तो उसका इंतजाम करें और स्टाफ बढ़ायें, क्योंकि वर्क बढ़ता चला जा रहा है और इस वजह से रेजिस्ट्रेशन तथा और चीजों में देर होती है। क्योंकि सेंटर्स को कर्जा मिलता है, उसकी देर से रिपोर्ट आती है, उसकी जांच करने में देर होती है, स्टाफ है नहीं। पहले सूबे की गवर्नमेंट बैंक्स और यूनियन्स को ऐनुअल ग्रान्ट्स देती थी कुछ दिनों के लिये, लेकिन जो यू०पी० का प्राविंशियल आर्गेनाइजेशन है, उसको एक पैसा नहीं दिया, बल्कि वह अपने रुपये से चल रहा है, हालांकि काम उसी के जरिये से ज्यादातर होता है। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जह करेगी और उसकी इमदाद करेगी, ताकि उसमें काम हो सके। कहना बहुत था लेकिन लाल बत्ती हो गयी है इसलिये मजबूरी है। स्कीमें तो बहुत उम्दा और अच्छी हैं, लेकिन कब्ल फाइनलाइजेशन के उनको स्टैन्डिग कमेटी के सामने आना चाहिये ताकि वह उन पर कुछ अपनी राय दे सकें। अगर स्टैंडिग कमेटी के सामने से पहले ही वे फाइनलाइज हो गयीं तो हम राय क्या दे सकते हैं कि कोई स्कीम अच्छी है या बुरी। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे। यही मुझे कहना है और मैं हुजूरवाला का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री जगन्नाथ महल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय मदनमोहन जी ने सदन के सम्मुख पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। वैसे तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर जो बोझ है वह खेती ही पर है। उस बोझ को हटाने के लिये जो सबसे जरूरी बात है, वह यह है कि हम गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धंधे खोलें जिससे कि जनता उससे फायदा उठा सके और अपनी जीविका चला सकें। इस बजट को देखते हुये मुझे कुछ ताज्जुब भी मालूम हुआ कि जो हमारे यहां गुड़ का एक बहुत बड़ा उद्योग है उसके लिये केवल तीन ही हजार रुपये रखे गये हैं। पिछले साल उसके लिये दो हजार रुपये रखे गये थे लेकिन अन्त में वह १२ हजार तक आया। इसलिये मैं समझता हूं कि यह तीन हजार की रकम इसके लिये बहुत कम है, क्योंकि हमको गुड़ उद्योग को बढ़ाना है और यह ऐसा उद्योग है जिसका हमारे प्रान्त भर के लोगों से ही सम्बन्ध है। इसलिये हमें इसमें अधिक रुपया रखना चाहिये था।

दूसरी चीज जो देखकर मुझे ताज्जुब हुआ वह यह कि कागज, अल्मोड़ा की ऊन का उद्योग और तेल, इन सबसे के लिये कुछ भी अनुदान नहीं रखा गया है। हमारे यहां कागज की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिये हमें हाथ से कागज बनाने वाले उद्योग को बढ़ाना चाहिये। तेल और कागज का गरीब लोग भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके लिये कुछ न रख कर चिकन की कढ़ाई के लिये ५० हजार रुपये रख दिये गये हैं। चिकन का कपड़ा तो बहुत धनी लोग पहनते हैं, काफी कीमत होती है उस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये यह भी देखना होगा कि जो चीज आसानी से जनता सीख सके और जिसका इस्तेमाल आम जनता करती हो, ऐसे उद्योग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन हमें देना चाहिये।

जहां तक फल संरक्षण का सवाल है, मैं समझता हूं कि उस पर खर्चा तो बहुत है लेकिन आमदनी बहुत कम है। तो इसकी तरफ भी हमें देखना चाहिये कि जब हम किसी उद्योग को चलायें तो जैसा माननीय उपाध्याय जी ने कहा, हमको प्रचार को अलग करके उसको बिलकुल

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

व्यापारिक हिसाब से चलाना चाहिये ताकि हम उसमें उन्नति कर सकें और जो जनता पर टैक्स का बोझ पड़ रहा है उसको वह कुछ हल्का कर सकें ।

इसी प्रकार से यह जो आपकी सूक्ष्म औजार फैक्टरी है, इसका पारसाल जो बजट का तखमीना लगाया गया था, वह ८ लाख २५ हजार रुपये का सामान तैयार होना था, लेकिन ताज्जुब हुआ यह जानकर कि महज ७ लाख रुपये का ही सामान तैयार हुआ, यानी १ लाख २५ हजार रुपये का सामान कम तैयार हुआ । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह अधिकारियों से जवाब तलब करें कि सामान इतना कम क्यों तैयार हुआ । जब हमारा इतना तखमीना था तो फिर कम क्यों, हुआ ? अगर नहीं पूछा जायगा तो फिर आपके अधिकारी सोचे कि तखमीना ज्यादा दे दिया जाय बाद को देखा जायगा । इसलिये तखमीना सही होना चाहिये ।

दूसरी चीज यह है कि चारों तरफ से इस बात की शिकायत हुयी कि सेंटर रुपया नहीं देता है । श्रीमन्, मैं एक बात बतलाऊं कि हमारा प्रान्त ऐसा प्रान्त है जहां सेंटर से कोई झगड़ा नहीं होता है, नहीं तो हर प्रान्त में रिआर्गेनाइजेशन को लेकर सेंटर से झगड़ा चल रहा है कोई कह रहा है कि हमें अलग रखो, कोई कह रहा है कि हमारी यह बाउन्डरी होनी चाहिये, फिर हम न क्यों न इसको लेकर झगड़ा करें । मैं कहूंगा कि इसके लिये हमें लड़ना चाहिये,हम कोई बाउन्डरी के लिये नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि लड़ रहे हैं इसलिये कि हमें पैसा दो हमारे यहां शांति है, हम इस किस्म के झगड़ों में नहीं पड़ते हैं । हमें पैसा दो हम उद्योग को बढ़ायेंगे । मैं कहूंगा कि मंत्री जरूर लड़ने की बात सोचें और वह कोई चीज करें ।

तीसरी चीज यह है कि हर साल फैक्टरीज के लिये सेंटर अथोराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर करती है और उस समय करती है जबकि फैक्टरी चलने लगती है तो उसका नतीजा यह होता है कि शुगर फैक्टरीज लास में जाती है । यह भी तमाशा हो रहा है । क्या कहूं, श्रीमन्, सेंटर ही दोषी नहीं बल्कि इस सरकार का भी दोष है । हमारे यहां दो फैक्टरीज पडरौना और कठकुइयां नीलाम होने वाली थीं । वह अगर मई जून तक नीलाम हो जातीं तो वह आदमी ठीक तरह से उनकी सफाई वगैरा करा लेता और इनको चालू करने की हालत में ले आता । इतनी मुश्किल हुयी है कि वह कहने के योग्य नहीं है ।

इसी तरह एक फैक्टरी खड्डा जिसके बारे में मेरी भी वही राय है जो मंत्री जी की है । यह ऐसे आदमी को दे दी गयी जो चलाने में मजबूर है । इसको भी नीलाम करना है । इसको मई जून में नीलाम कर दिया जायगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी को बधाई दूं । पिछले कुछ दिनों से इस प्रान्त का जो औद्योगीकरण हो रहा है इसके लिये हमारे मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं । जो बड़े उद्योग हैं जैसे चुर्क सीमेंट फैक्टरी और सूक्ष्म औजार बनाने वाली लखनऊ फैक्टरी, इनमें पर्याप्त मात्रा में कार्य हुआ है और हमें यह आशा दिलाई गयी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन फैक्टरियों की उत्पादन शक्ति बढ़ा दी जायगी । यह कहा गया है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन दुगुना कर दिया जायगा । इस समय यहां सीमेंट का उत्पादन ७०० टन प्रति दिन होता है वह दुगुना हो जायगा और यह जो सूक्ष्म औजार निर्माण फैक्टरी है, इसके लिये बतलाया गया है कि इसकी उत्पादन शक्ति चौगुनी कर दी जायगी । इसके लिये भी माननीय मंत्री जी तथा सरकार बधाई के पात्र हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है । इस दिशा में जो प्रगति की गयी है, जितने कार्य सरकार की तरफ से औद्योगीकरण के हेतु किये गये हैं उनकी, सब की आलोचना तो इतने कम समय में नहीं की जा सकती है, इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि अपने जिले आजमगढ़ के बारे में कुछ बातें आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतला दूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले का मुख्य उद्योग करघा रहा है। हजारों की संख्या में बुनकर वहां फैले हुये हैं जो सैकड़ों गांवों में बिखरे हुये हैं और जहां करघे का काम चलता है। परन्तु मुझे दुख इस बात का है कि इसके लिये एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है, जो जिले के एक तरफ कसबा मऊ में रहते हैं। हालत यह है कि अगर मैं गांवों का नाम गिनाने लगूं तो सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां हजारों की संख्या में बुनकर रहते हैं। हर गांव में यह फैले हुये हैं, जैसे बड़ा गांव, कोपागंज, मऊ, मुबारकपुर, जिले के पश्चिमी भाग में अतरौलिया बूढ़नपुर नरियांव आदि में, जहां वे बड़ी संख्या में रहते हैं। वह इंसपेक्टर सोसाइटियां आदि बनाते हैं और बुनकरों की मदद करते हैं, लेकिन उनसे कंसल्टेशन बड़ा मुश्किल होता है, वे इतने गांवों में जाकर क्या काम करेंगे। मैंने उनसे मिलने का प्रयत्न किया लेकिन बड़ी कठिनाई से उनसे मुलाकात हो सकी। आवश्यकता इस बात की है कि एक आदमी जिले में पूर्व के लिये हो और एक दूसरा आदमी पश्चिम के लिये रहें क्योंकि जिला बहुत बड़ा है ताकि दो आदमी उन सोसाइटियों को आर्गनाइज कर सकें और उन बुनकरों की देखरेख तथा सहायता कर सकें, तथा उनको प्रोत्साहित कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव-गांव घूम कर देख चुका हूं। बुनकरों की हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। बहुत से तो पाकिस्तान चले गये। जो शेष हैं वे बढ़िया कपड़ा बुनने छोड़ दिये जो सारे जिले को कपड़ा सप्लाई करते थे वह सब काम समाप्त हो गया आज अधिकतर वे केवल गमछा बनाते हैं जिसकी कलकत्ते आदि स्थानों में मांग है। इस प्रकार किसी तरह वे अपना जीविका चला रहे हैं।

हमारे जिले में दूसरा गुड़ का उद्योग है। वह चालू तो किया गया, किन्तु हुआ क्या? हमारे क्षेत्र में ७० गांव लिये गये थे, लेकिन जहां कुछ काम आरम्भ हुआ वहां के कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया। एक आदमी को कहीं व्यवस्थित होकर काम करने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने खुद लोगों को प्रोत्साहन किया था सुल्तानी कोल्हू में गन्ना पेरे और उन्नति शील भट्ठे से गुड़ बनावें और उस सम्बन्ध में उनकी सहायता किया। एक कर्मचारी के साथ गांव-गाँव घूमा लोगों से उनका परिचय कराया लेकिन उनका तबादला कर दिया गया और नतीजा यह हुआ कि जो प्रगति हुयी थी वह शीघ्र ही धीमी हो गयी और दूसरे व्यक्ति उनके स्थान पर जो गये वे वहां के लिये बिलकुल नये हैं उन्हें तो परिचय कराने में ही काफी समय लगेगा।

हमारे जिले में तीसरा उद्योग सन का है। हजारों मन सनई, पटसन, हमारे जिले में पैदा होता है लेकिन उसका सारा कच्चा माल कलकत्ते और दूसरी जगह चला जाता है। हमने इस प्रश्न को जिले की प्लानिंग कमेटी में उठाया था और यह कहा था कि इसका सर्वे कराया जाय और यह देखा जाय कि इस सम्बन्ध में क्या कार्य हो सकता है। अगर हो सके तो कोई मिल वहां बैठायी जाय, रानी की सराय में या बूढ़नपुर में, जिससे वहां का कच्चा माल पक्का बन कर बाहर जाय इससे वहां के बेकारी की समस्या का भी एक हल निकल सकता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु मुझे आश्चर्य हुआ एक बात से। कोई विशेषाधिकारी नियुक्त हुये थे जो वहां सर्वे करने गये। उन्होंने लिख दिया कि जिले में जो सन पैदा होता है उससे केवल रस्सी बनाने का ही काम लिया जा सकता है और कोई काम में वह नहीं आ सकता। पता नहीं कैसे उन्होंने सर्वे किया? पता नहीं किससे उन्होंने पूछताछ की। हम लोग जो वहां के प्रतिनिधि हैं, उनसे उन्होंने कोई बात ही नहीं की। यह प्रश्न जब प्लानिंग कमेटी में आया तो हमने उसका विरोध किया, लेकिन आज तक पता नहीं कि उसमें क्या कार्यवाई हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जिले की यह मांग रही है कि इंदारा में एक चीनी की फैक्टरी खोली जाय, मऊ में एक सूत बनाने की फैक्टरी खोली जाय और बूढ़नपुर या रानी की सराय में एक सन् की फैक्टरी खोली जाय जिले में इतनी जो बेकारी बढ़ रही है उसका इलाज भी यही हो सकता है आज वहां का शिक्षित व्यक्ति बेकार हो रहा है। यदि यह फैक्टरियां खुल जावें तो बहुत से लोगों

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

को कार्य मिल सकता है, इस तरफ अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि माननीय मंत्री महोदय ने अपने पिछले साल के दौरे में यह वायदा किया था, वचन दिया था, कि इंदारा में बहुत शीघ्र ही चीनी मिल खोल दी जायगी, लेकिन उसमें अभी तक क्या हो रहा है हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं एक मिनट में ही निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जैसा कि हमारी तरफ से कहा जाता है और हम लोगों को भी इसकी बड़ी शिकायत है। उद्योग विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उन सब को आप कानपुर में रखे हुये हैं। हम लोगों को उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता है। अगर उनसे सम्पर्क रहे तो कुछ उनसे मालूम हो सकता है और कुछ अपने विचार उनको बतलाये जा सकते हैं। कृषि के विषय में तो हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके अब आगे प्रदेश का उद्योगीकरण करना है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस सारे स्टाफ को लखनऊ में रखा जाय जिससे हम लोगों को उनसे सम्पर्क के स्थापित करने में कुछ सहूलियत हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय की सेवा में जो सुझाव दिये गये हैं उन पर वह ध्यान देने की कृपा करेंगे और हमारे जिले में कुछ न कुछ कार्य करेंगे ताकि बेकारी की समस्या हल हो। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रदेश या देश की समृद्धि बढ़ानी होती है तो आवश्यक होता है कि उसकी कृषि और उद्योग धंधों का विकास किया जाय। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि की उन्नति के लिये थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम अपने यहां उद्योगधंधों को बढ़ाकर अपने देश और प्रदेश के जीवन को ऊंचा करना चाहते हैं। श्रीमन्, बड़े दुख की बात है कि इंडस्ट्रीज के बारे में हमारी केन्द्रीय सरकार की जो नीति है, जो उदासीनता की पालिसी है वह हमारे प्रदेश के लिये बड़ी हानिकर है। दूसरे प्रदेशों में केन्द्रीय सरकार की पालिसी दूसरी है। बंगलोर में आप देखें कि वहां पर एयरक्राफ्ट फैक्टरी है, टेलीफोन फैक्टरी है और भी कई दूसरी फैक्टरी खुली हैं। पंजाब में भाखरा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया है। बिहार में स्टील फैक्टरी खुल रही है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि वहां पर कितनी तरक्की हो रही है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश की तरफ यह उदासीनता की पालिसी क्यों। यदि मैं अपने मित्र के शब्दों में कहूं तो कह सकता हूं कि जान बूझकर यह नीति कुछ लोगों द्वारा बरती जा रही है। वे हमारे उत्तर प्रदेश को फूलता-फलता देखना नहीं चाहते हैं और इसको कमजोर होते हुये देखना चाहते हैं। लेकिन यह पालिसी ज्यादा दिन तक नहीं चल पायेगी। हमारी फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी मांगों को ठुकराया जायेगा। हम सब इस हाउस के माननीय सदस्य इस बात के लिये कोशिश करेंगे कि उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसको केन्द्रीय सरकार जल्द से जल्द कार्यान्वित करे और जो दस्तकारी और काटेज इंडस्ट्रीज यहां पर खुल सकती है वह जरूर खुले सब से अधिक आवश्यकता काटेज इंडस्ट्री की होती है। उसकी तरफ हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान गया है। उनकी स्पीच को मैंने सुना है और उन्होंने आशा का संचार किया है। वह हमारे प्रदेश में एक क्रांतिकारी युग लाना चाहते हैं। उनको इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यहां पर क्रांतिकारी युग लाया जा सकता है। मुझे इस बात का गर्व और गौरव है कि सारे प्रदेश का प्लानिंग और इंडस्ट्रीज एक ही मंत्री के हाथ में है। यह विभाग दोनों ऐसे हैं जो एक ही आदमी के हाथ में रहने चाहिये।

काटेज इंडस्ट्रीज का कन्सेप्शन यही है कि घरेलू उद्योगधंधों को विकसित किया जाय। यदि हम अपने प्रदेश में काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको जापानी तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। यदि जापान में एक जहाज बनाया जाता है तो वह गांव के अन्दर ही बनाया जाता है। काटेज इंडस्ट्रीज के द्वारा ही बनाया जाता है। पुरजे अलग बनते हैं और असेम्बिल उनको दूसरी जगह किया जाता है। हम लाखों किलोवाट बिजली पैदा करते हैं तो उसके लिये हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिये। जहां पर काटेज इंडस्ट्रीज का काम हो रहा है वहां पर हमको पहले ऋण देने की योजना बनानी चाहिये। जितनी भी चीजें दस्तकारी की बनती हैं वह सब काटेज इंडस्ट्रीज के द्वारा बनानी चाहिये। जैसे अलीगढ़ में ताले बनाये जाते हैं तो वहां पर इस उद्योग की उन्नति की जाय। काटेज इंडस्ट्रीज की चीजें जहां-जहां

पैदा होती हैं वहां पर पावर को डिसेन्ट्रलाइज करके उन चीजों को पैदा करना चाहिये तब किसान भी अपनी फुरसत के समय पावर के द्वारा छोटी-छोटी चीजें अपने कारखाने या मशीन से पैदा कर सकता है। मुझे वाकई अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि हमारे एन०ई०एस० ब्लाक खुले हुये हैं लेकिन वहां पर ट्रेनिंग के लिये ऐसे आदमी नहीं हैं जो वहां पर लाइट इंडस्ट्रीज के लिये कुछ इंतजाम कर सकें। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एन०ई०एस० ब्लाक में कुछ जरूर ऐसा प्रबंध किया जाय जिससे वहां पर छोटे उद्योगधंधे पनप सकें। मेरी कांस्टीट्युयेंसी में रोज (गुलाब) बहुत होता है, इसके अतिरिक्त हैन्डलूम इंडस्ट्रीज भी है। इनके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी के पास अप्रोच किया। उसकी इंक्वायरी भी हुयी लेकिन दो साल हो गये उसके ऊपर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पायी है। इसके साथ ही साथ अगर हमें काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है तो हमें उसको प्रोटेक्शन देना होगा। जितनी इंडस्ट्रीज हमारे देश में हैं, जितने लक्जरी गुड्स हैं अथवा इत्र हैं जो बाहर से आते हैं उनके बारे में हमें केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करना चाहिये कि उन पर इतना सेल्स टैक्स लगा दे कि वे यहां आने ही न पायें।

इसी प्रकार से ड्रग्स भी हैं जिनको हम २० करोड़ रुपये की मंगाते हैं। केन्द्रीय सरकार को इसका भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। हमारे यहां पेनीसिलिन की इंडस्ट्रीज स्थापित हुयी है जिस पर ४ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। वहां पर पेटेन्ट की रजिस्ट्री करा लेते हैं। इसलिये हमें यह पालिसी अख्तियार करनी चाहिये कि हम इसको न मानें और स्वयं उनकी इंडस्ट्री स्थापित करें। इस प्रकार से हमें पंचवर्षीय योजना में अपनी धन दौलत को बढ़ाना चाहिये। अभी हमारे देश में कुछ रशियन साइंटिस्ट आये हुये हैं। उनसे मालूम हुआ कि रशिया में पेटेन्ट्स को नहीं मानते हैं। ऐसी ही घोषणा हमें अपने प्रदेश में भी करनी चाहिये और ड्रग इंडस्ट्री को हमें नेशनलाइज करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इस इंडस्ट्रीज विभाग का रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये। जितने भी आई०सी० एस० और आई०ए०एस० कर्मचारी होते हैं वे सब हर मर्ज की दवा समझे जाते हैं चाहे वह ऐडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो अथवा इंडस्ट्री का। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक इंडस्ट्रियल सिविल सर्विस की स्थापना करनी चाहिये.... जो इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट लोग हों वही उसमें रक्खे जाने चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हैन्डलूम के लिये यार्न का भी ठीक प्रबंध होना चाहिये। जो मिलें यार्न बनाती हैं वे हैन्डलूम वालों को खराब यार्न सप्लाई करती हैं। अच्छा यार्न मिलों में काम आ जाता है। अपने यहां ऐसे मिल्स के स्थापित किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

प्रेस के लिये ८ लाख रुपया रक्खा गया है लेकिन उसमें पेपर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस बारे में हमें रशिया की प्रोडक्शन मिनिस्ट्री की भांति करना चाहिये जंगलों से लेकर प्रेस तक पूर्ण अधिकार होता है। हमारे यहां भी बहुत सी लकड़ी और बांस होता है जिससे पेपर बनाया जाता है। इस प्रकार से हम भी अपने यहाँ सस्ता लिटरेचर तैयार करके विदेशों को भेज सकते हैं।

यह ठीक है कि काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में सर्वे कराया गया है और जहां-तहाँ इंडस्ट्रीज को सहायता दी जा रही है लेकिन जो काटेज इंडस्ट्रीज है वह जैसी की तैसी बनी हुई हैं। न हम उन लोगों को रोटी दे पाये हैं और न काम ही दे पाये हैं। काटेज इंडस्ट्रीज की चीजें जो बाजार में बिकती हैं उन पर सब प्रकार के खर्चे और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज लगा कर बेंची जाती हैं। इससे उनकी बिक्री अधिक नहीं होती है। मुझे आशा है कि जब माननीय मंत्री जी के हाथ में यह विभाग आया हैं तो वे उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे और जो मकसद हमारा समाजवादी ढांचे से वह इसके द्वारा हो सकेगा। हमें इस विभाग का रिआर्गनाईजेशन इस प्रकार से करना होगा कि वह हमें सोशलिस्टिक समाज के ध्येय पर पहुंचा दे।

*श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और मुझको यह अर्ज करने में निहायत खुशी है कि इस सिलसिले में जो कदम माननीय मंत्री जी उठा रहे हैं और देश की तरक्की देने के लिये जो कोशिश कर रहे थे वह हमारी इंडस्ट्री को ख्वाह वह हैवी इंडस्ट्री हो या ख्वाह काटेज इंडस्ट्री हो—हमको आगे ही ले जा रहे हैं। लेकिन जनाब वाला इसके यह मानी नहीं कि माननीय मंत्री जी का हम उन इंडस्ट्रीज की तरफ तवज्जह न दिलायें जिसे कि हैन्डलूम इंडस्ट्री काटेज इंडस्ट्री कहते हैं। जिसने आज दुनिया के दूसरे मुल्कों में अपनी एक खास जगह हासिल कर ली है और जो बनारस व मिर्जापुर में होती है उससे मेरा मतलब है जो चीजें इस मुल्क से दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती हैं और जो रकम यहां के बनाने वालों को उससे मिलती है वह गालिबन तीन करोड़ रुपया है, और यही इंडस्ट्री ज्यादा तरक्की करेगी। मैं निहायत अदब से माननीय मंत्री जी की तवज्जह उस तरफ दिलाऊंगा कि यह काटेज इंडस्ट्री जो कि खास पोजीशन अख्तियार कर चुकी है और उनके बढ़ाने में हम ज्यादा ध्यान दें तो वह और ज्यादा हमारे बेरोजगारों को रोजगार फराहम करेगी और उनकी पोजीशन दुनिया के मार्केट में और ज्यादा ऊंची होगी। जहां तक कि मार्केट का ताल्लुक है मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि ९७ परसेन्ट जो माल तैयार होता है वह विदेशी मुल्कों को जाता है और उसके जरिये तीन करोड़ रुपया हिन्दुस्तान में आता है और तीन परसन्ट की ही हमारे मुल्क में खपत होती है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जहां तक ऊनी कार्पेट बनाने का ताल्लुक है, यह दुश्वारी दरपेश है कि जिस किस्म का अच्छा ऊन इसको मिलना चाहिये वह रा मेटिरियल काफी मिकदार में फराहम नहीं होता। वह ऊन जो राजस्थान से आता है वही गालिबन इस इंडस्ट्री को मिल पाता है, जब कि ११ मिलियन पौंड ऊन की दरकार होती है, लेकिन और इसको तरक्की दी जाय और ज्यादा मिकदार में अच्छा मेटीरियल इसके लिये फराहम किया जाय तो आज वह इंग्लिस्तान, जर्मनी और फ्रान्स और दूसरे मुल्कों में अपने लिये एक बड़ी अच्छी पोजीशन हासिल कर लेगी।

दूसरी चीज मैं आपके जरिये जनाबवाला यह अर्ज करूं कि और भी काटेज इंडस्ट्रीज हमारे प्रदेश में ऐसी हैं जो कि जनाबवाला मंत्री जी की तवज्जह की मुहताज हैं। जहां से मैं निर्वाचित हो कर आ रहा हूं उसके मुताल्लिक यह अर्ज करूं कि जिला बदायूं में बहुत अर्से से ऐक कूट की इंडस्ट्री है जहां कागज को गला कर बाक्स और दूसरे किस्म की चीजें बनाई जाती हैं लेकिन कुछ अर्से से मैं यह देखता हूं कि इन चीजों के बनाने में बहुत कुछ कमी वाक्या हो गई है और गालिबन इसकी वजह यह है कि इसके बनाने वाले अपने माल की खपत नहीं देखते और इस काम को छोड़कर वे दूसरे काम करते जाते हैं। मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेन्ट इस जानिब तवज्जह करे और इस इंडस्ट्री को तरक्की दे तो बहुत से आदमियों को रोजगार मिल जायगा और बेरोजगारी की समस्या किसी हद तक हल हो जायगी।

इसके अलावा तीसरी खास चीज जो मेरे खास क्षेत्र से ताल्लुक रखती है, मैं जनाबवाला के जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि मूंज जिससे बाध और रस्सी वगैरह बनाई जाती है वह काफी तादाद में दस्तयाब होती है। इससे पहले कांग्रेस हुकूमत के और हमारी बदकिस्मती से जब अंग्रेज यहां मुसल्लत थे उनके पेशेनजर यह स्कीम थी कि कोई इंडस्ट्री इस किस्म में ऐसी जारी कर दी जाय कि मूंज जो काफी तादाद में पैदा होता है उसका इस्तेमाल हो सके। उसको उस वक्त जेलखाने में भेजा जाता था और कोई काम उससे नहीं लिया जाता था और उससे वह माल नहीं बनता था जिसको कि बनाना चाहिये था। तो उस वक्त भी यह स्कीम थी कि कि मशीन के जरिये मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाई जायं। आज भी वह माल वहां कसीर तादाद में दस्तयाब है और माननीय मंत्री जी उस जानिब तवज्जह फरमायें तो कोई ऐसा इंडस्ट्री जारी हो जायगी जिसके जरिये से उस माल की वहीं खपत हो जाय और जो बेरोजगारी की समस्या वहां है वह बड़ी हद तक हल हो जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करूंगा कि नैशकर हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में पैदा होता है जो कि काटेज इंडस्ट्री खंडसारी की है उसमें काम आता है लेकिन हमारे यहां बहुत सा ऐसा गन्ना रह जाता है जो पेरा नहीं जाता और इसलिये वह बेकार हो जाता है। अगर पंचसाला स्कीम के मातहत कोआपरेटिव लाइन्स पर वहां पर कोई फैक्टरी कायम हो जाय तो मैं समझता हूं कि गन्ने की काफी मिकदार ऐसी है जो कि बजाय पेरे जाने के बेकार जाती है, और जगरिया या दूसरी जगह अगर जाती है, तो उस से किसानों को बहुत नुकसान होता है। इस तरह से काफी गन्ने की खपत हो जायगी। मैं जनाबवाला से अर्ज करूंगा कि इस के अलावा वहां पर कुछ और भी छोटे से कारखाने हैं वह भी गन्ने की पेराई के सिलसिले में वहां कायम हैं और उन की सूरत यह है कि कुछ जमाने से वहां ऐसी मशीनें लगा दी हैं लोगों ने कि वह पुराने लोहे को गलाकर छोटे-छोटे पुर्जे ढालते हैं लेकिन वह सरमाये की कमी की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये, मैं माननीय मंत्री जी से निहायत अदब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप उस तरफ कभी तशरीफ लायें और आप उनकी किसी तरह से हिम्मत अफजाई कर दें तो वह बहुत सी कारगर चीजे बना सकते हैं जिनकी इस मुल्क को बहुत जरूरत है और उनके बनन से हमारी बेरोजगारी की समस्या भी किसी हदतक हल हो जायगी।

*श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढवाल)--उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान की बहस काटेज इंडट्स्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री सब को लेकर एक साथ चल रही है। यह एक बहुत ही लम्बा-चौड़ा विषय है, और सभी सिद्धान्त किसी सर्वसाधारण या वैज्ञानिक के द्वारा नहीं बताये जा सकते हैं। अब चूंकि समय का अभाव है, इसलिये मैं केवल पर्वतीय प्रदेश और विशेषकर अपने जिले गढ़वाल की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और कुछ सुझाव उन के समक्ष रखना चाहता हूं। वहां के लिये कुछ विशेष योजनायें हैं। अभी माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त जो यहां के मुख्य मंत्री थे उन्होंने उस प्रदेश के विषय में जो व्याख्यान दिया था, उस में कहा है कि पर्वतीय प्रदेश की विकास और उन्नति के लिये दो मुख्य साधन हो सकते हैं एक तो वूल या ऊन का विकास और दूसरे वहां हार्टिकल्चर या फलों के उत्पादन का बढ़ाया जाना। जहां तक ऊन उद्योग का सवाल है सन २१ से उस ओर सरकार का ध्यान गया है और ३५ साल हुए हम देखते हैं कि पुस्तकों में बहुत सी बातें लिखी हैं लेकिन जिस प्रगति से उस दिशा में कार्य होना चाहिए था वह नहीं हुआ। वह क्यों नहीं हुआ ? यद्यपि केन्द्र ने वहां के लिये ऊन योजना बनाई है, लेकिन वहां अभी तक एक शिक्षण केन्द्र के दृष्टिकोण से ही कार्य हुआ है और उत्पादन बढ़ाने और लोगों को रोजगार देने का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। उस योजना को यदि सहकारी आधार पर चलाया जाता तो ज्यादा लाभ हो सकता था और लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सकता था और एक साइड बिजिनेस बन सकता था। दूसरे चेप्टर में बताया गया है कि भारत तिब्बत सीमा पर भी ऊन योजना चलाई जा रही है। चेप्टर ९ में लिखा है कि ऊन के विकास के लिये शिक्षण केन्द्र खुलेंगे। मैं मंत्री जी का ध्यान काला पंथिया और माला पंथिया पट्टियों में जो लोग रहते हैं उनकी तरफ दिलाऊंगा वह केवल ४ मास वहां रहते हैं, वह केवल ऊन की वस्तु ही पहनते हैं और ऊन का ही कारबार करते हैं। कई पट्टियां वहां ऐसी हैं मैं उन का नाम भी ले लूं लेकिन विभाग का भी ध्यान गया है, विभाग ने भी जी० ओ० लिखा है। उसमें सात पट्टियां ये हैं। वासमय-खंडा, मल्ला, कालीघाट, खदेड, मल्ला नागपुर, मल्ला पैनखंडा, तल्ला पैन, खंडा और मल्ला दसौली। इस प्रदेश के लोग जो हैं प्रायः गरीब हैं। चमौली तहसील में जिसे अपर गढ़वाल कहते हैं और माननीय मंत्री जी वहां गये हैं उन्होंने देखा होगा कि प्राय वहां लोग ऊन के ही वस्त्र पहनते हैं। ऊन भोटिया साइड में कम होता है क्योंकि वहां तिब्बत साइड से ऊन आता है। लेकिन नीचे के एरिया में ऊन होता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

लोग ऊन के वस्त्र भी बनाते हैं। परन्तु वह इतने पुराने ढंग का तरीका होता है, जो मैं समझता हूं पाँच सौ साल या हजार साल से चला आ रहा है। वहां पर इसके शिक्षण केन्द्र बहुत कम खोले गये हैं। लेकिन जो क्षेत्र बिजनौर से मिला हुआ है उसमें खोले गये हैं जहां पर ऊन कम होता है। जिस तरह से हैन्डलूम को प्रोत्साहन देने के लिये कोआपरेटिव सोसाइटियां बना दी गयी हैं उसी प्रकार से व्यापक रूप से प्रत्येक पट्टी के केन्द्र में कोआपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्र खोल दिये जायं। हम देखते हैं कि कश्मीर और दूसरी जगहों से सुन्दर कपड़े आते हैं और हम यह भी देखते हैं, कि काटेज इंडस्ट्रीज की बनी हुई चीजों का प्रचार विदेशों में किया जा रहा है। अगर वहां से बने हुए कपड़ों को मार्केटिंग का प्रबन्ध कर दिया जाय तो काफी साधन वहां के लोगों को उपलब्ध हो सकते हैं।

मैं फलों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। यद्यपि रामगढ़ में एक फ्रूट प्रूटिलाइजेशन फैक्टरी खोल दी गयी है लेकिन उससे पूरी समस्या हल नहीं होती। हम देखते हैं कि अभी पर्याप्त भूमि ऐसी है जहां फलों के उद्यान हो सकते हैं। कई तरह के फलों के उद्यान हो सकते हैं। उनको कोआपरेटिव लाइन पर चलाया जाय। बड़े-बड़े उद्यान गवर्नमेन्ट कोआपरेटिव लाइन्स पर बना दे तो उससे फलों का काफी उत्पादन हो सकता है। केदारनाथ के इलाके में बहुत से संतरे होते हैं। वह ऐसे स्थान पर होते हैं जिस समय लोग आते जाते नहीं हैं यातायात नहीं होता। अगर उन संतरों को कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करने का प्रबन्ध कर दिया जाय जैसे पीपलकोटी का सामान लोग ले जाते हैं उसी तरह से अगर कोल्ड स्टोरेज बना दिये जायं तो इससे लोगों को काम भी मिलेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ जायगी।

श्रीनगर-गढ़वाल में पोलीटेक्निल इंस्टीट्यूट बन गया है। मैं चाहता हूं कि उसमें अच्छे-अच्छे डिजाइन्स बनाये जायं, और जो वहां पर डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट है उनका एक कोआर्डिनेशन होना चाहिये जिससे लोकल चीजें बन सकें और उस कोआर्डिनेशन के द्वारा उनका व्यापक प्रचार हो सके और ऐसी चीजें बनायी जायें जो केवल वहीं पर बिक्री के लिए न रह जायं बल्कि बाहर तथा विदेशों में भी जा सकें। ऐसे डिजाइन उनको तैयार करने चाहिए मैंने पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट-श्रीनगर को देखा है और उसको खोलने के लिये प्रशंसा करता हूं। लेकिन जितनी चीजें तैयार की जा रही है प्रायः वह पुराने माडल की हैं। इसलिये नये डिजाइन बनाने का प्रयत्न किया जाय।

टेहरी और गढ़वाल के इलाके में अगर मोटर मैकेनिक के क्लासेज खोल दिये जायं तो लोग वहां मोटर मैकेनिक का काम सीख सकते हैं और कुछ लोगों को उससे रोजगार मिल सकता है।

इसके बाद सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं। इस पुस्तिका में एक चैप्टर भूगर्भ के सम्बन्ध में है। इसमें लिखा हुआ है कि डांडाखान और मोहनखाल की तरफ और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है वह इलाका जहां पर सर्वे किया गया है चालीस मील का लम्बा चौड़ा है जितने स्थानों में उन लोगों ने जाकर देखा है वहां एक तांबे का पहाड़ है, एक ही पहाड है। पूरब की तरफ से, पश्चिम की तरफ से, उत्तर की तरफ से जगह-जगह स्थान हैं जहां से लोग लोहा और तांबा लेकर आये हैं और उसकी ड्रिलिंग के बारे में रिपोर्ट उन्होंने दी है। इस प्रदेश के उस इलाके में राक्सी ब्लाक एक पहाड़ी है जहां उस पहाड़ी के चारों तरफ चालीस-पचास मील की दूरी तक हर एक दिशाओं में से लोग यह निकालकर लाते रहे हैं। वहां पर यातायात का कोई साधन नहीं है इसलिये उसका एक पूरा सर्वे कर दिया जाय। वहां ऐसी चीजें निकल सकती हैं क्योंकि प्राचीनकाल से लेकर अभी तक जो लोहा या तांबा लोग लाते रहे हैं वह वहीं का निकला हुआ है। लेकिन ऐसा न हो कि सिर्फ थोड़ा सा सर्वे करके आप छोड़ दें उसका पूरा सर्वे करने की आवश्यकता है। हो सकता है चालीस-पचास मील के अन्दर

ड्रिलिंग करना पड़े और वह भी दो सौ चार सौ फुट तक । तो इसके लिये आपने जो कुछ किया है उसके लिए हम बधाई तो अवश्य देंगे कि आपने उस तरफ ध्यान दिया, लेकिन ऐसा है वहां पर कि काफी पिछड़े हुए इलाके वह हैं यातायात का कोई साधन नहीं है। तो जल्द से जल्द यातायात का प्रबन्ध किया जाय श्रमदान द्वारा या प्लानिंग के द्वारा जैसे भी हो उसका इन्तजाम किया जाय। यातायात का साधन हो जाने पर कुछ मशीनें भी वहां जा सकेंगी जिनसे ड्रिलिंग का वर्क अच्छा हो सकेगा क्योंकि आपके छोटे-छोटे हथियारों से सांबल वगैरह से ड्रिलिंग का काम नहीं हो सकेगा । इतना कहते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं कि जितनी भी स्कीमें पर्वतीय क्षेत्र के लिये हैं उनसे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। काटेज इंडस्टीज से केवल उनको कुछ काम मिलता है। हैन्डलूम का जो कोआपरेटिव बनाया गया है अगर गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल और नैनीताल में वहां पर भी कोआपरेटिव बना दिया जाय तो उससे लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है। वहां गरीबी तो है ही इससे कुछ न कुछ काम उनको मिलेगा ही। वहां पर उद्यान के बढ़ाने की भी काफी पासिबिलिटी है। कोआपरेटिव के द्वारा वहां इसमें भी बहुत उन्नति की जा सकती है। वहां अभी बहुत सी भूमि है खास करके केदारनाथ के इलाके में और वहां पर यह काम बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने माननीय उद्योग मंत्री जी ने उद्योग विभाग के भविष्य के सम्बन्ध में जो रूपरेखा खींची है उससे न इस सदन के सदस्यों को बल्कि इस सदन के बाहर जो लोग होंगे उनको भी काफी संतोष होगा पर साथ ही साथ सदन के सदस्य और बाहर के जो लोग इस विभाग की रिपोर्ट को पढ़ेंगे उनके ऊपर इसका क्या असर होगा यह तो भगवान ही जाने । मैं पहले इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । जहां तक इस रिपोर्ट में बड़े-बड़े उद्योग धन्धों का सम्बन्ध है उसमें यह कहा गया कि हमारे प्रान्त में १७ सूती कारखानें हैं । बड़ा अच्छा होता और हमें बड़ा बल मिलता केन्द्रीय सरकार के सामने इसे रखने का यदि इसमें यह भी होता कि सात कारखानें इसलिये बन्द पड़े हैं कि चूंकि उनकी मशीनरी अच्छी नहीं है और बार बार केन्द्रीय सरकार से यह कहा गया कि हमको दूसरा लूम रखने की इजाजत दी जाय, हमको दूसरा स्पिंडिल रखने की इजाजत दी जाय ताकि हमारे प्रान्त में जो सूत की जरूरत है जिसे हम दूसरे प्रान्त से मंगा रहे हैं उसकी पूर्ति हो और साथ ही जो सैकड़ों मजदूर बेकार हो गए हैं उनको काम मिल सके। लेकिन दुख है कि केन्द्रीय सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और यदि रिपोर्ट में यह बात होती, तो मेरा विश्वास था कि बाहर के लोग आज इस बात के लिये एक आन्दोलन मचाते कि इस तरीके से इस प्रान्त के ये कारखाने बन्द पड़े हैं । इसी तरीके से जूते के कारखानों का सवाल है। जहां तक जूते बनते हैं प्राइवेट दूकानों से उससे मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं चाहता हूं कि गृह उद्योग बढ़े ताकि सैकड़ों और हजारों आदमी उसमें लग सकें । लेकिन मैं यह देखता हूं कि इस सारे उद्योग का लाभ हमारे बड़े बड़े पूंजीपति उठा रहे हैं। मैं आपका ध्यान कानपुर के कूपर एलन की तरफ ले चलूंगा । कानपुर में कूपर एलन वालों ने यह दरख्वास्त दी है कि हमको सात सौ आदमी निकालने दीजिए। फिर जूता बनेगा कहां बनवाते वह बाजार में हैं और अपनी फैक्टरी के नाम से बेचते हैं जिससे उनको एक्साइज ड्यूटी का फायदा होता है और मजदूरों को जो कायदे कानून से देना पड़ता उसका भी फायदा होता है । इसका फायदा उठाकर तो सफलता अवश्य मिल रही है लेकिन दूसरी तरफ ७ सौ मजदूर आज सड़कों पर भूखों मर रहे हैं । इसी प्रकार उनके कारखाने के उद्योग को हमें देखना है। हमारे प्रान्त में वूल उद्योग के केवल तीन कारखाने है। उन तीन कारखानों में से एक कारखाना चल रहा है। आपकी इस रिपोर्ट में तीन कारखानों की संख्या तो बता दी गई है लेकिन यदि आप यह कहते कि उन कारखानों में से दो बन्द पड़े हैं और यहां के मजदूर बेकार हैं तब तो सही हो सकता था। तो आपको सबसे

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

पहले तो अपनी नीति निर्धारित करनी होगी काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में गृहोद्योगों के बारे में और बड़े उद्योगों के बारे में भी । जब तक आप इस सम्बन्ध में कोई अपनी नीति नहीं निर्धारित करते है, उस समय तक यह कार्य आगे नहीं बढ सकता ।

तो मैं यह कह रहा था कि वूल के कारखाने किस तरह से अपने यहां बन्द पड़े हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि इस प्रान्त में केवल शक्कर के कारखानों को छोड़कर बाकी कारखाने बन्द से होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार का यह ध्यान है और वहां पर इस तरह का एक प्रचार है कि इस प्रान्त में रा मैटीरियल है ही नहीं । हमें इस रिपोर्ट के प्रथम पेज पर बताया गया है कि हमारे प्रान्त मे सस्ते मजदूर मिलते हैं सस्ती बिजली मिलती है और रा मैटीरियल मिलते है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्रान्त में ये तीनों चीजें सस्ती हैं और मिलती हैं पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि आपने पिछले साल अगस्त या सितम्बर के महीने में कहा था कि हम २५ प्रतिशत बिजली की दर कम कर देंगे जो नई इंडस्ट्री खोलेगा । मैं उनका ध्यान दिलाऊं कि अगस्त और सितम्बर के महीने में यहां दरख्वास्तें आना शुरू हुईं कि २५ प्रतिशत बिजली का दाम कम करो हम यह फैक्टरी लगाना चाहते हैं जिनका आज तक आपका डिपार्टमेन्ट कोई इंतजाम नहीं कर सका कि कौन सी इंडस्ट्रीज को देना है और कौन सी को नहीं देना है। कानपुर में कई ऐसे कारखाने है जिन्होंने इस आशा में पहले से अपने आर्डर प्लेस कर दिये हैं लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हुये हैं ।

इसी तरह से आगे चल कर आप कहते हैं कि जो हमारी सीमेंट फैक्टरी है उसका उत्पादन बढ गया होता, अगर श्रमिकों ने सहयोग किया होता । जो इल्जाम आज श्रमिकों पर दूसरे लोग लगा रहे हैं वही हमारा विभाग लगा रहा है । जब श्रमिकों का अनुदान विचार के लिये आयेगा और आप समय देंगे तो उस समय मैं बताऊंगा लेकिन यह मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का श्रमिक इतने सस्ते दाम पर इतने अधिक समय तक और इतना अधिक काम करता है कि दूसरे प्रान्त में आपको यह चीज नहीं मिल सकती ।

बड़ी इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में मुझे डर है और मुझे परेशानी इस बात से है कि कहीं सीमेन्ट फैक्टरी की डर की वजह से तो आपने देहरादून की फैक्टरी प्राइवेट सेक्टर वालो को नहीं दे दी । आपने अगर इस डर से दे दी है, तो मैं फिर आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस डर को वापस लें और इस सीमेन्ट फैक्टरी को खुद चलावें। आपकी यही नीति भी है कि एक तरीके की फैक्टरीज आप अगर पब्लिक सेक्टर से चलावें तो अच्छा है । मसलन बिजली उसके बड़े बड़े कारखाने आप चला रहे हैं । इसी तरह सीमेन्ट का उद्योग है,जो आपके हाथ में थी और जिसकी एक फैक्टरी आप स्वयं चला रहे हैं ,लेकिन उसकी दूसरी फैक्टरी देहरादून में दूसरे आदमी को दे रहे हैं यह नीति मेरी समझ में नहीं है ।

समय अधिक हो गया मालूम होता है इसलिये अधिक न कहकर केवल इतना कहना है कि गवर्नमेन्ट को और खास तौर से अपनी सरकार को इस बात का एक निश्चय कर लेना है कि हमारे यहां तीन तरीके के उद्योग हैं । गृहोद्योग, बड़े उद्योग और मझोले उद्योग । उनके सम्बन्ध में हमारी क्या नीति होगी ।

जहां तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध है यह कहकर हम नहीं छुट्टी पा सकते हैं कि यह तो केन्द्रीय सरकार का मसला है, और केन्द्रीय सरकार ही इस मामले में पालिसी तय करती है मेरे सब मित्रों ने कहा है कि केन्द्र पर आप जोर डालिये और यहां की जनसंख्या को ले कर के, यहां के कच्चे माल को ले कर के, यहां के सस्ते मजदूरों की बात को लेकर के जहां तक आप इन चीजों के लिये लड़ सकते हैं इस मामले में केन्द्र से लड़े, और मुझे खुशी है कि दोनों तरफ के लोग इस मामले में आपका साथ दे रहे हैं। एक बात कह कर ही मैं बैठ जाना चाहता हूं और वह यह कि भविष्य में कृपा करके जब आपकी रिपोर्ट इस तरह की निकलें तो इन

चीजों का ध्यान रखें कि आपके यहां से, एक दूसरे वर्ग के खिलाफ जो चीजें लिखी जाती है, वह न हों तो ज्यादा अच्छा हो।

*श्री देव दत्त मिश्र (जिला उन्नाव) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने माननीय उद्योग मंत्री ने राज्य के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में जो विषद रूप से विवेचन किया है और राज्य की वर्तमान एवं भावी रूपरेखा सदन के सामने प्रस्तुत की है उससे एक आशा की किरण हमारे सामने आती है और यह विश्वास दृढ़ होता है कि हमारा राज्य शीघ्र उत्तरोत्तर उन्नति की दिशा में जायगा। इस दिशा में मैं माननीय मंत्री के समक्ष कुछ सुझाव अपने रखना चाहता हूं।

हमारे आदरणीय मित्र जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा कि चूंकि प्रायः सभी राज्य आज केन्द्रीय सरकार से किसी न किसी प्रश्न पर लड़ रहे हैं, इसलिये हमको भी उनसे लड़ना चाहिये और उसके लिये प्रश्न औद्योगिक विकास का ले लेना चाहिये। मैं यद्यपि उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं, मैं माननीय नवलकिशोर जी ने जो कहा उससे सम्पूर्ण सहमत हूं। यदि केन्द्रीय सरकार यह कहती है कि तुम्हारे राज्य में इस प्रकार के रिसोर्सेज नहीं हैं, रा मैटीरियल नहीं है जिसको लेकर हम बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने खोल सकें, तो हम उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित कर सकते है कि हमारे राज्य में जितनी विकास की योजनायें, औद्योगिक योजनायें होती हैं उनसे जहां राज्य का ८० प्रतिशत वर्ग लाभान्वित होता है वहां २० प्रतिशत वर्ग इस प्रकार का है जिसे किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचता। उस २० प्रतिशत वर्ग के लिये छोटे-छोटे गृह उद्योग धन्धों को खोलने के लिये हमको यह रकम मिलनी चाहिये और केन्द्रीय सरकार से उस मद में रकम लेने के बाद उस रकम को उस तरह खर्च करके जो हमारे राज्य की बचत हो उसको हम बड़ी-बड़ी योजनाओं में लगायें। लड़ने और झगड़ने से विशेष लाभ नहीं होना है। हमको तो यह देखना है कि किस प्रकार हम अपने राज्य का औद्योगिक विकास करें। यह सही है कि हमको अपनी मांग उनके सामने जोरदार ढंग से उपस्थित करनी चाहिये और जैसा मैंने कहा १५–२० प्रतिशत ऐसे वर्ग के लिये, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसको मजदूरी नहीं मिलती है, इस प्रकार के उद्योग धन्धे खोलने का प्रयास किया जाय और उसके लिये हम केन्द्रीय सरकार से मांग करें तो हमारा ऐसा विश्वास है कि इस मांग की उपेक्षा केन्द्रीय सरकार नहीं कर सकती है और वह रकम लेकर हम बड़े उद्योग धन्धों में अपने राज्य की योजना से जो बचत हो उसको उसमें लगा सकते हैं।

एक बात मैं अपने माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के औद्योगिक प्रगति की रिपोर्ट जब हम देखते हैं तो जिस प्रकार बड़े-बड़े उद्योग धंधों की रूप रेखा छोटे-छोटे उद्योग धन्धों की रूप रेखा सामने लायी जा रही है तो जो छोटे-छोटे जिले हैं जैसे उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर आदि उनका नाम जो अपेन्डिसेज यहां पर दी हुई हैं जहां तक ट्रेनिंग सेन्टर, टूयूशनल क्लासेज या टेक्नोलाजिकल इंस्टीटूयूशन्स की बात है उनमें नहीं पाते हैं। हमारे माननीय ब्रजविहारी मिश्रजी ने पूर्व और पश्चिम की बात कही। मैं पूर्व और पश्चिम की बात नहीं कहना चाहता हूं मैं तो सम्पूर्ण राज्य की बात कहना चाहता हूं और उसमें वह सारे का सारा हिस्सा जो आज अविकसित है जिस प्रकार से हम हरिजनों को एक विशेष रूप से ग्रान्ट्स देकर विकसित करना चाहते हैं जिससे वे समाज के समकक्ष आ जायं उसी प्रकार राज्य के उन क्षेत्रों को, जो आज औद्योगिक दृष्टि से सम्पूर्णरूपेण अविकसित हैं हम चाहते हैं कि उनकी तरफ भी हमारे माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

मंत्री का ध्यान जाय। हम जानते हैं कि वह उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। एक चीज टैनिंग सैन्टर के बारे में कहीं गई। लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमारे यहां उन्नाव जिले में चमारों के ऐसे कारखाने हैं जो बढ़िया चमड़े को टैन करते हैं। वह चमरौधा जूता ऐसा बनाते हैं कि क्रोम और सावड़ से भी अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारा उद्योग विभाग उनको फूटी आंख से भी नहीं देखता है और उनकी दरख्वास्त जो आती है वह फेंक दी जाती है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन जिलों की ओर ध्यान देना चाहिये और टैनिंग सैन्टर्स जहां कि देहातों में चमार जूते बना सकते हैं, वहां खोलने चाहिये और उनको सहायता दी जाय इसी तरह से ट्यूशनल क्लासेज की बात है। जो इस तरह के जिले हैं वहां भी दस्तकारी के काम को ट्यूशन क्लासेज होनी चाहिये।

उसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां भगवंतनगर में ब्रास इंडस्ट्रीज हैं लेकिन वहां के लोगों को सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यह कार्य वहां विकासोन्मुख न होकर ध्वंसोन्मुख हो रहा है। वहां ४००/५०० ठठेरों के घर थे जो अब केवल १५०/२०० ही रह गये हैं। पीतल के काम में मुरादाबाद और मिर्जापुर के बाद यहीं का नम्बर आता है। हमारे यहां लोटे, थाली और पतीली वगैरा अन्य जीवनोपयोगी सब प्रकार के बर्तन बनते हैं। इसलिये मैं उद्योग विभाग से निवेदन करूंगा और वह यहां बैठा हुआ है कि उसको भगवंतनगर की ओर इस उद्योग-धंधे को पनपाने के लिये दृष्टिपात करना चाहिये।

श्री व्रज विहारी मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यक्तिगत एक्सप्लेनेशन की बात निवेदन करना चाहता हूं। देवदत्त जी मिश्र ने मेरा नाम लेकर कहा कि मैं पूर्व और पश्चिम का प्रश्न उपस्थित करता हूं। मैंने अपने जिले के पूर्व और पश्चिम के लिये कहा था न कि प्रांत के पूर्व और पश्चिम के लिये कहा था।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने उद्योग के विषय में आज अनुदान प्रस्तुत किया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि वह निरन्तर प्रयत्नशील हैं कि इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारें और अपने प्रदेश में उद्योग धंधों की दिन प्रति दिन उन्नति करें। मगर मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे उद्योग विभाग की जो नीति है उसके अनुसार हमारा ध्यान उन्हीं जगहों की ओर जाता है जो अभी तक विकसित होते आये हैं। खास कर कानपुर आगरा वगैरह ऐसी ही जगहें हैं जहां पर उनका ध्यान जाता है, और इन्हीं जगह पर और दस्तकारी विकसित करने की ओर ध्यान दिया जाता है। एक जमाना था कि कानपुर में कोई खास बात localized industry की नहीं थी। वहां उद्योग-धंधे शुरू हुए और पनपे। इसी प्रकार यदि माननीय मंत्री जी कोई बड़ा कदम उठावें और यह कोशिश करें कि जो स्थान विकसित नहीं हुये हैं वहां उद्योग-धंधों का उद्धार करें और वहां उद्योग-धंधे चलायें तो यह उद्योग-धंधे हर स्थान में हो सकते हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि गोरखपुर से लेबर क्लास की मजदूरी की तलाश में कानपुर वगैरा जैसे बड़े शहरों में आता है तो क्या वजह है कि उनके लिये मजदूरी वहीं क्यों न पैदा की जाय। जहां कि देहात की जनता मजदूरी के लिये मिलती है तो वहीं क्यों न ऐसी योजना बनायें, जिससे, बजाय शहर की तरफ ध्यान देने के, देहात की तरफ ध्यान दें और गांव-गांव में बड़े-बड़े उद्योग धंधों को पैदा करने की कोशिश करें, तो कोई कारण नहीं है कि वह वहां न पनपें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि इंगलैन्ड और रूस में यही नीति फालो कर रहे हैं कि लड़ाई के बाद जो शहर उजड़ गये हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही थीं, तो वहां उनके उजड़ जाने के बाद उन शहरों में वह इंडस्ट्रीज न चला कर दूर-दूर के देहातों में इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। हमारे इकोनामिक्स

के जो बड़े प्रोफेसर श्री राधाकमल मुकर्जी हैं, उन्होंने भी यह योजना बनाई है और जिसका नाम उन्होंने रर्बराइजेशन (rurbarisation) रखा है। यह शब्द रूरल और अर्बन शब्दों को मिला कर बना है। आशा यह है कि रूरल एरियाज (देहाती क्षेत्र) में इंडस्ट्रियल एरियाज (उद्योग क्षेत्र) आयें और इंडस्ट्रियल एरिया (उद्योग वाले क्षेत्र) में रूरल एरियाज देहात के क्षेत्र आयें। उनका समन्वय हो ताकि सारे देश का एक यूनिफार्म तरीके पर (समान रूप से) विकास हो सके। तो मैं इस ओर माननीय मंत्री महोदय का खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

दूसरी पालिसी जो उचित रूप में नहीं चल रही है वह यह है कि हमारी जो पालिसी है सोशलिस्ट पेटर्न की ओर उसके मुताबिक जो हम इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज (राष्ट्रीयकरण) करना चाहते हैं, वह है। अभी तक ठीक ट्रेन्ड पर्सनल न मिलने की वजह से हम किसी इंडस्ट्रीज को ठीक तरह से नेशनलाइज नहीं कर पाये हैं। हमने चुर्क की सीमेंट फैक्टरी बनाई, लेकिन फैक्ट्री का सरकार के हाथ में आने से ही नेशनलाइजेशन का काम पूरा नहीं होता, उद्देश्य पूरा नहीं होता। अगर सरकार के हाथ में आने से वहां के लेबर की अवस्था अच्छी हुई होती या कंज्यूमर को सस्ते दर पर माल मिला होता तब तो नेशनलाइजेशन का कोई मतलब निकलता, लेकिन अभी तक न तो वहां के मजदूर को कोई वह सुविधा, जो कि दूसरे कैपिटलिस्ट कंसर्न में मिलती है, के अलावा कोई दूसरी अधिक सुविधा ही मिली है और न कंज्यूमर को सस्ते में माल ही मिलता है। तो अगर ऐसी चीज नहीं होती तो इस प्रकार के नेशनलाइजेशन से देश का कोई खास फायदा नहीं हो सकता। तो सरकार का यह भी उद्देश्य होना चाहिये कि वह जनता को यह बतलाये कि नेशनलाइजेशन के यह फायदे हैं ताकि उन उद्योगों का उत्थान हो और जनता की भावना नेशनलाइजेशन की ओर जाय।

आज प्राइवेट इंटरप्राइजेज खत्म हो रहा है। आज का कैपिटलिस्ट इसलिये शाई है कि उसको शंका हो रही है कि ऐसा न हो कि हम कोई इंडस्ट्री तैयार करें और सरकार उसको नेशनलाइज कर दे। इसलिये यह शाई हो रहा है और अपने कैपिटल को बाहर नहीं निकालता। तो इस लिये सरकार की पालिसी साफ होनी चाहिये ताकि उसको मालूम हो जाय कि आप किस खास इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना चाहते हैं। जिन्हें आप नेशनलाइज नहीं करना चाहते उनमें उनको मौका देना चाहिये ताकि देश में इंडस्ट्री पनप सके। इसी तरह से हमारे दूसरे काम भी ठीक से नहीं चल पाते हैं। कोआपरेटिव मूवमेंट भी ठीक काम नहीं करता है क्योंकि वह भी सरकार के द्वारा चलाया गया है। उसमें आज कोई प्राण नहीं है, कोई जीवन नहीं। जो सहकारिता का ढांचा सरकार ने बना दिया है वह उसी तरह से चल रहा है उसमें कोई जान पैदा नहीं हुई और वह जनता का कोई खास फायदा नहीं कर सका। इसलिये मैं इन चीजों की ओर सरकार का खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर देश में उन्नति करनी है, अगर देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो इन सब बातों की ओर हमारी सही-सही नीति होनी चाहिये, और सही परिश्रम हमें करना चाहिये, तभी हमारी चीजों में प्राण आयेगा और हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी, अन्यथा सब चीजें हेपहेजर्ड वे में (बिना तरतीब के) चलती रहेंगी और हमें किसी काम में कामयाबी नहीं हो सकती, न नेशनलाइजेशन में, न कोआपरेटिव मूवमेंट में और न किसी ओर में।

मुझे कहना तो बहुत सी बातें थीं और खास तौर पर पर्वतीय प्रदेश के बारे जहाँ का मैं प्रतिनिधि हूं, लेकिन समय नहीं है, फिर भी थोड़ी सी बातों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। "डाइरेक्टोरेट आफ फ्रुट यूटिलाइजेशन" रानीखेत में कायम हुआ है, जैम, मारमलेड, पिकल्स, टिमैटो सौस फ्रुट कैनिंग स्क्वैश, पल्प आदि के कितने ही काम ऐसे हैं कि जो वहां हो सकते हैं, लेकिन उनकी ओर देखिये, कोई भी प्रगति नहीं हो रही है। इसी तरह से "डाइरेक्टर आफ ज्योलोजी ऐण्ड माइनिंग" में जो अभी तक अन्वेषण किया गया है, मैं उसके लिये सरकार को मुबारकबाद देता हूं। मगर यदि हम लोगों को मौका दिया जाय, जो वहां के एम० एल० एज० हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को बहुत सी जानकारी इस विषय में है। अगर कोई ऐसी कमेटी बनायी जाय, और हम लोग अपने-अपने इलाकों के बारे में जो आज के अन्वेषणकर्त्ता हैं उनको कुछ राय दे सकें, तो उसमें बहुत

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

प्रगति हो सकती थी। इसी तरह से हिल्स (पर्वतीय प्रदेश) में और कोई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जो वन विभाग से सम्बन्धित हैं। वन विभाग में कागज का काम, रोजिन का काम, फर्नीचर, इमारती लकड़ी, खेल का सामान या और कई ऐसी चीजों का काम होता है और हो सकता है। मेडिसिनल प्लान्ट्स और हर्ब्स (वन औषधि व जड़ी बूटी) का काम रानी खेत में चल रहा है, लेकिन उसमें कोआपरेटिव में इतनी प्रगति नहीं हो रही है जो होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि अगर इसमें फारेस्ट डिपार्टमेंट कोआपरेट (सहयोग) करे तो बहुत फायदा हो सकता है। इसी तरह से लेदर का काम है। चमड़े का काम हर जगह चलाने की कोशिश है। इसका रा मैटीरियल पर्वतीय प्रदेशों में बहुत बड़ी तादाद में मिलता है। अगर इसको अच्छी तरह से काम में लाया जाय तो एक बड़ी भारी इंडस्ट्री काटेज इंडस्ट्री के रूप में या लार्ज इंडस्ट्री के रूप में लेदर की वहां हो सकती है। ऐसे ही ऊन का कारोबार है। ऊन का कारोबार भारत के बोर्डर पर बहुत होता है लेकिन वह कोई सुचारु ढंग से न होने के कारण गरीब लोग उसको चला नहीं पाते हैं। उनके लिये कोई लोन और ग्रान्ट मिलने की भी सुविधा नहीं है और न वह जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार से इसको प्राप्त कर सकते हैं। उनको कोई टैक्नीकल हैल्प भी नहीं मिल पाती है। इसी तरह से भेड़, घोड़े, गाय, भैंस पालन मत्स्य मौन पालन का काम है, कुक्कुट का काम है। पशु विकास के साथ डेयरी का काम है और इसी प्रकार से और भी बहुत से काम हैं जिनको बहुत अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। अभी तक जितने भी वहां पर काम इस प्रकार से चलाये गये हैं उनमें अभी तक किसी में भी प्रगति नहीं हो पायी है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की उद्योग नीति को माननीय गुप्त जी ने रखने की कोशिश की। उन्होंने काफी समय लेकर लम्बा नक्शा सदन के सामने प्रस्तुत किया है। अगर उस लम्बे नक्शे को देखा जाय तो केवल टैक्टिक्स और मनोवरिंग के सिवाय इस औद्योगिक नीति में और कुछ नहीं दिखलायी पड़ता। यह औद्योगिक नीति सरकार की पूर्णतः मनोवरिंग के ऊपर ठहरी हुई है। जब मैं यह कहता हूं कि टैक्टिक्स और मनोवरिंग के अन्दर है तो वह इसलिये कहता हूं कि हर समय इस सरकार के दिमाग में अपनी रूलिंग पार्टी को मजबूत करने की बात पहले रहती है। चाहे वह औद्योगिक नीति हो, चाहे वह कृषि नीति हो, चाहे वह शिक्षा नीति हो यानी सम्पूर्ण जो नीति सरकार की है उस की सारी बुनियाद में यह बात रहती है कि वह अपने को बरकरार रखे और फिर उसके बाद कुछ न कुछ काम करती रहे। इस बड़ी मोटी पोथी को देखा जाय तो सूती वस्त्र के बड़े-बड़े उद्योगों का चित्र दिखलायी पड़ेगा। इसमें यह है कि जनवरी से अगस्त तक आठ महीने में १९५५ में क्रमशः १७ करोड़ १६ लाख गज तथा ५ करोड़ ५२ लाख पौंड वस्त्र तथा सूत का उत्पादन हुआ जब कि सन् १९५४ में ३४ करोड़ ४७ लाख गज तथा ११ करोड़ १८ लाख पौंड क्रमश० पैदा हुआ था। सन् १९५५ में तो ८ महीने के अन्दर १७ करोड़ गज कपड़ा पैदा हुआ और ५४ में वह ३४ करोड़ ४७ गज पैदा हुआ था। अब इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह पैदावार बढ़ी या घटी। आगे चलकर इस कमी को भी बदलने की कोशिश की गयी है और इसके लिये बतलाया गया है कि कानपुर में ८० दिन तक हड़ताल चली। अब इस बात को देखा जाय कि हड़ताल क्यों चली। यह जो फिगर हैं वह ८ महीने के फिगर हैं। ६ महीने के फिगर नहीं हैं। सन् १९५४ में साल भर के फिगर हैं। अगर उस हड़ताल का भी हिसाब लगाया जाय तो भी इसमें बढ़ोत्तरी नहीं आयेगी, घाटा ही आयेगा। हड़ताल इस वजह से हुई कि सरकार की नीति ही ऐसी है। कानपुर में जो ८० दिन तक हड़ताल चली तो यह सरकार की औद्योगिक नीति के खोखलेपन को बतलाती है। आज तक औद्योगिक क्षेत्र में श्रम का क्या महत्व है और कैपिटल का क्या महत्व है इसका विवेचन करने की सरकार ने कोशिश नहीं की।

सरकार ने बराबर इस सदन में इस बात की चर्चा की है कि समाजीकरण करना चाहते हैं और राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। जहां तक इन दोनों बातों का सम्बन्ध है मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि हमारे दृष्टिकोण से समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण में कोई अन्तर

नहीं है। दोनों एक ही हैं। मगर सरकार राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकारीकरण करने की योजना चला रही है जो कि हम लोगों से कतई भिन्न है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने बहुत ही मौलिक प्रश्न उठाया था। जब तक इस प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार के सामने सही मानों में सही नक्शा नहीं आता है तब तक सरकार जन हित में नीति नहीं चला सकती। और जब उत्पादन के साधनों को अपने हाथ में लेकर सरकार उनकी तमाम कीमतों पर , उसके वितरण और उत्पादन पर और लेनदेन पर सर्व प्रकार से हावी हो जाय और सरकार के हावी होने के बाद प्रबन्ध की मुसीबत और आपत्ति से जनता निकलती रहे तो वह नीति समाजीकरण नहीं कही जा सकती, वह है सरकारी-करण। जब तक जनता का उद्योगों के प्रबन्ध में, वितरण में, उत्पादन में और ऐक्सचेंज में हाथ न रहे तब तक वह सरकारीकरण होगा। जो कुछ माननीय परिपूर्णानन्द जी रूस की चर्चा करते हैं वह उसे माडल मान लेते हैं परन्तु मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब समाजवाद की नई मान्यतायें आगे आ गई हैं। यदि वही अमरीका, रूस, और ब्रिटेन को सामने रखकर काम करेंगे तो वे हमेशा ग़लती करेंगे।

जो लोग मार्क्सवादी वैल्यू का साहित्य पढ़े हैं वह जानते हैं कि मार्क्स के अनुसार वैल्यू की परिभाषा है कि वैल्यू इज़ दी क्रिस्टैलाइजेशन आफ़ लेबर पावर। अतिरिक्त श्रम अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है; यहां पर सारी दुनियां के मजदूरों के श्रम का महत्व एक साथ नहीं आंका गया है, यह गलती थी। तो अब श्रम को सार्वभौमिक महत्व देना होगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि उद्योग की नीति को सही तरीके से बदलना चाहिये और यह जो घपलेबाजी की नीति है कि जनता को भ्रम में रखो, इससे अब काम नहीं चलने वाला है। सरकार को बतलाना चाहिये कि मौजूदा रैशनैलाइजेशन की जो कानपुर में नीति है वह किसके हित में है। जब मजदूर २ करघे की जगह ४ करघे चलावेगा लेकिन उसकी मजदूरी नहीं बढ़ेगी और वही पुराने ढांचे में उसे काम करना होगा तो उससे किसका फायदा होगा? क्या मजदूरों का होगा या मिल मालिक का ? उस पुरानी दक़ियानूसी नीति का, जो कुछ भी संज्ञा आप उसे दें, लेकर चलने से जनता का हित नहीं होगा। सरकार देखे कि ५३ से ५४ में जूट की पैदावार में सवा लाख टन की कमी हो गई है जो कि हमारे प्रदेश की मुख्य पैदावार है। इससे प्रकट होता है कि सरकार की नीति प्रगति की ओर न जाकर ह्रास की ओर जा रही है। माननीय मंत्री जी फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी किसके द्वारा चलाना चाहते हैं? चाहे बिरला साहेब या और कोई उद्योगपति उसके चेयरमैन बना दिये जावें लेकिन जब तक उसमें मजदूरों के समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं होंगे तब तक उसका कार्य ठीक नहीं हो सकता। अन्ततोगत्वा उसका हाल वही होगा जिससे जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है। छोटे-छोटे उद्योगों का सरकार बहुत नाम लेती रहती है। सरकार कहती है कि वह बुनकरों की मदद कर रही है। तो ६ पैसा गज की मदद उन्हें दी जाती है वह किस मशीनरी के द्वारा दी जाती है? हम देखते हैं कि वह चैरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन हो गया है। फ़र्जी सूत बन जाता है और उसकी बिक्री हो जाती है और उनको इमदाद भी मिल जाती है। ख़ास-ख़ास जगह कुछ मूढ़ पैदा कर दिये गये हैं और उनको यह इमदाद दी जाती है और जब इलैक्शन आवेंगे तो यह सरकार उनकी मदद लेती है। सरकार की ओर से यहां तेल, रेशम, फल , कपड़ा का उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई है। कैसे बढ़ावेगी और किसके लिये और किसके जरिये बढ़ावेगी? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की राष्ट्रीयकरण की ओर एक कदम भी चलने की इच्छा नहीं है चाहे गन्ने को ही ले लीजिये या और कोई उद्योग ले लीजिये। सब उद्योगों में करोड़पतियों का बोलबाला है। सीमेंट फैक्टरी की जितनी दुर्दशा यह सरकार कर रही है क्या इससे बढ़ कर कोई सरकार कर सकती है? जनता का विश्वास सरकार पर से हटता जा रहा है। आज तक जो निर्धारित कोटा था उतनी सीमेंन्ट नहीं हुई और ये सब धोखा-धड़ी के आंकड़े सरकार को प्रस्तुत नहीं करने चाहिये।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, अगर आप के पास कोई सूची है तो हम लोग न उठने का कष्ट करें ?

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास कोई विशेष सूची नहीं है।

श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा उद्योग मंत्री जी को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं और बजट के उस हिस्से पर विशेष तौर से जिसमें लघु और कुटीर उद्योगों के विकास का संकल्प किया गया है। माननीय उपाध्याय जी की बात सुनकर मैंने यह सोचा था कि इस प्रदेश में उद्योगों का भविष्य उज्वल है। लेकिन आखीर में भाई राजनारायण सिंह जी ने कहा है उससे तो मुझे महात्मा तुलसी दास जी की एक चौपाई का स्मरण हो आया कि "जाकी रही भावना जैसी,प्रभु मूरत देखी तिन तैसी"। उन्होंने इस बजट में कहीं भी यह नहीं पाया कि प्रदेश में उद्योग का विकास होगा। तो मेरी समझ में नहीं आया कि वह इसमें ढूंढते क्या रहे ! उन्हें इसके अन्दर त्रुटियां ही दिखाई देती हैं। उन्हें यह नहीं दिखायी दिया कि आज हमारा उद्योग का बजट कहां से बढ़ कर कहां पहुंच गया है। हर बात को वह ऐसे देखते हैं कि आलोचना करनी ही है। अच्छा होता कि वह यह कहते कि काफ़ी सहायता तो सरकार दे रही है और अधिक देनी चाहिये ताकि हमारे प्रदेश के उद्योग धंधे बढ़ें, यह तो मैं समझ सकता था। उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि हमारा प्रदेश सब से बड़ी जन संख्या का है और कृषि प्रधान है। जिस प्रदेश में कृषि प्रधानता रहती है वहां मानी हुई बात है कि ग़रीबी ज्यादा होती है क्योंकि कृषि से केवल ६ महीने हमारे लोगों को काम मिलता है और बाक़ी समय वे बेकार रहते हैं। इस बजट में ऐसे लोगों को घर बैठे कार्य देने की व्यवस्था की गई है। आप जानते हैं कि फस्लें बोने के बाद जब तक उनकी कटाई होती है तब तक किसान अपने खेत को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि उसे उसमें पानी देना होता है और विविध कार्य करने होते हैं। यदि हम उन बेकार रहने वाले भाइयों को ऐसे समय कार्य देंगे तो अवश्य ही प्रदेश का भला होगा। छोटे-छोटे उद्योगों से हम उन्हें उनके खेतों पर ही उनके घर पर ही काम दे सकते हैं। इससे सही मानों में प्रदेश का औद्योगीकरण होगा। हैवी इन्डस्ट्री कायम करते समय हम यह भूल जाते हैं कि हमें बेकारी को भी दूर करना है। बेकारी का इलाज हैवी इन्डस्ट्री नहीं है। उसका इलाज कुटीर उद्योग ही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जैसे वह कर्मठ व्यक्ति हैं उन्ही के हाथों में लघु और कुटीर उद्योगों में विकास हो सकता है। शायद दूसरे किसी के द्वारा इतना अच्छा विकास न हो सके। लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिये बड़े भारी परिश्रम की आवश्यकता है। हैवी इन्डस्ट्री को तो आसानी से एक जगह पर लगाया जा सकता है। अगर आप जापान को देखें तो वहां पर यदि एक छाता बनाना होता है तो उस छाते में लगने वाले सारे हिस्से अलग-अलग देहात में बनाये जाते हैं। देहात में अपना काम खेतों पर करने वाले आदमी उनको तैयार करते हैं। फिर एक बाजार लगता है, जहां उनकी खरीद होती है। फिर इकट्ठा कर के बाहर भेज दिये जाते हैं। यही कारण है कि जापान की चीजें सस्ती पड़ती हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें।

अब मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महमूदाबाद एक कस्बा है जहां पर पहले राजा साहब महमूदाबाद रहा करते थे लेकिन जमींदारी के समाप्त हो जाने के कारण वहां की हालत बहुत ख़राब हो गयी है। वहाँ के लोग बेकार हैं और बहुत ही दुखी हैं। उनकी जैसी हालत है वह मैं बयान नहीं कर सकता हूं। वहां पर गन्ना भी बड़ी भारी तादाद में होता है जिसमें से कुछ गन्ने का तो गुड़ बना लिया जाता है। हर वर्ष लगभग ४–५ लाख मन गन्ना फूंक दिया जाता है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो ४–५ मिलें गन्ने की खुलने वाली हैं, उनमें एक मिल वहां भी लगा दी जाय, इससे लाखों मन गन्ने की समस्या और वहां के लोगों की गरीबी की समस्या भी हल हो जायगी। गरीब रिआया आपको धन्यवाद देगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी को आपने १५ मिनट का समय दिया, मैं आशा करता हूं कि मुझे भी आप उतना ही समय देने की कृपा करेंगे।

श्रीमन्, इस अनुदान के सम्बन्ध में मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को और उसके साथ ही साथ उन्होंने हमें उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के बारे में जो चित्र उपस्थित किया है, दोनों के लिये बधाई देता हूं।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इस सम्बन्ध में बोलते हुये माननीय राजनारायण जी ने प्रायः माननीय उद्योग मंत्री जी के ऊपर कुछ भी न कहकर अधिकतर मेरे ऊपर ही कहा है। मैं आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने में वह औद्योगिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं लेकिन किन्हीं क्षेत्रों में बुद्धि का उत्पादन वे नहीं कर सकते। यह कहा गया कि समाजीकरण की व्याख्या से मैं परिचित नहीं हूं। समाजीकरण अथवा समाजवाद से संबंधित जितने भी प्रकाशन हैं उनको माननीय राजनारायण जी ने ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन उनके पढ़ने और मेरे पढ़ने में माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अन्तर है कि मैंने उनको समझा अधिक है। इस समझ के दायरे के द्वारा मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे अभी तक राष्ट्रीयकरण की वास्तविकता को ही नहीं समझ पाये। परिपूर्णानन्द को बारबार चेतावनी देना तो बहुत आसान है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण का प्रयोग रूस में हुआ। अभी चार दिन पहले समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुये, उनसे यह ज्ञात हुआ होगा कि ३० वर्ष के बाद अब रूस में मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी गयी है और काम करने के घंटे अभी उससे कहीं अधिक हैं जो सुविधायें पूंजीवादी देशों में हैं। यह कहना कि राष्ट्रीयकरण का अर्थ अनिवार्यतः यह होता है कि मजदूरों की बहुत अच्छी हो जाय, तो इन दोनों चीजों का सामंजस्य बहुत जल्दी नहीं हो सकता, समय के अनुसार धीरे-धीरे हुआ करता है। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं माननीय उद्योग मंत्री को यह बधाई दे दूं कि उनका उद्योग विभाग, उनका सेक्रेटेरियट और उनका डायरेक्टोरेट जिस परिश्रम से कार्य कर रहा है, वह परिश्रम वास्तव में बधाई के योग्य है और मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल परिश्रम तो प्रशंसनीय चीज नहीं होती, परिश्रम के साथ मिशनरी स्पिरिट होती है, जिस मिशनरी स्पिरिट में काम करते हुये सेक्रेटरियट हो या डायरेक्टोरेट, केवल बधाई का ही पात्र नहीं है, बल्कि प्रोत्साहन का भी पात्र है।

श्रीमन्, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के बारे में जो बहुत सी बातें कही गयीं मैं उसके बारे में इसलिये विशेष कहने का अधिकारी नहीं हूं कि सरकार के द्वारा मुझे उसकी जांच की बहुत कुछ जिम्मेदारी दी गयी है। लेकिन एक चीज कह दूं कि चुर्क फैक्टरी ने इधर जो एक कार्य किया है वह बहुत बड़ा कार्य है, जिसके लिये मैं उद्योग मंत्री को बहुत बधाई देता हूं। क्राइम प्रिवेंशन पर जिनेवा में जो कांफ्रेंस हुयी थी उसमें कहा गया कि एशिया के देशों में कोई ऐसा प्रयोग नहीं मिलता कि जेलों के अन्दर रहने वाले भी उद्योग धंधों के निकट आवें। इटली में एक जेल है जिसमें साढ़े ६०० साइकिलें रोज बनती हैं। ऐसा हमारे यहां कोई प्रयोग नहीं हुआ। चुर्क सीमेंट के सम्बन्ध में श्रीमन्, मुझे प्रसन्नता हुयी कि बहुत लम्बे सजायाफ्ता ५०० कैदी वहां इसलिये भेजे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जेलों से, कि वे वहां कुछ काम करें। इतना बड़ा प्रयोग हो रहा है जिस प्रयोग के लिये मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को फिर बधाई देना चाहता हूं क्योंकि हमको इससे अवसर मिलेगा कि हम और देशों के सामने कह सकें कि हम भी ऐसे नये प्रयोग कर रहे हैं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में फिर कहां क्या प्रगति हुयी, सर्वे के बारे में जो बहुत सी बातें कही गयीं वह भी सही है कि सर्वे करना है। यह भी ठीक है कि सर्वे के विषय में जब अधिकारियों की मंजूरी देर से हुयी तो उसमें सर्वे का काम भी देर से शुरू हुआ। वह सर्वे तो होगा, लेकिन

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

साथ ही साथ हमें अपने द्वारा भी कुछ सर्वे करने का अधिकार है और उस सर्वे के द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार जो नीति बरत रही है वह बहुत ही हानिकारक है। उससे हमारे प्रदेश का लाभ नहीं होगा। न केवल लाभ, उसके अलावा हमारी गति और भी धीमे हो जायगी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात तो अलग रही।

१,४०० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रीज ऐंड माइनिंग कार्य के लिये अलग रक्खा है। इस १,४०० करोड़, ५,००० करोड़ का २५ फीसदी नये औद्योगिक विकास के लिये उन्होंने रक्खा है। इस २५ फीसदी में हिन्दुस्तान की २० फीसदी आबादी वाले उत्तर प्रदेश को मिलता क्या है, तीन फीसदी भी तो नहीं मिलता है। जब तीन फीसदी भी नहीं मिलता है तो हम अपनी प्रगति कैसे कर सकेंगे ? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि यह प्रदेश और प्रदेशों की तुलना में आगे न बढ़े तो कम से कम उनके बराबर खड़ा होने के लायक हो जाय। बहुत कुछ कहा जाता है पूंजीवाद और पता नहीं क्या-क्या ? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आखिर समूचे भारतवर्ष में जितने भी कल कारखाने हैं, उद्योगपतियों के कहे जायं या किसी के भी, उनके शेयर होल्डर्स हैं और उनकी संख्या लगभग २० लाख १४ हजार है। इन २० लाख १४ हजार शेयरहोल्डर्स में से १९ लाख ५ हजार शेयरहोल्डर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ही छोटे-छोटे शेयरहोल्डर्स कहा जा सकता है। तो शेयरहोल्डर्स का ही ऐसा माप दंड होता है जिससे पता चलता है कि प्रदेश की प्रगति कैसी हो रही है। हमारे प्रदेश में जहां कुल मिला कर ५० करोड़ से अधिक पूंजी उद्योग व्यवसाय में नहीं लगी है, छोटे शेयरहोल्डर्स का जो रुपया लगा हुआ है वह केवल ५ करोड़ के लगभग है। तो जिस प्रदेश में ५ करोड़ के लगभग छोटे शेयरहोल्डर्स और ४५ करोड़ में अन्य बड़े शेयरहोल्डर्स हों जिन्होंने ज्यादा पूंजी लगा रक्खी है, तो इतने छोटे दायरे में कैसे उत्तर प्रदेश प्रगति कर सकेगा, कौन सा पूंजीवाद होगा, कौन सा ऐसा उपाय करना होगा जिससे हमारे प्रदेश की प्रगति हो जाय ?

अगर हम उद्योग धंधों में, पब्लिक सेक्टर में अधिक रुपया नहीं लगायें, कल कारखाने नहीं खोलेंगे तो फिर हमारी प्रगति का मापदंड और क्या होगा। इंगलैन्ड इतना बढ़ गया है। इंगलैन्ड की बात तो बहुत कुछ माननीय राजनारायण जी कहते हैं, यह कि इंग्लैन्ड इतना बड़ा देश है पर इंग्लैंड में साढ़े ५ करोड़ की आबादी में १५ लाख शेयरहोल्डर्स हैं और अमेरिका में १४ करोड़ की आबादी में ६५ लाख शेयरहोल्डर्स हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में साढ़े ६ करोड़ की आबादी में ज्यादा से ज्यादा कुल शेयरहोल्डर्स की संख्या बहुत इनफ्लेट करके बतलाई जाय तो ६० हजार से अधिक नहीं होगी। तो जहां साढ़े ६ करोड़ की आबादी है और कुल पचास-साठ हजार शेयरहोल्डर्स हैं और जिस प्रदेश में रुपया लगाने वाले इतने कम हैं उस प्रदेश के उद्योग को विकसित करने के लिये केन्द्रीय सरकार अधिक सहायता क्यों न दे और अधिक अनुदान यहां पर हैवी इंडस्ट्री या स्माल स्केल को सहायता क्यों न दे और यदि वह नहीं देती तो यहां पर उद्योगों के बढ़ाने का और कौन सा उपाय हो सकता है ? यदि फिर मैं यह कहूं कि और किस उपाय से प्रदेश की उन्नति की बात होगी। लेकिन हमारे मित्र राजनारायण जी को तो केवल वही दो तीन शब्द आते हैं और याद हैं कि रूलिंग पार्टी, मेनोवरिंग, मैनीपुलेटिंग, बस यह दो तीन शब्द याद हैं.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस तरह से आक्षेपपूर्ण वैयक्तिक बातों का जिक्र न करें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्योंकि मेरा ही गरीब नाम उन्होंने अपने पूरे व्याख्यान में लिया था इसीलिये मैंने भी उन को याद किया। मैं यह कह रहा था कि ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार से हम सब मिल जुलकर अनुरोध करें कि ऐसी कौन सी बात है कि कोई भी हैवी इंडस्ट्री या कि इंडस्ट्री हमारे यहां नहीं लगायी गयी, क्या बात हो गयी कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा रा मैटेरियल हमारे यहां उपलब्ध नहीं है, जिसका परिणाम

यह है कि यहां हैवी इंडस्ट्रीज लगाने की बात केन्द्रीय सरकार नहीं सोचती। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां २० लाख शेयरहोल्डर्स हैं और उस में केवल ६० हजार हमारे प्रदेश के हों वहां यदि केन्द्रीय सरकार सहायता न करेगी तो हमारा प्रदेश किस तरह से उन्नति कर सकता है। मुझे मौका मिले तो मैं समझा दूं।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मुझे जरा से एक्सप्लेनेशन का मौका आप दे दें मुझे माननीय परिपूर्णानन्द जी या माननीय मंत्री जी बता दें कि क्या सरकार चाहती है कि कैपिटलिज्म जिस तरह से ब्रिटेन या अमरीका में है वह यहां हो ? तो जरा वह यह भी देख लें कि ब्रिटेन या अमरीका में पर कैपिटा इनकम कितनी है। यह जरा हमें वह बता दें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उनके कर कमलों से इस प्रदेश की फूड प्राबलम सुलझ गयी और अब उनकी कृपा से उद्योग की प्राबलम भी हल हो रही है लेकिन जैसा कि दूसरे मित्रों ने कहा भारतीय सरकार हमको नजरअन्दाज करती है या उसके द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उन से जोर के साथ कहें और लड़ें जैसे "क्षमा बड़न को चाहिये छोटन को उत्पात" हमें अपने बड़प्पन को भूल जाना चाहिये और हमें अपनी इस मांग को बहुत जोर के साथ केन्द्रीय सरकार के सामने रखना चाहिये यह हम न समझें कि हमारे बड़े-बड़े मंत्री हैं, प्रधान मंत्री हैं तो हम भूखे मर जायं। पिछली बार हमारे प्रदेश में १०० करोड़ का नुकसान हो चुका है बाढ़ में। अगर केन्द्रीय सरकार ने भाखरा नांगल की तरह से घाघरा का कोई स्कीम ला होता तो इतना नुकसान न होता और यह जो पूर्वी जिलों में ८० लाख रुपये का गल्ले का और १५ करोड़ का मकानों का नुकसान हुआ वह न होता, इस तरह से कुल १०० करोड़ के करीब हानि हो चुकी है। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हमें बाढ़ से बचाये। हम भुखमरे हैं, नंगे, भूखे हैं, सब से ज्यादा टैक्स देते हैं, रेलवे से, तार से सब से ज्यादा हमारा पैसा जाता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांवों में सरकार को छोटे उद्योग स्थापित करना चाहिये। हमारे बभनान में ४-५ साल से चमड़े की फैक्टरी खुलने वाली थी सरकार की ओर से लेकिन पता नहीं वह स्कीम कहां गयी ? महाराजगंज में लाखों मन हड्डी की खाद बनायी जा सकती है, बभनान में हम बिजली भी पा सकते हैं, वहां जमीन भी मिल सकती है। दूसरी तहसील जो हरैया है, वहां पर हमने आपकी राय का एक्सपेरीमेंट किया था और माननीय के० डी० मालवीय भी वहां गये थे तो हमने कहा था कि सरकार अगर पैसा दे तो वहां हजारों मन आम जो हर साल बरबाद होता है तो वह वहां फैक्ट्री खोलकर काम आ सकता है और एक बड़ा काम वहां हो सकता है। वह अगर उद्योग विभाग संभाल ले तो बड़ा काम हो जायगा। मान्यवर, इसके बाद मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि हमारे गांवों में छोटे-छोटे उद्योग हैं जूता बनाने के और छोटे-छोटे काम हैं, जैसे कपड़ा बुनने के। टांडा हमारे पड़ोस में है, वहां के बहुत से जुलाहे पाकिस्तान चले गये हैं। जो बाकी बचे हैं, अगर यह सरकार उन पर नजर करें, तो वहां का उद्योग जिन्दा रह सकता है जिसके जरिये लाखों गज खादी तैयार हो सकती है। हम मेरठ से खादी बुनवा कर मंगाते हैं। वह हमारे पड़ोस में बन सकती है। हमारे यहां पालटेकनिक की स्कीम भी चालू होनी चाहिये। हम चाहते हैं कि इस तरह का एक स्कूल मगहर में खोला जाय। हमारे यहां मांझा का एक ऐसा इलाका है, जहां पर सिर्फ दो तीन महीने काम लोग करते हैं, बाकी समय सारे लोग बेकार रहते हैं। इसलिये उस इलाके की ओर भी सरकार का ध्यान होना चाहिये। हमारे जिले में गन्ना काफी पैदा होता है। हमारे प्रान्त का यह सबसे बड़ा उद्योग है। अगर छोटी-छोटी मशीनें मंगा कर गांवों में सप्लाई कर दी जायं, बिजली गांवों में आ ही रही है, तो बजाय इसके कि हम बड़ी-बड़ी फैक्टरी वालों के पीछे रहें, अपने गन्ने

[श्री शिवनारायण]

को हम गांव में पेर सकते हैं, और उससे गुड़ और शक्कर बना सकते हैं। चरखे के लिये हर जिले को पांच पांच हजार रुपया दिया गया है लेकिन हमारा जिला दो तीन जिलों के बराबर होने पर भी हमारे जिले को केवल ढाई हजार रुपया दिया गया है। अगर सरकार चाहे तो जापान और जर्मनी की तरह छोटे-छोटे उद्योग धंधे चला सकती है। जैसे जर्मनी का ५५ नं० का चाकू आता था, इसी प्रकार के छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलाये जायं तो इससे बेकारी बहुत हद तक हल हो सकती है। केवल गाली देने से सरकार को काम नहीं चलेगा। सरकार को सुझाव देने चाहिये। जिस तरह से जापान के बच्चों को दस्तकारी की शिक्षा स्कूलों में दी जाती है उसी तरह से हमारे बच्चों को भी पढ़ाया जाय तो अच्छा काम होगा।

अन्त में मैं माननीय उद्योग मंत्री को धन्यवाद दूंगा और पुनः उनसे कहूंगा कि भारतीय सरकार से हम लोगों को लड़ना और झगड़ना चाहिये, बिना रोये कुछ मिलता नहीं। बच्चा भी अगर नहीं रोता तो दूध नहीं मिलता है। मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि यह केवल हमी लोगों की इच्छा नहीं है, यह हमारे नंगे, भूखे किसान और गरीब हरिजन, जिनमें बहुत से लोग बम्बई, लखनऊ, कलकत्ता आदि में रिक्शा चलाते हैं, हमारे जिले के; उनके पास खाने की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ कागज पर काम करने से काम नहीं होता। मैं इस विभाग के लोगों से कहूंगा कि मैदान में उतर जाइये जिससे गुप्ता जी को यश मिले और इस देश का उत्थान हो।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—श्री अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उद्योग मंत्री जी को और विशेष रूप से इसलिये कि जब से आपने उद्योग का कार्यभार सम्भाला है तबसे आपका इस प्रदेश के उद्योगों की उन्नति की तरफ बहुत ध्यान गया है। इस बार उद्योग में और सालों से अधिक अनुदान प्रस्तुत हुआ है। हमारे प्रदेश में कृषि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कृषि प्रधान अपने इस प्रदेश में उद्योग की उन्नति व्यापक रूप से करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके पहले कि हम अपने प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योगों के बारे में सोचें, मैं आपसे निवेदन करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो यहां कायम हो सकती थीं, उसके बारे में जैसा कि सारे सदन के सभी माननीय सदस्यों ने विचार जाहिर किये हैं, और सदन के बाहर भी जनता में बड़ा असंतोष है कि हमारे प्रदेश में कोई बड़ी इंडस्ट्री कायम नहीं हो रही है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि बंगलोर में टेलीफोन फैक्टरी और वायर फैक्टरी, कई फैक्ट्रियां कायम हो रही हैं। मद्रास में, पेरम्बूर में वैगन फैक्टरी है जहां लकड़ी बाहर से भेजी जाती है। देहरादून, हरिद्वार और बरेली में काफी लकड़ी पैदा होती है परन्तु इन क्षेत्रों में वैगन फैक्टरी खोली गयी। लेकिन जहां पर लकड़ी पैदा नहीं होती वहां पर वैगन इंडस्ट्रीज को मौका दिया गया। उड़ीसा में भी हीराकुण्ड बांध बनाया जा रहा है, पंजाब में भाखरा नांगल बांध बन रहा है और मध्य प्रदेश में स्टील का कारखाना खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी जो भावनायें अभी यहां प्रदर्शित की गयी हैं, एक डेलीगेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास भेजना चाहिये और पूरी कोशिश करनी चाहिये कि यहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज कायम की जायं। हम लोगों की राय है कि यू०पी० के साथ केन्द्रीय शासन की ओर से इस तरह का व्यवहार न किया जाय और यहां पर भी हेवी इंडस्ट्री कायम होनी चाहिये और उसके लिये पूरी कोशिश करनी चाहिये।

छोटे उद्योगों के बढ़ाने के लिये मैं आपके सामने थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र का उत्पादन योजनाबद्ध होना चाहिये। उत्पादन में डिमार्केशन लाइन बना दी जाय कि जो बड़ी २ इंडस्ट्रीज हैं वे कहां २ बनायी जायं और छोटे २ उद्योग किस तरह पनपाये जायं और वे क्या-क्या उत्पादन करें। छोटे-छोटे उद्योगों के लिये यू०पी० में सहायता देने की पूरी कोशिश होनी चाहिये। कर्घा उद्योग पर राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था है कि हर कर्घे पर १०० रु० सहायता दी जाती है। हमारे प्रदेश का, और प्रदेशों की बनिस्बत बड़ा बजट है, मैं चाहता हूं कि जिसके पास सिर्फ एक कर्घा हो उनको कम से कम १५० या २०० रु० की सहायतादी जानी चाहिये। देहातों में आमतौर से उद्योगों का विकास बहुत कम हो रहा है, केवल कर्घे का काम जरूर हो रहा

है, दूसरे और उद्योगों को बढ़ाने के लिये बहुत कम ध्यान है। जब तक देहात, कस्बे और शहर इन तीनों में उद्योग नहीं बढ़ाये जायेंगे, हम कुछ नहीं बढ़ सकते। मुझे खुशी है कि इस प्रदेश में जिला औद्योगिक अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आपके जिले के ये अधिकारी टैक्निकल मैन नहीं होंगे, तब तक आप उन्नति नहीं कर सकेंगे, अपने उद्योगधंधों को पनपा नहीं सकेंगे।

एक बड़ी बात यह है कि जब जिले में हम लोग औद्योगिक कोआपरेटिव खोलते हैं तो बड़ी मुश्किल आती है। उनको रजिस्टर्ड करवाने में महीनों लग जाते हैं, तब भी वे रजिस्टर्ड नहीं हो पाती हैं। इसलिये या तो कमेटी बना दी जायं या ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज कायम हो सकें। छोटे उद्योगों के लिये हमें किन-किन इंडस्ट्रीज पर रिसर्च करनी है, कौन-कौन इंडस्ट्री कहां २ बढ़ायी जा सकती है सर्वे करा कर इस तरफ ध्यान दिलाने की बड़ी भारी आवश्यकता है।

इसके अलावा छोटे २ उद्योगों के लिये बिजली बांटने के सम्बन्ध में बड़ी भारी दिक्कत है, इधर बराबर इस तरह की कोशिश हो रही है कि बिजली काफी तादाद में मिल सके। देहातों में जहां से बिजली के तार गये हैं, वहां के लोगों को अभी तक बिजली नहीं मिल पाती। उसके लिये पूरी कोशिश की जाय और जल्दी से जल्दी बिजली दी जाय।

मुझे खास तौर से एक बात और निवेदन करनी है और वह है ट्यूशनल क्लासेज के बारे में जहां पर ट्यूशनल क्लासेज चलते हैं वहां छात्रवृत्ति नहीं मिलती। शिक्षार्थियों को छात्र वृत्ति भी दी जाय। टेक्निकल शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। इस प्रदेश की आबादी साढ़े ६ करोड़ है। इस प्रदेश में केवल २ हजार या ३ हजार विद्यार्थी टेक्निकल ट्रेनिंग पाने वाले हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जितने जूनियर हाई स्कूल्स हैं उन सब को औद्योगिक स्कूल्स की शक्ल में बदल दिया जाय और हर जगह एक-एक सेंटर ऐसा हो जाय जहां विशेष प्रकार की औद्योगिक चीजें बनायी जायं।

जहां तक छोटी चीजों का ताल्लुक है मैं कहना चाहता हूं कि स्विटजरलैन्ड में घड़ियों के पुर्जे अलग अलग बहुत से स्थानों पर बनाये जाते हैं। अलीगढ़ में ताले का काम होता है। आज से कुछ वर्ष पहले कोई गांव ऐसा नहीं था जहां ताले कुं पुर्जे न बनतेहों। उसी तरह से उद्योगों के बारे में इसी बात की कोशिश होनी चाहिये जैसे साइकिल के पुर्जे बनाने के कारखानें तथा मोटर के पुर्जे (पार्ट्स) बनाने के लिये बड़ी २ इंडस्ट्रीज के सेंटर न खोल कर उसके पार्ट्स बनायें और असेंबलेंस के लिये अलग कारखाना बने, तो हम छोटे-छोटे उद्योगों की ज्यादा तरक्की कर सकते हैं।

हमें खुशी है कि छोटे उद्योगों के लिये २५ फीसदी बिजली की दर कम की जा रही है। हम समझते हैं कि यह अच्छा कदम है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि कटलरी वर्क के लिये अब की बार इस योजना में कोई स्थान नहीं रखा है। पिछले बजट में साढ़े १२ हजार रखा गया था, लेकिन इस साल कुछ नहीं है। हाथरस एक ऐसा सेंटर है जहां बहुत प्राचीन काल से कटलरी का काम होता था। लेकिन वह नष्ट हो गया उसे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिये। यों तो सरकार की तरफ से हाथरस में ट्यूशनल क्लासेज खुली थीं और वह चल भी रही हैं। वहां पर बिजली देने की व्यवस्था अब २,३ साल के प्रयत्न करने के बाद हो पायी है और थोड़ा २ कार्य शुरू हो सका है। लेकिन मुझे यह मालूम हुआ है कि हाथरस में कुछ पूंजीपति लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनको कटलरी की मोनोपली दे दी जाय और वहां पर किसी दूसरे आदमी को नया कारखाना खोलने का मौका न दिया जाय। दो चार बड़े-बड़े आदमी यह कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके हाथ में ही सारी व्यवस्था रहे और दूसरे लोग इस उद्योग को न चला सकें। हाथरस का कटलरी का उद्योग मुख्य है जिसमें चाकू, छुरी, चैफकट्स, चमच, आपरेशन के औजार वगैरह बनाने का काम होता है, उसकी प्रगति

[श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ]

तथा उन्नति की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, उसके अलावा देहात-देहात में हैन्डलूम वर्क से कुछ काम बढ़ सकता है । इसकी प्रगति की ओर हमें कोशिश करनी है ताकि हम हैन्डलूम उद्योग को काफी बढ़ा सकें ।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय उद्योग मंत्री जी सदन में अपनी मांग को पेश कर रहे थे उस समय मेरे दिल में एक ही भावना पैदा हो रही थी कि सारी निराशा की परिस्थितियों में हमारे प्रदेश के लिये जिस आशा और विश्वास और एक दृढ़ता के साथ हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी इस समस्या को हल करने के लिये आगे बढ़ रहे हैं, वह हमारे लिए एक बड़े हर्ष की बात है । मैं जब देखता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहां कि सारे देश में १२ सौ करोड़ रुपये उद्योगों में और २ सौ करोड़ रुपये माइन्स और दूसरे कार्यों में व्यय होंगे और जब मैं उसकी तुलना अपने प्रदेश में खर्च किये जाने वाले १७ करोड़ से करता हूं तो मुझे निराशा होती है । यह प्रदेश जो सारे देश में सबसे अधिक नगरों वाला है, सब से अधिक यहां की जनसंख्या है और जो कि देश के लिये गौरव का विषय है, हम जब उसके औद्योगीकरण की तरफ दृष्टि डालते हैं तो हमें यह दुख होता है और आखिर पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश को क्या मिला ? यह हो सकता है कि हम चुर्क सीमेंट फैक्टरी पर या प्रेसीजन इंस्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी को देखकर प्रसन्न हों, लेकिन इस प्रदेश में जिसका कि एक बड़ा स्थान होना चाहिये औद्योगीकरण में, जब हम दूसरे प्रदेशों में बड़ी-बड़ी फैक्टरियों और बड़ी बड़ी मिलों के लगाये जाने और १००, १०० करोड़ लगाये जाने वाली योजनाओं की तरफ देखते हैं और जब हम अपने प्रदेश की तरफ निगाह डालते हैं कि हमारे प्रदेश के लिये केवल १२ करोड़ रुपया छोटे उद्योगों के लिये और पांच, साढ़े पांच करोड़ रुपया बड़े उद्योगधंधों के लिये है तो हमें दुख होता है । मैं इस बात को नहीं मानता, जो लोग यह कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में मिनरल की कमी है और इसलिये हमारे प्रदेश को सिर्फ कृषि पर ही अवलम्बित रहना चाहिये । हमारे प्रदेश की सिर्फ ऐग्रीकल्चरल इकोनामी हो सकती है और ऐग्रीकल्चरल इकोनामी के आधार पर ही हम जिन उद्योग धंधों को चला सकते हैं उनको ही हम अपने यहां प्रसार कर सकते हैं जैसे शुगर इंडस्ट्री है, तो मुझे दुख होता है, मैं समझता हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे प्रदेश में वह चीजें मौजूद हैं, वह पोटेंशियलिटीज मौजूद हैं कि जिनसे हमारा प्रदेश एक औद्योगिक प्रदेश हो सकता है और देश की एक बहुत बड़ी कमी पूरा कर सकता है । आज डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री के लिये जितना हमारा प्रदेश अच्छा है, जितनी सारी शक्ति, जितनी सारी पोटेंशियलिटी हमारे प्रदेश में मौजूद है, मैं समझता हूं वह दूसरे प्रदेशों में नहीं है और मुझे दुख होता है जब मैं यह देखता हूं, मुझे आशा थी कि हमारे प्रदेश को आगे आने वाली योजनाओं में, द्वितीय योजना में कम से कम दो एक बड़े मेजर प्रोजेक्ट तो मिलेंगे । मुझे आशा थी कि फर्टिलाइजर फैक्टरियों में से एक तो अवश्य हमारे प्रदेश को दी जायगी । उसके साथ साथ मैं तो इस बात का विश्वास रखता हूं कि यह प्रदेश छोटे उद्योग धंधों के कार्य को, जैसा जापान ने किया है, करने के लिये बहुत ही उपयुक्त स्थान है । यहां पर स्टील प्रोसेसिंग फैक्टरी और टूल मशीन फैक्टरी अपने प्रदेश में स्थापित होनी चाहिये जिसके चारों तरफ हम दूसरे छोटे-छोटे उद्योग धंधों को चला सकते हैं । मैं इन सारी चीजों के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जब तक कि फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के दूसरे सदस्यों के विचारों को भी न समझ लूं उस समय तक मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा कि इस सम्बन्ध में अधिक कहूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश पंजाब ,बंगाल और बंबई से तो पीछे उद्योगों में है, लेकिन मुझे तो अब ऐसा दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश और बिहार भी हमारे प्रदेश से औद्योगीकरण में आगे बढ़ गये हैं और आगे उनके लिये वहां बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन हमारे प्रदेश के कुछ लोग तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसको ऐग्रीकल्चरल एकानामी मानने पर ही संतुष्ट रहना चाहते हैं । मुझे तो एक बात की और निराशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैं देखता हूं कि कृषि के लिये ४५ करोड़ रुपये, सामुदायिक योजनाओं के लिये ४६ करोड़, बिजली और पावर के लिये

८५ करोड़ रुपये और बाढ़ रोकने के लिये २७ करोड़ रुपये निर्धारित हैं, यानी करीब २०३ करोड़ रुपये होते हैं, यानी जो सारा रुपया खर्च किया जाने वाला है, उसका लगभग ५९ प्रतिशत तो हम ऐग्रीकल्चरल एकानामी पर खर्च करने जा रहे हैं। हमारे उद्योगों पर खर्च होगा वह ७ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मैं एक निवेदन आपसे और कर दूं कि हमारी कृषि की संभावनायें भी क्या हैं। हमारे प्रदेश की जनसंख्या बराबर बढ़ रही है और हमारा अनुमान है कि सन् १९७० में हमारे प्रदेश की जनसंख्या करीब ७० करोड़ हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--क्या आपने कहा ७० करोड़ हो जायगी ?

श्री देवकीनन्दन विभव--क्षमा कीजिये ८ करोड़ हो जायगी। मेरा अनुमान है कि ९ लाख प्रतिवर्ष बढ़ने से ८ करोड़ हो जायगी और हमारे लैन्ड पर जो बर्डेन है, जो भार वह सहन कर सकती है उसकी संभावना तीन करोड़ से अधिक की नहीं है। यदि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाते हैं तो जैसा कि ऐग्रीकल्चरल एकानामी में कहा गया है कि प्रति होल्डिंग कम से कम साढे ६ एकड़ जमीन होनी चाहिये। उस हिसाब से हम अधिक से अधिक तीन करोड़ आदमियों को लेकर चल सकते हैं, बाकी ४ करोड़ के लिये किस एकानामी की जरूरत है और हमारे देश में बेकार, अर्द्ध बेकार, जिनको हम उठाना चाहते हैं और प्रदेश के लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं वह इस हिसाब से तो ऊंची नहीं उठेगी, बल्कि और गिर जायगी यह हमें सोचना है। तो हमें यह सोचना है और यह एक गम्भीर प्रश्न है। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि यह हमारे प्रदेश के लिये जीवन मरण का प्रश्न है यह बिल्कुल सत्य है। वह परिस्थिति कुछ ही दिनों बाद आने वाली है जब कि हमारे प्रदेश में इससे जो होगा वह हमें दृष्टिगोचर होने लगेगा। एक निवेदन मैं करूंगा और वह यह कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पर काफी दबाव डालना चाहिये।

श्री मसुभा वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय उपाध्याय जी ने सदन के सामने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी और बेकारी को दूर करने के लिये अपने प्रदेश में उद्योग धंधों का होना अत्यावश्यक है। लेकिन उद्योग धंधों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं जिस जिले से चुनकर आता हूं, वहां गन्ने का उद्योग बहुत ज्यादा है। हमारे यहां बहुत ज्यादा लोग गन्ने की खेती करते हैं और उसके मूल्य पर ही वहां के किसानों का सारा काम आधारित है। अपनी जरूरत की चीजें वे गन्ने के मूल्य से ही खरीदते हैं लगान व क़र्ज़ देना, शादी विवाह करना, कपड़ा खरीदना, गल्ला खरीदना, गल्ला तो वे बाहर से चम्पारन जिले से खरीदते हैं हमारे यहां तो ग़ल्ला छः माह खाने के लिये पैदा होता है। रबी ३ माह भदई ३ माह बाकी गल्ला बाहर से गन्ने के पैसे से खरीदते हैं लेकिन उस गन्ने की कई वर्ष पहले से क़ीमत घट गयी, और उसकी क़ीमत घटने के बाद ज्यों-ज्यों गन्ने की हालत खराब होती गयी, त्यों-त्यों हमारे सारे किसानों की हालत ख़राब होती गयी। गन्ने के दाम की बढ़ोत्तरी के लिये किसानों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन हमारे किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों और मजदूरों की सुनता कौन है ? न मालूम उन मिलमालिकों से सरकार की कितनी गहरी दोस्ती है, कि वह उन किसानों और मजदूरों की बात ही नहीं सुनती। चीनी के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आजकल की हालत को देखते हुये गन्ने की कीमत लकड़ी के दाम से भी सस्ती है। उस गन्ने की लड़ाई में इस सदन के भूतपूर्व नेता और मुख्य मंत्री माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत मध्यस्थ हुए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उस पंचायत में क्या निर्णय हुआ ? श्रीमन्, हमारे यहां तो १५मिलें हैं लेकिन तीन की, कठकुइयां, पडरौना और खड्डा की बहुत ख़राब हालत होती जा रही है। माननीय मंत्री जी न मालूम किस तरह से उद्योग को चलाना चाहते हैं ? क्या देवरिया जिले से माननीय मंत्री जी को कोई दुश्मनी है ? हमारे यहां लोग गुड़ ज्यादा पैदा करते

[श्री रामसुभग वर्मा]

है। पहले वहां बहुत तादाद में कोल्हू चलते थे। आठ महीने गुड़ रस-डहिया से लोग काम चलाते थे और उसे बेचकर और काम करते थे, लेकिन आज बहुत कोशिश करने पर भी कोल्हू नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बाढ़ के बाद माननीय मंत्री जी ने चर्खे की आयोजना की और चर्खा केन्द्र खोले गये। इसके लिये मैं उनका उपकार मानूंगा। लेकिन चर्खा का क्या हुआ और किस तरह से उनका उपयोग होता है इसको तो मंत्री जी ही पता लगायेंगे। हमारे यहां जो केन्द्र है, मंत्री जी बतला सकते हैं कि वहां कहां है? जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में उसका कार्यालय है, कैसे वितरण होता है वही जान सकते हैं। जैसे राजनारायण जी ने कहा कि उसका सच्चर्च में दुरुपयोग होता है। वैसे ही लोगों को चर्खा दिया जाता है और वैसे कतनी वगैरह को सूत दिया जाता है और जो गांवों में केन्द्र खुले हुये हैं वहां के कार्यकर्त्ताओं को दो, दो तीन तीन महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है।

हमारे यहां कुशीनगर में एक कम्बल केन्द्र है। उसमें जो शिक्षार्थी हैं, उनमें से कुछ को स्कालरशिप मिलती है और कुछ को नहीं मिलता है, और जिनको मिलता है उनको समुचित रूप से नहीं मिलता है। हमारे यहां काफी ऊन होता है और कम्बल का उद्योग बढ़ सकता है। उनको मौके से पैसा नहीं मिल पाता जिससे वह ऊन खरीद सकें और अपना धंधा चला सकें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यही होता कि मंत्री जी पहले बोलते। जो कुछ हमने कहा है, हमें पता नहीं है, उसके बारे में उनका क्या कहना है?

श्री अध्यक्ष—आप का क्या अभी पेट नहीं भरा? मंत्री जी तो बहुत बोल चुके हैं, शायद आप ने सुना नहीं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मेरी इस बात को स्वीकार किया कि हमें केन्द्रीय सरकार के ऊपर जोर देना चाहिये कि हमारी स्टेट के अन्दर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिये रुपया मिले जिससे हमारे प्रदेश में उद्योग धंधे हों। अध्यक्ष महोदय, जिन कारणों से यह नहीं हो सका है वह बतलाना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं। समय बहुत कम है और मैं ठीक तरह से समझा नहीं पाऊंगा। परन्तु कुछ मूल कारण अवश्य ऐसे हैं कि जिनसे हमें शक है कि हमारा केस केन्द्रीय सरकार के समक्ष ठीक तरह से नहीं रखा गया। हम लोग, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग अपने बड़प्पन में रह जाते हैं। जैसा कि शिवनारायण जी ने कहा कि हम लोग बड़े अमीर हैं, बड़े खुशहाल हैं, हमारे यहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और खुशहाली की तस्वीर केन्द्रीय सरकार के सामने रख दी जाती है उसकी वजह से हमारे यहां इंडस्ट्री नहीं हो पाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन हमारे प्रदेश के कर्णधार इस चीज की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में हमारी मिनिस्ट्री बनी रहे और ज्यादा मिनिस्टर रहें चाहे प्रदेश मर जाय। अन्य प्रदेश वाले चाहते हैं कि उनके यहां कारखाने हों और उनकी प्रजा को ज्यादा काम मिले चाहे मिनिस्ट्री एक भी न मिले। यही कारण है कि आज सब जगह उद्योग धंधे मिले हुये हैं और हम लोग ही बिना उद्योग धंधे के रह गये हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हम सब मिल कर के, यह कोई पार्टी का ईश्यू नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम लोगों के प्रदेश की हालत बढ़िया हो और हम लोग दिल्ली चलें और केन्द्रीय सरकार पर जोर देकर अपने प्रदेश में उद्योग धंधों को लायें।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्य इस पर बोले हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है परन्तु श्री परिपूर्णानन्द जी से शिकायत इसलिये है कि जब से वह सदन में आये हैं आज तक उन्होंने एक दिन भी किसी डिपार्टमेंट की काट नहीं की है और न कोई गलती ही कभी बतलाई है। हमारे डिपार्टमेंट इतने अच्छे नहीं हो गये हैं कि उनका काम बहुत ही अच्छा हो गया है। अगर वह इस तरह से डिपार्टमेंट की तारीफ़ करेंगे तो इतना तो मंत्री जी समझेंगे कि हाउस में एक आदमी ऐसा है जो हमारी तारीफ कर रहा है तो अध्यक्ष महोदय, तारीफ़ करने से ज्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जो खराबियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करिये। रहेंगे तो यही लोग लेकिन अगर उनमें ख़राबी है तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये और हम सब को मिल कर यह कोशिश करनी चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय ऐजाज रसूल साहब मुझे गलत समझे हैं। मैं हैंडीक्रैफ्ट को भी समझता हूं और हैंडलूम को भी। लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि वे हैंडलूम में होते हुए भी हैंडलूम को तबाह करते जा रहे हैं। कारण यह है कि ७५ से ८५ परसेंट तक जो कैपिटल है वह हम वीवर्स की सोसाइटीज को दे देते हैं और बाकी जो रिमेनिंग कैपिटल होता है वह वीवर्स अपनी सोसाइटी में इकट्ठा करते हैं। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो रुपया हमको मिलता है, उसको वह कोआपरेटिव बैंक से दिलवावें। रिजर्व बैंक हमको रुपया दे रहा है लेकिन हमारे माननीय मंगला प्रसाद जी लेते नहीं अगर वह उस रुपये को लें तो हमारी हालत सुधर सकती है। यह कितने अंधेर की बात है कि रुपया उन्हें मिलता है उद्योग धंधे बढ़ाने के लिये और वह नहीं लेते, यही मैं उनसे कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमें और दूसरे लोगों को इस बात का पता नहीं चलता कि किस डिपार्टमेंट को किस इंडस्ट्री के लिये कितना रुपया अनुदान के रूप में मिला है? मैं यह समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी उसको केन्द्रित करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन कम से कम जिला प्लानिंग कमेटीज को यह तो बता दें कि फलां जिले के अन्दर इतने उद्योग धंधे हैं और उनको यह अनुदान दिया गया है, या ऋण दिया गया है या ग्रांट दी गई है, ताकि हम जानें तो सही कि किस की क्या हालत है? छै साल बाद हमें पता लगता है कि फलां फैक्ट्री को इतना रुपया दिया गया था जो वह खा गई। तो अगर वह वितरण करते हैं तो उसका हमें पता चलना चाहिये, लेकिन मैं तो कहता हूं कि पहले आप उसका विकेन्द्रीकरण करिये, जिला प्लानिंग कमेटीज को आपको यह काम दे देना चाहिये और जिले के अन्दर कोआर्डिनेशन होना चाहिये। किस के पास आज जायं इंडस्ट्रीज चलाने के लिये जिले में? कानपुर से तो कोई जवाब नहीं मिलता, तो उद्योग धंधे कैसे पनप सकते हैं। तो हमारी जो कमियां हैं उनको हमें दूर करना चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उनके हाथ में, उनके कंधों पर, इस प्रदेश के उत्थान की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर वह यह समझते हैं कि प्लानिंग, इंडस्ट्रीज, खाद्य, सप्लाई आदि के सब विभाग अपने साथ रखें तो उन्हें उसके लिये खास दवाइयां खानी चाहिये, क्योंकि उनकी तबियत अगर कहीं खराब हो गई, भगवान न करे, तो हम कहीं के न रहेंगे। उनसे कोई मिल नहीं सकता, हर समय कोई न कोई उनके साथ रहता है, बराबर लोग लगे रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी के साथ हमेशा रहा। बहुत दिन तक ए० आई० सी० सी० का मेम्बर रहा और उस समय हमेशा उनका साथ देता रहा हाथ उठा कर, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जरा मंत्री जी अपना रुख बदल दें। वह काम तो कर सकते हैं, लेकिन बदलेंगे नहीं। मुझे आशा है और पूरी उम्मीद है कि वह काफी काम इस उत्तर प्रदेश का कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं लेकिन जरूरत इस बात की है कि वह जरा ठीक रास्ते पर चलें। बहुत से लोग होते हैं कि जो गलत रास्ते पर चलते हैं, अपनी अकल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि हम उनके साथ हैं, यह पार्टी वार्टी की बात छोड़िये, इसमें क्या रखा है?

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

एक बात और कह दूं फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के बारे में कि मुझे उस पर बिलकुल विश्वास नहीं है और उसका कारण है। यह फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी डालडा की फैक्ट्री को तो अपने आप खोलेगी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन डेयरी अगर खुलवाना हो तो उसके लिये सरकार को सलाह देगी कि पब्लिक सेक्टर में खोल दो, क्योंकि उसमें भैंस के मर जाने का खतरा है न। हमारे मंत्री जी तो कहेंगे कि यह तो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी यह राय है। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें अपने प्रदेश में इंटरेस्ट है, हमारा काम गवर्नमेंट को केवल बदनाम करना नहीं है और न हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में उद्योग धंधे पनपें और बढ़ें। और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे भाषण को उसी स्प्रिट में लेंगे। हमारा संतुलन बहुत बढ़िया है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है इसलिये मैंने जो अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे मैं प्रेस करता हूं क्योंकि इस विभाग में गड़बड़ी बहुत है, और सदन के सामने उसके विचारार्थ रखता हूं।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्याय जी को और इस सदन के अन्य सदस्यों को, जिन्होंने इस प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिये विभिन्न सुझाव इस सदन में पेश किये हैं, उनको धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी का बहुत ही अनुग्रहीत हूं, जिन्होंने मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखकर मुझे बहुत से सुझाव ऐसे दिये जिन पर मुझे सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये।

पूर्व इसके कि मैं और बातों का वर्णन इस सदन में करूं मैं उन दो गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं जो उन्होंने इस खूबसूरत पुस्तिका को सदन के समक्ष पेश करते हुये सफा १६ में लिखी बातों के संबंध में कहा। उन्होंने बताया कि रानीखेत में या अल्मोड़ा जिले में दो सहकारी समिति जिनका वर्णन इस पुस्तक में है अब सरकार इन सहकारी समितियों को कोई सहायता प्रदान नहीं करती है और यह अपने आप चल रही हैं या जो साधन उनको उपलब्ध होने चाहिये उन्हें वह अपने आप बाहर से मंगाना पड़ता है। मेरे पास अभी दो फाइलें आयी हैं। मैंने इस थोड़े समय में इन फाइल्स का अध्ययन जो कुछ किया है उसमें मैं कुछ जान सका हूं। इन फाइलों का संबंध फारेस्ट डिपार्टमेंट से था। इनके अध्ययन करने से पता चलता है कि जो बातें उपाध्याय जी ने सदन के समक्ष बतलायी हैं वह सत्य से परे हैं। यह दोनों सहकारी समितियां प्रदेशीय सरकार से, फारेस्ट डिपार्टमेंट से प्रत्येक प्रकार की सहायता, जहां तक उनकी सहायता का विषय है, पा रही हैं और इसी प्रकार से सिर्फ सरकार की आज्ञा ही नहीं गयी है परन्तु जो आज्ञा गयी है, उनके तहत में विभाग कार्य भी करता है यानी ५ हजार मन तो रेजिन मिलने की बात है और ६,६०० चीड़ के पोल मिलने की बात है। चीड़ के पेड़ों से यह चीज प्राप्त करने की आज्ञा दिसम्बर के महीने में जा चुकी है। मार्च के महीने में, यह जो कोटद्वारा की कोआपरेटिव सोसाइटी है, जिसका जिक्र इसी १६ सफे पर है उसको भी प्रदेशीय सरकार से सहायता मिल रही है। हमारे विभाग की ओर से इसी फारेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यह सहायता दी जाती है। जब कभी इंडस्ट्री का विषय आता है तो इस प्रकार का कोआर्डिनेशन होने से हमारे सुझाव पर बातचीत करके और इन फाइलों पर विचार करके सरकार की ओर से आज्ञा संचालित होती है। महज यह कह देने से कि मैं इस बात के विरोध में हूं उससे तो सत्य का जो प्रकाश है वह मिट नहीं सकता है। इस कारण उनके मन में जो एक भ्रांति थी उसका मैंने निराकरण किया।

एक भ्रांति श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने सदन के सामने उपस्थित की और वह यह थी कि सरकार ने कठकुइयां और पडरौना की मिलों को ऐसे समय में बिकवाया जब कि मिलें चलने वाली थीं और उनकी बिक्री मई और जून के महीने में होनी चाहिये थी। यह प्रादेशीय सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहती थी, परन्तु स्वयं उनको विदित है कि हाईकोर्ट के ऊपर इस सरकार का आदेश तो चल नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति कोई रिट हाईकोर्ट में जाकर वहां से ले आये तो फिर वह बेंचने में बाधक होती है। तो यह सरकार हाईकोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकती है। एक आदमी हाईकोर्ट में जा कर वहां से रिट ले आये और उसने मई और जून में इस फैक्ट्री को बेचने में बाधा उपस्थित कर दी। इसलिये इस फैक्ट्री की बिक्री या नीलाम ऐसे समय में हुआ जब कि नहीं होना चाहिये था। मैं स्वयं उनकी इस बात से सहमत हूं परन्तु जो दिक्कत हमारे सामने थी, उसने हमको बाध्य किया कि हम फैक्ट्री का नीलाम ऐसे समय में करायें जब कि फैक्ट्री चलने वाली थी। हालांकि वह फैक्ट्री नवम्बर के महीने में बेची गयी, जिस समय जैसा कि उन्होंने बताया कि वह चलने वाली थी। जिन लोगों ने उसको खरीदा, उन्होंने बाद को सरकार की सलाह से एक अथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त किया। वे व्यक्ति उसका अच्छा संचालन कर रहे हैं और अच्छा उनका कारोबार चल रहा है। खड्डा के बारे में उन्होंने कहा। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि स्वयं वह जानते हैं कि किन परिस्थितियों में खड्डा की मिल एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपी गई, जिसके पास उसे चलाने के साधन नहीं थे। जहां तक इन मिलों के बेंचने का प्रश्न हमारे सामने आता है तो वे सुझाव जो उन्होंने प्रस्तुत किये हैं वे हमेशा हमारे सामने रहते हैं और हम उत्पादकों की बात को सामने रख कर निर्णय करने की चेष्टा करते हैं। मुझे दुख हुआ कि हमारे माननीय सदस्य उपाध्याय जी ने इस खूबसूरत पुस्तिका और उसके ऊपर जो तस्वीर बनी है उसे देखकर बड़ी आपत्ति की और यह सुझाव प्रस्तुत किया कि यह बदशकल व्यक्ति और उसकी शक्ल इस खूबसूरत तस्वीर को मिटा कर अगर रखदी जाती तो कदाचित प्रदेश के उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता। मैं क्या कहूं वह खूबसूरती का इतना तिरस्कार करते हैं। कला को वह नहीं मानते हैं। यदि वह ऐसा समझते हैं कि वह बदसूरत व्यक्ति यदि अपनी तस्वीर यहां लगा दे और उसकी शकल से इस देश के छोटे-छोटे उद्योग धंधे या यहां की कला की चीजें अधिक मात्रा में विकसित हो सकें तो कदाचित् वह अपने को गौरवान्वित अनुभव करेगा।

उन्होंने और भी कई सुझाव दिये कि डाइरेक्टर का दफ्तर कानपुर में नहीं होना चाहिये। परन्तु वह तो कानपुर में बन गया है और उसके पीछे एक इतिहास है। एक इतिहास भी ऐसा है जो उद्योग से संबंध रखने वाली बातों से संबंध रखता है। हम सब जानते हैं कि कानपुर इस प्रदेश की बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है और यदि कानपुर में उद्योग विभाग का डाइरेक्टोरेट रहता है तो उसे उद्योगपतियों से ही सम्पर्क में नहीं आना होता है, बल्कि विभिन्न उद्योगों से उसे जानकारी होती है, जो वहां वर्षों से चल रहे हैं और नये उद्योगों की भी वहां संभावना है। हम में से हरएक जानता है कि आज कानपुर में बिजली आसानी से मिल सकती है जो और जगह कदाचित नहीं मिल सकती है। जहां लोगों का ध्यान और प्रवृत्ति उद्योग की ओर अधिक जा सकता है वहां डाइरेक्टोरेट का रखना कितनी मुनासिब बात होगी, मैं ज्यादा विस्तार से अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझता, ताहम जो उन्होंने कहा कि हमारे सदस्यों को दिक्कतें होती हैं जानकारी हासिल करने में, तो अवश्य मैं चाहूंगा कि अपने अधिकारियों से बातचीत करके कोई ऐसा लियेजां, अगर हमारे यहां बना दिया जाय जिससे डाइरेक्टोरेट से जानकारी प्राप्त हो सके तो वह करने की हम चेष्टा करेंगे। उन्होंने दो म्युजियम्स के बारे में एक कानपुर में और दूसरा लखनऊ में देखा होगा। इनके लिये धनराशि इसमें रखी गई है। ये दोनों स्थान ऐसे होंगे जहां से उद्योग धंधों के बारे में और उनमें प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

एक बात और यह है कि हमारे आंकड़े देखकर कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा अनुभव किया कि ये कम हैं, जहां तक छोटे उद्योगों का विषय है। हमें जो रकमें मिलीं है वे कतई रकमें नहीं हैं क्योंकि माननीय सदस्यों को मालूम है कि केंद्रीय आयोग ने करीब २०० करोड़ की रकम

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

विभिन्न बोर्ड्स के तहत में वितरित करने के लिये रखी हैं और वे ज्यादातर स्माल स्केल उद्योगों से संबंध रखती हैं। इस सदन को मालूम होगा कि प्लानिंग कमीशन ने एक समिति नियुक्त की जिसे कार्वे कमेटी के नाम से हम पुकारते हैं और उस कमेटी ने ऐसी योजना तैयार की थी कि जिसके तहत में २५९ करोड़ रुपया व्यय होने वाला था परन्तु अब वह धनराशि जो छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये रक्खी गयी है वह २,०० करोड़ रुपया है। ५९ करोड़ उसमें से काट दिया गया है। यदि २०० करोड़ रुपया भी छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये हम मानकर चलें तो इन बोर्डों के तहत में हमें जो रुपया मिलेगा उससे हमारा रुपया कुछ और बढ़ जायगा और हमारी धनराशि बढ़ेगी।

कई सदस्यों ने गुड़ और खांडसारी के उद्योग धंधे की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया। गुड़ और खांडसारी के लिये जो रकम रखी गयी है, उससे और अधिक हमें मिलने वाली है। गुड़ और खांडसारी हमारे प्रदेश के मुख्य उद्योगों में से हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि १७ करोड़ का जो बजट रक्खा गया है इस बजट में, उसको ही हम आखिरी समझ कर अनुमान लगाकर न चलें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जो विकास की योजनायें हैं, उनके लिये इसके अलावा भी हमें रुपया मिलने वाला है। २४८ करोड़ की जो धनराशि प्रदान की गयी है उसके बाद भी तीन, साढ़े तीन करोड़ की धनराशि और भी मिलने वाली है और इस प्रकार से २५१ करोड़ से अधिक यह धनराशि हो जाने वाली है। ज्यों ज्यों इन बोर्ड्स को बनाने की योजनायें बनेंगी, हम भी उस बोर्ड के समक्ष अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करेंगे और हमें आशा है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये हमें और धनराशि मिलेगी।

कई सदस्यों ने यह भी कहा कि जिलों के विभिन्न उद्योग धंधों का सरवे नहीं हुआ। यह सत्य है कि १९२०–२४ की जो सरवे है हम उसी के तहत काम करते हैं। पिछले वर्ष यह योजना बनायी गई थी कि प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति करें जो इस प्रकार की सर्वे करा कर हमें उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करायें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी को इस संबंध में क्या कहना है, क्या वे कुछ और समय लेना चाहते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं माननीय सदस्यों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। यदि वे उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो ठीक है वरना मैं समाप्त भी कर सकता हूं। यह अवश्य है कि कई बातें ऐसी हैं जो इस जानकारी के अभाव में गलत समझी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सत्य है कि जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनकी विस्तृत ढंग से हमको जानकारी नहीं है जो कि आज की आवश्यकताओं को देखते हुये होनी चाहिये। इसलिये हमने पिछले वर्ष यह निर्णय किया कि इस प्रकार की योजना बना कर इस प्रकार का सर्वे करायें। जो सप्लीमेंटरी ग्रांट आपने स्वीकार की है उसमें आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री विभाग के तहत हम गजटेड आफीसर्स की नियुक्ति करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जा रहे हैं जो सेकिंड क्लास आफीसर्स होंगे। पब्लिक सरविस कमीशन को लिख दिया गया और उनसे यह आशा प्रकट की गयी है कि वे महीने भर में इन व्यक्तियों को छांट कर हमें बता दें जो जिलों में

अपनी योग्यता के अनुसार कार्यसंपादन कर सकते हों। जब नियुक्तियां हो जायंगी तो वे लोग जिलों-जिलों में घूम कर जो उद्योग धंधे वहां पर चलते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम आशा करते हैं कि वे २-३ महीने में जानकारी प्राप्त कर के हमारे समक्ष योजना प्रस्तुत करेंगे जिस पर से हम उनको विकसित करने की योजना बनायेंगे। तब हम देखेंगे कि किन को हम धनराशि की सहायता दे सकते हैं, किनको हम ट्रेंड पर्सोनल की सहायता दे सकते हैं। या जिन्हें हम टेक्निकल एड देकर इन उद्योग धंधों को विकसित करने में सफल हो सकें। तो यह तो हम अगले वित्तीय वर्ष से यह कार्य करने वाले हैं जिसमें कोई जिला इस सर्वे इत्यादि के कार्य से वंचित नहीं रहेगा।

जहां तक ज्योलाजिकल-सर्वे की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कराया गया हमारे भाई विष्ट जी ने पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों का जिक्र किया कि वहां भी सर्वे किया जाना चाहिये। तो जैसा कि अनुदान के तहत में उन्होंने देखा होगा हमने अभी तक थोड़े ही आदमी अपने इस विभाग में रक्खे थे। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से हम और अधिक टेक्निकल असिस्टेंट ज्योलाजिस्ट्स को लेने जा रहे हैं और चूंकि यह काम उनके सुपुर्द करने जा रहे हैं हमें आशा है कि उनकी मदद से साल भर के अन्दर हमें बहुत सी जानकारी अपने प्रदेश के खनिज पदार्थों की हो सकेगी और जहां-जहां हमें जानकारी होती जायगी वहां केंद्रीय सरकार के ज्योलाजिकल सर्वे की सहायता से और नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की सहायता से ड्रिलिंग इत्यादि कराकर हम इस कार्य को करेंगे। खनिज पदार्थ एक स्थान पर मिले भी, तो भी हमें इस बात की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि वह खनिज पदार्थ कितना है, उसका कितना एक्सटेंट है और कितने समय तक हमें वह बराबर मिलता रहेगा और यह चीज हमें ड्रिलिंग इत्यादि से ही मिल सकती है और व्योरेवार जानकारी प्राप्त हो सकती है। मैं सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी न रहेगा जहां से जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा न करें और खास कर जो पिछड़े हुये क्षेत्र है वहां तो हमें ध्यान अधिक मात्रा में देना है। आज भी प्रदेश के बुन्देलखंड इत्यादि क्षेत्रों के सिलसिले में हमारे यहां बहुत से उद्योग में लगे हुये व्यक्तियों की मांगें आती हैं जिनमें वे चाहते हैं कि उनके यहां सीमेंट इत्यादि के कारखाने खुलें। लेकिन अभी हमारे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वहां लाइम स्टोन है और वहां वह मैटीरियल है, जो आवश्यक होता है। एक सीमेंट फैक्ट्री को लगाने के लिये वहां भी सर्वे इत्यादि कर रहे हैं या ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जिससे उत्तरोत्तर हमारी जानकारी बढ़ती रहे और जानकारी बढ़ने के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले कर हम अपने प्रदेश के उद्योग धंधों को विकसित कर सकते हैं जो उद्योग धंधों में लगे हुये हैं।

राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण की बहुत बातें हमारे सामने उपस्थित की जाती हैं। मैंने सदन के सामने कई बार कहा कि प्लानिंग के इस युग में हम केंद्रीय सरकार से ऐसे बंधे हुये हैं कि बहुत सी चीजों में हम राष्ट्रीयकरण करने की बात करें तो भी हम स्वतः कर नहीं सकते जब तक कि इस विधान के तहत कार्य कर रहे हैं, जिस विधान को हमारे देश के नागरिकों ने अपनी फ्री विल से बनाया है। यदि हमें उसके तहत में कार्य करना है तो हमें उसकी सलाह और मशविरे से करना होगा। यदि कोई योजना बनायें और योजना डेफिसिट फाइनेंसिंग की हो तो हम उस योजना को सम्पादित कर सकते हैं ऐसा करना संभव नहीं। हमारे पास नोट छापने वाली मशीन नहीं। यदि हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग को सामने रख कर कार्य करना है तो केंद्रीय सरकार से मशविरा ले कर ही उसको कर सकते हैं। अगर हमें राष्ट्रीयकरण करना है तो हमें उसे आल इंडिया के कांटेक्स्ट में सोचना होगा कि केंद्रीय सरकार किन-किन स्थितियों में किन-किन चीजों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। यह नहीं कि आज केंद्रीय सरकार राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहती। बहुत सी चीजों का करना

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

चाहती हूं लेकिन आज जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं कि राष्ट्रीयकरण करने से पहले वह विधान के तहत कार्य करें तो हरएक को कम्पेन्सेशन के रूप में रुपया देना होगा और वह रुपया है नहीं। तो हमें फिर ऐसी दूरदर्शिता से कार्य करना है जिससे उद्योग धंधे भी विकसित हो जायं और ऐसे नियंत्रित ढंग से वे हमारे बीच में चलें। पहले के जमाने में जिस प्रकार के उद्योग धंधे चलते थे उनकी नीति में फर्क आवे। इसलिये कंट्रोल्ड ढंग से लाइसेंस इत्यादि प्रदान किये जाते हैं और जिनको लाइसेंस दिया जाता है उनको बहुत सी शर्तों के साथ लाइसेंस दिया जाता है। हमने भी अपने प्रदेश में जिन व्यक्तियों को इमदाद देने की नीति को अपनाया है, उसमें अपनी शर्तें रक्खी हैं कि वे अपने प्रदेश के रहने वाले कुछ व्यक्तियों को उस रोजगार में शिक्षा आदि देने के लिये सम्मिलित करेंगे। वर्ना बाहर के लोग आयें और यहां इस प्रदेश में उद्योग धंधे लगायें और प्रदेश के रहने वालों को हम कोई औद्योगिक शिक्षा न दे सकें और कोई रोजगार न दे सकें, तो इस से हमारी समस्या हल नहीं होती। इसलिये जिसको भी हम लोन आदि देते हैं उनको लोन देने के साथ ही हम निश्चित प्रतिबन्ध लगाते हैं और शर्तें रखते हैं जिनकी तहत में उनको काम करना होता है, जो लोन लेने वाले हैं। मैं भी उन माननीय सदस्यों और उन्हीं व्यक्तियों में से हूं जो राष्ट्रीयकरण के पक्षपाती हैं लेकिन वस्तुस्थिति को सामने रखकर जो किया जा सकता है। यदि पूर्ण राष्ट्रीयकरण हम न कर सकते हों और वह इसलिये कि हमारे पास साधन न हों तो क्या उस हालत में यह सरकार चुपचाप बैठी रहे? प्रश्न यह है कि औद्योगीकरण के लिये जिस रास्ते से, जिस क्षेत्र से भी, जिस दायरे से हमें सहयोग किसी प्रकार का भी मिल सकता है वह हम प्राप्त करें, ज्यों-ज्यों नये साधन मिलते जायं, जैसे-जैसे नया वातावरण बनता जाय, आज हमारी धारणा है कि जो पूंजीपति कल तक केवल निजी लाभ के लिये उद्योगों में लगे थे वह बदल रहे हैं और बदलेंगे और जब नया समाज बनेगा, बढ़ेगा तो निश्चय ही वह भी बदलेंगे, यह नहीं हो सकता कि समाज के विचार परिवर्तित होते रहें और वह न बदलें और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जमींदारी प्रथा हटाने से पहले जो विचार उस समय जमींदारों के थे क्या वही विचार उनके आज भी हैं, वह भी बदले हैं और उन में से बहुत से आज हमारे साथी बन गये हैं और इधर आ गये हैं और उनके विचारों में उत्तरोत्तर परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। इसलिये कोई कारण नहीं है कि आज हमारे अनुभवी उद्योगपति हैं उनकी हम सलाह न लें। माननीय मदन मोहन जी ने कहा और आपत्ति की कि बिड़ला जी को हमने इस कमेटी में रख दिया। हमने उनको केवल इसलिये रखा है कि उद्योगपतियों के सभापति की हैसियत से बराबर ऐसे कार्य करते चले आये हैं और उनको हर प्रकार के उद्योग का अच्छा अनुभव है।

हम भी केंद्रीय सरकार के सामने अपने सूबे के उद्योगों का एक ऐसा नकशा पेश करना चाहते हैं जो अनुभवी लोगों द्वारा बनाया जाय और जो कह सकें कि यहां इन उद्योगों का संचालन हो सकता है और दूसरे जो लोग यहां आ कर रिपोर्ट दे देते हैं कि यहां उद्योग नहीं चलाये जा सकते उनको हम उसका उत्तर उस नकशे के द्वारा अथारिटी से दे सकें। तो हम ऐसे लोगों के साथ बैठकर वह नकशा बनाना चाहते हैं। आज राष्ट्र के निर्माण में उद्योगपतियों की भी बड़ी जिम्मेदारी है और जो उद्योगों को चलाते रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तो और भी अधिक है। मुझे दुख है कि हमारे विरोधी दल के कई साथी उस कमेटी में नहीं रखे गये और जब इस बात पर विचार हो रहा था तो हमारे सामने एक दिक्कत यह थी कि कहीं हमारे विरोधी दल के साथी यह न कह दें कि हम पूंजीपतियों के साथ बैठेंगे नहीं लेकिन अब जब कि हमारे साथियों ने इस बात को हमारे सामने रखा है कि वे भी अपना सहयोग देने को तैयार हैं तो कोई कारण नहीं कि यह सरकार अपने विरोधी दल के भाइयों से पूरी सहायता न ले और उनको आपस में नजदीक बैठाकर जो एन्गुलेरिटीज हमें इधर या उधर से मिल सकें उन पर विचार न करें और अगर उनकी इच्छा है तो वे भी उसमें अवश्य बैठेंगे और जिन व्यक्तियों के नाम उधर से आयेंगे उनको हम उस में लेंगे।

हमें विश्वास है कि हम प्रत्येक दायरे से लोगों की सहायता को लेकर अपने इस कार्य को पूरा करेंगे और हम हर तरह से प्रदेश की औद्योगिक उन्नति की बात सोच सकते हैं और मैं जानता हूं कि जहां तक प्रदेश की औद्योगिक उन्नति का विषय है हमारे विरोधी दल के साथियों को कोई विरोध नहीं है और वह हमारे साथी भी, जो कभी भी संतुलित बात नहीं करते हैं, उनको भी मैं दावत देने को तैयार हूं और मैं श्री राजनारायण जी को भी दावत देता हूं जो समय-समय पर पाटों की बात सामने रखकर दूसरे मार्ग पर चलने को प्रेरित करते रहते हैं। मैं तो यहां के प्रत्येक व्यक्ति को और बाहर तक के व्यक्ति को दावत देता हूं जो हमें उद्योग के क्षेत्र में सलाह दे सकता है, हम सब के सहयोग का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं और सब से सहायता लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने केंद्रीय सरकार की नीति पर सदन का ध्यान दिलाया है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को यदि जीवित रखना है, अगर हमें यहां के स्तर को ऊंचा करना है तो वह इस प्रदेश के औद्योगीकरण के द्वारा ही हो सकता है और भले ही आज केंद्रीय आयोग या उसके कंसल्टेंट्स या केंद्रीय सरकार आज इसकी आवश्यकता न महसूस करें,, लेकिन अगर यहां के किसानों के स्तर को ऊंचा करना है, और इस वादे को हमें पूरा करना है कि हम देश के प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी २५ प्रतिशत बढ़ायेंगे तो वह संभव नहीं है जब तक कि हम उद्योग धंधों को पुनर्जीवित न करें, और उनको बढ़ाने और विकसित करने की चेष्टा नहीं करेंगे। इसलिये मैं इस सदन के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज बड़े-बड़े उद्योग धंधों के विषय में, औद्योगीकरण के संबंध में, केंद्रीय सरकार के समक्ष अपने विचार रख कर उसका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है।

कई और बातें हैं जिनका मैं ब्योरेवार जिक्र नहीं कर सकता। शर्मा जी ने जापान के घरेलू उद्योग धंधों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट किया। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से जापान में घरेलू उद्योग धंधे फैले हुये हैं, उसी तरह से अपने प्रदेश में भी छोटे-छोटे घरेलू उद्योग धंधे चलाये जायं। और इसलिये आपने देखा होगा कि विदेशों में विद्यार्थियों को और नवयुवकों को भेजने के लिये हमने धनराशि की व्यवस्था की है। हम चाहेंगे कि वे विदेशों में जायं और वहां से सीखकर वापस आने पर घरेलू उद्योग धंधों में लगें। मैं अधिक न कहता हुआ केवल यह कहना चाहता हूं। हम दस-बारह महीने में बहुत अधिक कार्य नहीं कर पाये हैं, लेकिन इस प्रदेश के रहने वालों का ध्यान उद्योग धंधों की तरफ आकर्षित किया है। और हमारा यह प्रयास यदि किंचितमात्र भी सफल हुआ तो हम समझेंगे कि हमने एक कदम औद्योगीकरण की तरफ बढ़ाया और प्रदेश में नवयुवकों का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जिस को पूरा करके वह प्रदेश का जीवन स्तर ऊंचा करेंगे। मैं अधिक न कह कर फिर से माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें आने वाली योजना में हर एक के सहयोग की आवश्यकता है और जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है वह सहयोग प्राप्त होगा। मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इन अनुदानों को स्वीकृति प्रदान करे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—एक थोड़ी सी बात माननीय मंत्री जी ने कही कि वह सत्यता से परे है यानी मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं थोड़ी सी इस संबंध में सफाई दे देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब झूठ बोलते हैं यह नहीं है। इसका मतलब यह है—'इट इज नाट ए फैक्ट' यानी यह वास्तविकता नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मेरा कहना था कि उनके विभाग ने उन्हें गलत बताया है। रानीखेत की उस कोआपरेटिव सोसाइटी को मैं चला रहा हूं। मैं उसका

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

सेक्रेटरी हूं। हमने फारेस्ट डिपार्टमेंट को, रेजिन, चीड़ और स्पोर्ट्स गुड्स की लकड़ी के लिए अप्लाई किया। फारेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको रेकमेंड किया और चूंकि उसमें इंडस्ट्री का नाम था वह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को फाइल गई। उस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने हमारे खिलाफ नोट लिखा कि अगर उनकी फैक्टरी खुल जायगी तो बरेली की टरपेंटाइन आयल फैक्टरी को नुकसान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसको दफ्तर में निपटा लीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—चूंकि गलत बात बतायी गयी है, मैं माननीय मंत्री जी को समझा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—उसे उनके दफ्तर में समझाइये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बात उद्योग मंत्री जी की सेवा में कह देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि विरोधी दल के माननीय सदस्य को उस फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी में रखने की घोषणा की। इस मेहरबानी का मैं कृतज्ञ हूं। लेकिन इतनी बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब तक ब्रजमोहन बिड़ला साहब उसके अध्यक्ष रहेंगे तब तक हम अपना असम्मान समझते हैं कि उस कमेटी में जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत ५,४३,३३,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २,८५,७४,९०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं एक बात कहना चाहता था चूंकि आपने उनको इजाजत दे दी, हालांकि अनुदान तो खत्म हो चुका है, मैं यह कहना चाहता था कि माननीय गेंदा सिंह जी ने अभी यह कहा कि वह असम्मान समझते हैं अपना कि वह उस कमेटी में किसी अपने सदस्य को रखें। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कल या परसों माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी से इस विषय में मैंने बात की थी और मैं शायद इसकी चर्चा भी यहां न करता अगर माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी मुझसे यह न कहते कि वह इस कमेटी में रहने के लिए उद्यत हैं। मैं तो जानता था कि इस तरह की बातें की जायंगी इसीलिए नहीं रखा था और वह बात सिद्ध भी हो गई लेकिन जब माननीय उपाध्याय जी ने कह दिया तो मैंने इसकी चर्चा की।

श्री मदनमोहन उपाध्याय— अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने परसों मुझसे यह कहा कि भाई आप लोग कैपिटलिस्टों के साथ बैठने वाले नहीं थे इसलिए हमने आप लोगों को नहीं रखा इसमें, नहीं तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी आपको रखने में। मैंने उनसे यही कहा कि हम ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में तो बैठे ही थे। लेकिन हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि एक इंडस्ट्रीज कमेटी और है जिसमें राधाकृष्ण जी हैं, उसमें आप बैठेंगे? मैंने उनसे कहा कि हमें उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब इसको आप चाहे कंसेंट समझिये या चाहे जो कुछ समझिये। बिरोधी दल के नेता से पूछे बगैर मैं कुछ कह नहीं सकता था। इसको वह अब चाहे जो कुछ समझें।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१२ मार्च, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

श्री रामसुभग वर्मा जी के प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में वर्णित सूची

जिला देवरिया

तहसील	फ़सली वर्ष							
	१३५५	१३५६	१३५७	१३५८	१३५९	१३६०	१३६१	१३६२
सलेमपुर ..	३६,८७६	३२,६३४	४४,२८८	५५,३२५	५०,८९५	३३,७२२	२८,७६२	५,२५२
देवरिया ..	१८,६२३	१६,६८६	१५,४०४	१९,२७८	१८,३६२	२०,७५४	११,६५९	१०,७९८
पडरौना ..	२,००,१२९	१,७२,२८७	२,१८,७१४	३,४२,६०७	३,६८,२८४	२,६३,३५३	२,८९,०८७	२९,७१७
हाटा ..	१३,७४३	१२,३२५	१२,१४२	१३,४२५	१६,२२६	३८,२१४	२८,२६०	९,४८८

उत्तर प्रदेश विधान सभा Archive

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर में प्रसंगित सूची

तहसील	ग्राम
लखीमपुर	१—बेल्होरा
,, ...	२—जमुनियां
,, ...	३—भुड़कुंडा
,, ...	४—बेलवा
,, ...	५—सुहेला
,, ...	६—मेधौरा
,, ...	७—गूम
,, ...	८—खैरा
,, ...	९—रामनगर कलां
.. .. ..	१०—गोनहा
,, ...	११—बझेड़ा
,, ...	१२—कुंवरपुर
,, ...	१३—जंगल न १०
,, ...	१४—बसहा
,, ...	१५—जंगल नं० ११
,, ...	१६—भानपुर करधैया
,, ...	१७—सरवा शिवपुरी
,, ...	१८—शाहपुर

तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर में प्रसंगित सूची

तहसील	ग्राम	तहसील	ग्राम
लखीमपुर ..	१—लगड़ीपुर	निघासन ..	१—छेदुई पतिया
,, ..	२—नरहर	,, ..	२—गछिनियां
,, ..	३—गौरा	,, ..	३—सुहैला
,, ..	४—जिगिनियां	,, ..	४—बढ़ैयाखेरा
,, ..	५—नौधन	,, ..	५—मुर्गहा
, ..	६—बेलवा	,, ..	६—बरसोला कलां
,, ..	७—पटना	,, ..	७—रामनगर संकल्पा
,, ..	८—रौलिया	,, ..	८—सूरतनगर
,, ..	९—नौवापुर	,, ..	९—मभरा पूरब

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तहसील	ग्राम	तहसील	ग्राम
लखीमपुर	.. १०—रेहरिया कला	निघासन	.. १०—बोकरिया
,,	.. ११—रेहरिया खुर्द	,,	.. ११—कबीरपुर
,,	.. १२—खमनीपुर	,,	.. १२—चहमलपुर
,,	.. १३—चुरवल	,,	.. १३—गंगोलिया
,,	.. १४—पकरिया		.. १४—परसा
,,	.. १५—सुहेला	,,	.. १५—गुलरिया
			तालुका अमेठी
,,	.. १६—मेथौरा	,,	.. १६—रामनगर
			बगहा
,,	.. १७—ओसिया	,,	.. १७—जंगल मटेरा
,,	.. १८—ओदारा	,,	१८—दुर्गापुर पड़री
,,	.. १९—जमुनियां		
,,	.. २०—भुड़कुंडा		
,,	.. २१—कोठिया		
,,	.. २२—कुंवरपुर खुर्द		
,,	.. २३—शाहपुर		

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २५४ एल० ए०—१९५६—९९६ ।